सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

भारत सरकार
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-I पुनरावलोकन	1-8
अध्याय - II संगठनात्मक ढांचा और कार्य	9-21
अध्याय-III कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन	22-33
अध्याय-IV सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008	34-35
अध्याय-V प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और अन्य विधान	36-42
अध्याय-VI परस्पर संवादमूलक एवं अनुक्रियाशील प्रशासन की ओर	43-65
(अनुलग्नक (I से VI)	66-85

महत्वपूर्ण संक्षिप्ताक्षर		
क्र.सं.	**संक्षिप्ताक्षर**	**पूर्ण रूप**
1.	एएआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अधिकरण
2.	एपीआईआईसीओ	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन
3.	बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
4.	बीओओटी	निर्माण, स्वामित्व प्रचालन और अंतरण
5.	बीआईएसी	बांग्लादेश इंटरनेशनल आरबिटरेशन सेंटर
6.	बीआईबीएफ	बहरीन इंस्टीट्यट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस
7.	बीएमसीपीएल	ब्रिज मेडिएशन एंड कंस्लटिंग प्राइवेट लिमिटेड
8.	सीडीएम	कारपोरेट डाटा प्रबंधन
9.	सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
10.	सीओआई	निगमन प्रमाण पत्र
11.	सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीय लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली
12.	सीएलबी	कंपनी विधि बोर्ड
13.	सीपीए	प्रमाणित लोक लेखे
14.	सीपीएंडएस	समुदाय, वैयक्तिक और सामाजिक सेवाएं
15.	सीआरसी	केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र
16.	सीएससी	सिविल सेवा केंद्र
17.	सीएसआर	कारपोरेट सामाजिक दायित्व
18.	सीएससीएस	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा
19.	सीएसओएल	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा
20.	सीएसएसएस	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा
21.	सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
22.	डीजीसीओए	महानिदेशक कारपोरेट कार्य
23.	डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
24.	ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
25.	ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
26.	एफसी	विदेशी कंपनियां
27.	जीपीआर	सरकारी प्रक्रिया पुन: इंजीनियरिंग
28.	जीएसटी	वस्तुएँ और सेवाएँ कर
29.	आईएपी	निवेशक जागरूकता कार्यक्रम
30.	आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

31.	आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
32.	आईसीएआई	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
33.	आईसीएआई	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
34.	आईसीएलएस	भारतीय कारपोरेट विधि सेवा
35.	आईसीएन	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क
36.	आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
37.	आईडीए	इंदौर विकास प्राधिकरण
38.	आईईपीएफ	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि
39.	आईईपीएफए	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि
40.	आईसीपीएके	इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टीफाइड पब्लिक अकाउंट्स केन्या
41.	आईजीएमसी	निवेशक शिकायत निवारण प्रबंधन केन्द्र
42.	एलएलपी	सीमित दायित्व भागीदारी
43.	एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
44.	एमआरए	पारस्परिक पहचान समझौता
45.	एमएंडक्यू	खनन और उत्खनन
46.	एमओए	संगम अनुच्छेद
47.	एमओयू	संगम ज्ञापन
48.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
49.	एनबीएए	राष्ट्रीय लेखाकार और लेखापरीक्षक बोर्ड
50.	एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
51.	एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
52.	एनईजीपी	राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना
53.	एनएफआरए	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
54.	एनएफआरएए	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्राधिकरण
55.	ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
56.	ओएल	शासकीय समापक
57.	ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
58.	ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन
59.	ओपीसी	एकल व्यक्ति कंपनी
60.	पीआई	व्यवसायिक संस्थान
61.	पीएएन	पैन संख्या
62.	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक

63.	आरसीसी	कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण और समापन
64.	आरईएंडआर	स्थावर संपदा और किराया
65.	आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय
66.	आरडी	क्षेत्रीय निदेशक
67.	सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
68.	एसएफआईओ	गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय
69.	एसपीआईसीई	कंपनियों के निगमन हेतु सरलीकृत प्ररूप
70.	एसओसीपीए	साउदी आर्गनाईजेशन फोर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स
71.	टीएस एण्ड सी	परिवहन भंडारण एवं संचार

अध्याय–I

पुनरावलोकन

1.1.1 इस मंत्रालय के अधिदेश में, अन्य बातों के साथ–साथ, कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु वृहत संख्या में संविधियों का प्रशासन शामिल है जो कि नीचे दिया गया है:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013ध्कंपनी अधिनियम, 1956,

(ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008,

(iii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,

(iv) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016,

(v) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949,

(vi) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959,

(vii) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980,

(viii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में)

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

कार्य

1.1.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिसूचित उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 1956 के उन उपबंधों का प्रशासन जो अभी भी लागू हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की शेष धाराओं को अधिसूचित करना।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न संविधियों के अधीन नियम और विनियमन तैयार करना।

(iv) भारतीय लेखांकन मानकों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपण करना।

(v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन करना।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ई–गवर्नेंस का कार्यान्वयन करना।

(vii) कारपोरेट कार्यकरण में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए तंत्र का निर्माण करना।

(viii) विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

(ix) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ियों का पता लगाना।

(x) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) संवर्ग का प्रबंधन करना।

(xi) आईआईसीए, एसएफआईओ, सीसीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी और आईबीबीआई नामक संबद्ध संगठनों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।

दिव्यांगजन के हितार्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रावधान

1.2.1 जब कंपनी के समापन के दौरान ऋण के भुगतान की बात आती है तो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय ग्ग (समापन) के अधीन कामगारों के अधिकारों के संरक्षण

के लिए लाभकारी प्रावधान विद्यमान हैं।

1.2.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के अधीन "कामगारों को देय राशि" प्रतिभूतित लेनदारों की देय राशि के साथ समान स्तर रखती है जिसका भुगतान अन्य सभी ऋणों के समान प्राथमिकता से किया जाना अपेक्षित है। "कामगारों को देय राशि" में, अन्य बातों के साथ–साथ, समापन आदेश से पूर्व के दो वर्षों की अवधि के लिए मजदूरी और वेतन तथा छुट्टियों का कुल अर्जित पारिश्रमिक, भविष्य निधि, पेंशन निधि, ग्रेच्युटी निधि अथवा कामगारों के कल्याणार्थ निधियों सहित अन्य सभी देय राशियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कामगार, प्रतिभूतित लेनदार की प्रतिभूति के एक भाग प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं।

1.2.3 जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, कामगारों को देय राशि का भाग पिछले दो वर्षों के लिए मजदूरी और छुट्टियों के अर्जित पारिश्रमिक के साथ–साथ, किसी कामगार की मृत्यु होने अथवा उसके विकलांग होने की स्थिति में संबंधित मुआवजे के बारे में संपूर्ण देय राशि कामगार की देय राशि का भाग होती है।

1.2.4 कामगारों की देय राशि के बढ़ते स्वरूप के कारण, उपबंध यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के किसी कामगार के विकलांग होने पर मुआवजे के लिए अधिकतम राशि वसूल की जाए।

महत्वपूर्ण नीतिगत घटनाएं

कंपनी अधिनियम, 2013

1.3.1 आज तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी धाराओं को अधिसूचित किया जा चुका है। कंपनी रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 की धारा 2 ख्खंड 67(प•), का भाग और असूचीबद्ध कंपनियों के अधिग्रहण से संबंधित धारा 230 ख्उप–धारा (11) और (12), को अभी लागू किया जाना है। धारा 465 (कंपनी रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम के संदर्भ को छोड़कर) को 30.01.2019 को प्रवृत्त किया गया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (व्यवसाय के संव्यवहार के लिए बैठक) नियम, 2019 को 22.05.2019 को विनिर्धारित किया गया। एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 5 के अनुसरण में एनएफआरए के न्यायाधिकार के भीतर कंपनियोंधनिकाय कारपोरेट के लेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अथवा उससे पूर्व केंद्र सरकार द्वारा यथा–निर्धारित प्ररूप में विवरणी फाइल करेंगे। एनएफआरए (संशोधन) नियम, 2019 को 5 सितंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि उपर्युक्त वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर से पहले फाइल की जाएगी। वार्षिक विवरणी का प्ररूप (प्ररूप एनएफआरए–2) जिसे विस्तृत विचार विमर्श (एनएफआरए के साथ भी) के पश्चात् तैयार किया गया है, भी इस अधिसूचना में शामिल किया गया है।

1.3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विनिर्धारित विभिन्न नियमों में संशोधन किए गए हैं। भारत में व्यवसाय करने को सुगम बनाने तथा भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए इस मंत्रालय ने अनेक सुधार किए हैं जो नीचे दिए गए हैं :–

(i) "अनुपम नाम का आरक्षण" ('आरयूएन') नामक एक नई वेब सर्विस सुविधा का आरंभ किया गया है जिससे छह पृष्ठों के विस्तृत आवेदन पत्र (पूर्वकालीन ई–प्ररूप आईएनसी–1) को फाइल करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है और इसके स्थान पर एक सरल वेब सेवा लाई गई है जिसमें लॉग–इन के पश्चात् केवल तीन क्षेत्रों को फाइल किया जाना अपेक्षित है।

(ii) नाम आरक्षण तथा कंपनियों और एलएलपी का निगमन 1–2 दिनों के भीतर करने के लिए आवेदन संसाधित करने हेतु केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी) स्थापित करना।

(iii) 15 लाख रुपये तक की प्राधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों अथवा शेयर पूंजी न रखने वाली ऐसी

कंपनियों जिनके सदस्यों की संख्या संगम अनुच्छेद में यथा–निर्दिष्ट 20 से अधिक नहीं है, से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाती है।

(iv) ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटी, पीएएन और टीएएन के रजिस्ट्रीकरण के साथ एमसीए–21 प्रणाली का स्पाइस प्ररूप में कंपनियों के निगमन के समय एकीकरण करना। मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में संशोधन किए हैं और निगमन प्ररूप एसपीआईसीई एकीकृत किया है जो व्यवसाय आरंभ करने के लिए 8 सेवाओं (नाम का आरंक्षण, पैन, टैन, डिन, ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटी और निगमन) के लिए लागू है।

(v) नाम उपलब्धता संबंधी नियमों को सरल बनाया गया है। नाम आरक्षण में दुविधा को दूर करने के लिए, कंपनी (निगमन) पांचवां संशोधन नियम, 2019 के माध्यम से कंपनी (निगमन) नियम, 2014 को संशोधित किया गया है। परिणामस्वरूप प्रस्तावित कंपनी के नाम के अनुमोदन में लगने वाला समय घटकर 1–3 दिन रह गया है।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017

1.4.1 भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 03 जनवरी, 2018 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्वीकृति दी गई थी और इसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 ख्सीएए–17, के रूप में अधिनियमित किया गया था। निधियों और इसके अधीन नियमों अर्थात् निधि (संशोधन) नियमों से संबंधित धारा हाल ही में 01 जुलाई, 2019 ख्15 अगस्त, 2019 से प्रभावी, को अधिसूचित की गई है। सीएए–17 (कुल 93) की सभी धाराएँ आज तक प्रवृत्त की जा चुकी हैं। सीएए–17 की धारा 23 और 80 के भागों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित नियमों और प्ररूपों के दो सेटों में संशोधन अपेक्षित हैं।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019

1.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपराधों से निपटने के लिए विद्यमान ढांचे तथा संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने अगस्त, 2018 में सिफारिश की कि गंभीर अपराधों के लिए कानूनों की मौजूदा कठोरता जारी रहनी चाहिए जबकि तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक स्वरूप के व्यतिक्रमों को इन–हाउस न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में अंतरित किया जा सकता है। समिति ने टिप्पणी की कि इससे व्यवसाय करने को सुगम बनाने तथा बेहतर कारपोरेट अनुपालन को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होगी।

i. इससे विशेष न्यायालयों में फाइल किए गए अभियोजनों की संख्या में भी कमी आएगी जिससे गंभीर अपराधों का तीव्रता से निपटान संभव हो पाएगा। समिति की, अन्यों के साथ–साथ, प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

(क) सोलह मामूली अपराधों को पूर्णतः सिविल व्यतिक्रमों में पुनर्वर्गीकृत करना जिससे विशेष न्यायालयों में कार्यभार कम होग;

(ख) वित्तीय वर्ष का परिवर्तन तथा सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन संबंधी आवेदनों से निपटने जैसे कतिपय दैनिक कार्यों को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से केंद्रीय सरकार को अंतरित करना;

(ग) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का रखरखाव न करना तथा व्यवसाय आरंभ करने की सूचना न देना कंपनी रजिस्टर में से कंपनियों के नाम को हटाने का आधार बनाना;

(घ) प्रभारों के सृजन तथा रूपांतरण के लिए कठोर प्रावधान करना;

(ङ) निदेशकता पर सीमा के उल्लंघन को निर्हरता का आधार बनाना; और

(च) धारा 441 के अधीन अपराधों के संयोजन हेतु बढ़ी हुई आर्थिक सीमा के साथ प्रादेशिक निदेशकों के

न्यायाधिकार को बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष प्रशम्य संबंधी अपेक्षाकृत कम मामले प्रस्तुत हों।

ii. चूंकि संसद का सत्र जारी था और कंपनी अधिनियम, 2013 में पूर्वोक्त संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाने अपेक्षित थे इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए तथा व्यवसाय करने को सुगम बनाने तथा कारपोरेट अनुपालन प्रबंधक को सुदृढ़ करने के लिए इसे आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया। यह भी विचार किया गया कि कुछ जुर्मानों को शास्तियों में बदल दिया जाए ताकि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण तथा विशेष न्यायालय आदि के लिए ऐसा वातावरण तैयार हो कि वे गंभीर अपराधों पर अधिक समय दे पाएं और पूरी तरह से प्रक्रियात्मक व्यतिक्रमों का भार न रहे जो न्यायालयों का समय बर्बाद करती हैं। तद्नुसार, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश 9) नामक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा 2 नवंबर, 2018 को प्रख्यापित किया गया।

iii. पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 नामक विधेयक 20 दिसंबर, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 के रूप में सरकारी संशोधनों के साथ 04 जनवरी, 2019 को उक्त सदन में पारित किया गया। तथापि, उक्त विधेयक को राज्य सभा में विचार के लिए नहीं लाया जा सका। कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रभावी बनाए रखने के लिए कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 और कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 माननीय राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः 12 जनवरी, 2019 और 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित किया गया।

iv. कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 के माध्यम से संपन्न संशोधनों के अलावा 12 अतिरिक्त संशोधन विहित थे। अतिरिक्त संशोधन, अन्य बातों के साथ–साथ, कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता प्रदान करने, एनएफआरए द्वारा लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों पर रोक लगाने संबंधी उपबंधों को युक्तियुक्त बनाने, एसएफआईओ के प्रवर्तन आदि को सुदृढ़ करने के बारे में थे। इस बिल पर लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 2019 को और राज्य सभा द्वारा 30 जुलाई, 2019 को विचार करके पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति ने 31 जुलाई, 2019 को विधेयक पर सहमति दी और तद्नुसार कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 उक्त तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीए–13 की धारा 135) से संबंधित धारा 21 को छोड़कर सभी धाराएं प्रवृत्त की जा चुकी हैं।

असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का अमूर्तिकरण

1.6.1 कारपोरेट ढांचे में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से और विशेष रूप से केवाईसी और निवेशक संरक्षण के माध्यम से, प्रतिभूतियों के अमूर्तिकरण के फायदों, सरकार का 'डिजिटल इंडिया' पर विशेष ध्यान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 29(1)(ख) के अधीन उपलब्ध समर्थनकारी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय में संगत नियमों को संशोधित किया गया है जिससे सूचीबद्ध कंपनियों के अतिरिक्त, असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर अमूर्तिकरण अपेक्षा को लागू किया जा सके। इस संबंध में सभी हितधारकों से विचार–विमर्श किया गया और 10 सितंबर, 2018 को

नियमों में संशोधन किया गया जिससे 02 अक्तूबर, 2018 से असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा केवल डीमैट प्ररूप में प्रतिभूतियों को जारी करने और अंतरण की आवश्यकता को अनिवार्य किया जा सके। तथापि, कुछ कंपनियों को पेश आ रही उचित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एक छूट अधिसूचना 22.01.2019 को जारी की गई जिसके द्वारा निधि, सरकारी कंपनियों और पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को उक्त नियमों के उपबंधों के अनुपालन से छूट दे दी गई।

1.6.2 कंपनी (उल्लेखनीय लाभकारी स्वामित्व) नियम, 2018 में "उल्लेखनीय लाभकारी स्वामी" की परिभाषा में तथा कंपनी और कंपनी और रजिस्ट्री की संगत घोषणाओं को फाइल करने के ढंग के बारे में और स्पष्टता लाने के लिए 08 फरवरी, 2019 को संशोधन किए गए। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमों के विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटना है।

1.6.3 कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 को कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 ख्2ध्11ध्2018 से लागू, के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 में किए गए संशोधन को लागू करने के लिए 19 फरवरी, 2019 को संशोधित किया गया है। नियमों में किए गए परिवर्तन का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि न्यायनिर्णयन अधिकारियों (कंपनी रजिस्ट्रारों) द्वारा आर्थिक शास्तियों का तीव्र न्यायानिर्णयन हो।

1.6.4 स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक दृ केंद्रीय सरकार ने दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र और इच्छुक व्यक्तियों के नामों और पतों और अर्हताओं तथा 01.12. 2019 से ऐसे निदेशकों की नियुक्ति करने में कंपनियों के प्रयोग हेतु डाटा बैंक सृजित करने और उसका अनुरक्षण करने के लिए भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), मानेसर को संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने 22 अक्तूबर, 2019 को कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक सृजन और अनुरक्षण) नियम, 2019 नामक नियमों का एक नया सेट भी अधिसूचित किया है। इन नियमों में डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण के संबंध में आईआईसीए के कार्यों और कर्तव्यों को विनिर्धारित किया गया है। उक्त नियमों के नियम 5 में यह भी प्रावधान है कि संस्थान द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री की रूपरेखा अनुमोदित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामित कम से कम 10 सदस्यों का एक पैनल होगा। परिभाषाओं और पैनल संबंधी नियमों को छोड़कर ये नियम 01 दिसंबर, 2019 से लागू हैं।

1.6.5 कंपनी विधि समिति, 2019 – कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने की सुविधा प्रदान करके देश में ईज–ऑफ–लिविंग के सरकार के उद्देश्य के प्रयोजन से बड़े पैमाने पर हितधारकों के लिए संशोधित कारपोरेट अनुपालन विकसित करने तथा देश में कारपोरेटों के कारण को प्रभावित करने वाले उभरते मुद्दों से निपटने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वार दिनांक 18 सितंबर, 2019 के आदेश द्वारा कंपनी विधि समिति का गठन किया गया ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 तथा अन्य संबंधित मामलों से जुड़े मुद्दों और विभिन्न उपबंधों के बारे में सरकार को सिफारिशें करने और उनकी जांच करने के लिए गठित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 18 नवंबर, 2019 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अध्याय 1 में शामिल समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. 66 में से 23 ऐसे अपराधों को पुनर्वर्गीकृत करना जो इन–हाउस न्यायनिर्णयन ढांचे में विहित प्रशम्य अपराधों की श्रेणी में हैं जिनमें व्यतिक्रम न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति के अध्यधीन होंगे।

ii. 7 प्रशम्य अपराधों का लोप करना, 11 प्रशम्य अपराधों को केवल जुर्माने तक सीमित करना

(अर्थात् कारावास के भाग को समाप्त करना) और 5 अपराधों को वैकल्पिक ढांचे में निपटाने की सिफारिश करना (इनमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा अवहेलना शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से निपटाए गए मामले शामिल हैं) ।

iii. अप्रशम्य अपराधों के बारे में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया गया है;

अध्याय 2 में, समिति ने कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों के लिए ईज–ऑफ लिविंग प्रदान करने के लक्ष्य से सिफारिशें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं :–

(i) सेबी के परामर्श से ऋण प्रतिभूतियों के सूचीयन के लिए मुख्य रूप से "सूचीबद्ध कंपनी" की परिभाषा से कंपनी की कतिपय श्रेणी को पृथक करने की शक्ति;

(ii) कंपनी के अधिकारियोंध्कर्मचारियों द्वार इसकी संपत्ति को गलत ढंग से अधिग्रहीत करने के लिए धारा 452 के अधीन अपराध घटित होने के स्थान के आधार पर विचारण न्यायालय के न्यायाधिकार को स्पष्ट करना; कंपनी अधिनियम, 2013 में, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग–प्क (उत्पादक कंपनियां) के उपबंधों सहित; राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की न्यायपीठों का प्रस्ताव करना; ऐसे मामलों में कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के समान प्रावधानों के अनुसार लाभ की अपर्याप्तता के मामले में गैर–कार्यपालक निदेशकों को पर्याप्त पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति का प्रावधान करना; धारा 403(1) के तीसरे परंतुक के अधीन अपेक्षाकृत अधिक अतिरिक्त फीस प्रभारित करने से संबंधित उपबंधों में राहत देना; आर्थिक शास्तियों वाले सभी उपबंधों के लिए तथा उत्पादक कंपनियों और स्टार्ट–अप्स के हितार्थ धारा 446ख लघु कंपनियों तथा एकल व्यक्ति कंपनियों के लिए कमतर शास्तियां) की अनुप्रयोज्यता को बढ़ाना; कतिपय कंपनियों/कारपोरेट निकायों को धारा 88 (शेयरों में लाभकारी हित की घोषणा) तथा अध्याय XXII (भारत से बाहर निगमित कंपनियां) की अनुप्रयोज्यता से मुक्त करना; धारा 62 के अधीन राइट इश्यूज को गति देने के लिए समय–सीमा कम करना; आरबीआई के परामर्श से धारा 117 के अधीन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कतिपय श्रेणियों को समाधानों को फाइल करने से छूट प्रदान करना; कारपोरेट सामाजिक दायित्व उपबंधों के अनुप्रयोग को बढ़ाने वाली सीमा में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करना; वार्षिक विवरणियों और कतिपय मामलों में वित्तीय विवरणों को फाइल करने में विलंब के लिए शास्तियों में छूट।

1.6.6 इसके अतिरिक्त, समिति ने कतिपय अन्य मुद्दों पर विचार करते समय महसूस किया कि व्यापक परामर्श आवश्यक होगा और सिफारिश की कि निम्नलिखित को बाद में हाथ में लिया जाए:

(i) समुचित परामर्श के पश्चात, एनसीएलटी के समक्ष प्रादेशिक निदेशकों के आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान करना;

(ii) सेबी के परामर्श के पश्चात अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन के लिए कतिपय निजी नियोजन अपेक्षाओं से छूट देना;

(iii) विधिवत परामर्श और जांच के पश्चात निदेशकों के निर्हर्ता के प्रावधानों के समीक्षा करना;

(iv) विधिवत परामर्श और जांच के पश्चात लेखा–परीक्षा फर्मों पर रोक लगाने के संबंध में प्रावधानों की समीक्षा करना।

प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति

1.7.1 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया और भारतीय प्रतिस्पर्धा

आयोग ('आयोग') 2009 से प्रचालन में है। गत 10 वर्षों में आयोग कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है और काफी हद तक गैर–प्रतिस्पर्धा को रोकने, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, समान वातावरण प्रदान करने और अंतिम प्रयोक्ताओंध्उपभोक्ताओं को पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने में सफल हुआ है। तथापि, भरोसे की कमी के वातावरण में क्षेत्रीय अधिव्यापन, क्रॉस बॉर्डर विलय, महानिदेशक द्वारा जांच और अन्य संरचनात्मक मुद्दों आदि जैसे मुद्दे चिंता का विषय हैं। इसी के साथ–साथ, प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित व्यवसाय तंत्र में परिवर्तन करने, समाहारक और ई–कॉमर्स मॉडल आदि जैसे नए व्यावसायिक मॉडलों के उभरने से कतिपय चुनौतियां सामने आई हैं।

1.7.2 परिवर्तित परिदृश्य में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा कानून नई घटनाओं के अनुरूप, अधिक व्यापार हितैषी और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों। इस दिशा में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अक्तूबर, 2018 में प्रमुख हितधारकों से इनपुट लेकर ठोस प्रतिस्पर्धा शासन की समीक्षा और सिफारिश करने तथा विधि के स्थाई तथा प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए श्री इंजेटी श्रीनिवास, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति ('सीएलआरसी') का गठन किया था।

1.7.3 इसके अधिदेश के अनुपालन में सीएलआरसी ने बदल रहे व्यवसायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रतिस्पर्धा विधि ढांचे की समीक्षा की और संगत अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण किया। ऐसा करने में सीएलआरसी ने अनेक हितधारकों की राय और सिफारिशें समेकित की हैं। समिति के विभिन्न सदस्यों की सिफारिशों की व्यापक समीक्षा तथा हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सीएलआरसी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2019 में प्रस्तुत की तथा अधिनियम और अधीनस्थ विधानों में कतिपय ऐसे संशोधनों की सिफारिश की जो अधिनियम के सुचारू कार्यकरण के लिए अनिवार्य है। सीएलआरसी की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

i. अधिकांश विलयों और अधिग्रहणों के लिए तीव्र नियामक अनुमोदन करने में सक्षम बनाने के लिए संयुक्त अधिसूचनाओं हेतु "ग्रीन चौनल" की शुरुआत करना जिससे प्रतिस्पर्धा पर किसी बड़े विपरीत प्रभाव संबंधी कोई बड़ी चिंता उत्पन्न नहीं होगी। इसका उद्देश्य एक ऐसे पारदर्शी और अनुपालनकारी शासन की ओर बढ़ना है जिसे सही अथवा पूर्ण सूचना न प्रदान करने की दशा में कठोर परिणाम भुगतने होंगे।

ii. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन दिवाला समाधान से उत्पन्न संयोजन ग्रीन चौनल हेतु पात्र होगा।

iii. प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिए एनसीएलएटी में एक समर्पित न्यायपीठ की शुरुआत करना।

iv. 'हब एंड स्पोक' समझौते तथा उन समझौतों को अभिनिर्धारित करने के लिए अभिव्यक्ति उपबंध शामिल करना जो नए युग के बाजारों के अनुरूप व्यावसाय संरचना और मॉडल से संबंधित समझौते शामिल करने के लिए विशिष्ट क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर गैर–प्रतिस्पर्धी समझौतों के अनुरूप नहीं हैं।

v. अधिनियम की धारा 3(गैर–प्रतिस्पर्धी आचरण) और धारा 4(आधिपत्य का दुरुपयोग) के अधीन मामलों के तीव्र समाधान के उद्देश्य से 'निपटान और प्रतिबद्धता' का अतिरिक्त प्रवर्तन तंत्र प्रारम्भ करना।

vi. विलयन अधिसूचना के लिए सौदा मूल्य प्रारम्भिक सीमा सहित आवश्यक सीमाएं शामिल करने के लिए प्रावधान करना।

vii. सीसीआई अधिक पारदर्शिता और तीव्र निर्णय

सुनिश्चित करने के लिए आस्ति संबंधी दिशा–निदेश जारी करेगा जो व्यावसायी अनुपालन के लिए प्रेरित होंगे।

viii. पक्ष–समर्थन, अर्ध–विधायी कार्यों का पर्यवेक्षण करने, नीतिगत निर्णयों का संचालन करने और पर्यवेक्षी भूमिका का निष्पादन करने के लिए एक अध्यक्ष (सीसीआई), छह पूर्णकालिक सदस्यों तथा छह अंशकालिक सदस्यों (जिसमें 2 पदेन सदस्य और 4 प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं) को शामिल करके शासी बोर्ड का गठन करना।

ix. कतिपय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की तर्ज पर निदेशन और जांच के क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक कुशलता लाने के उद्देश्य से महानिदेशक कार्यालय का 'अन्वेषण प्रभाग' के रूप में सीसीआई में विलय करना।

x. अन्वेषण, पक्ष–समर्थन और जागरूकता जैसे गैर–न्यायनिर्णयन कार्यों को संपन्न करने, सुलभता में सुधार करने तथा क्षेत्रीय नियामकों, राज्य सरकारों और स्थानीय स्व–शासनों के साथ संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों पर सीसीआई के कार्यालय स्थापित करना।

****

अध्याय–II

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

प्रशासनिक ढांचा

2.1.1 मंत्रालय का तीन स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है जिसमें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली और शिलांग में सात प्रादेशिक निदेशक कार्यालयय पंद्रह कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी)य मानेसर स्थित एक केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी)य नौ कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय और चौदह शासकीय समापक कार्यालय हैं। मानेसर (गुरुग्राम) स्थित केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना 26 जनवरी, 2016 को की गई है। उपर्युक्त कार्यालयोंध्स्थापनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैरा में दिया गया है।

मुख्यालय

2.2.1 मुख्यालय के प्रशासनिक ढांचे में एक सचिव, एक विशेष सचिव/अपर सचिव, एक महानिदेशक, कारपोरेट कार्य (डीजीसीओए), एक अपर सचिब एवं वित्तीय सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निदेशक निरीक्षण एवं जांच, उप महानिदेशक और प्रशासनिक, विधिक, लेखांकन, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य अधिकारी हैं। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक–I** में दी गई है।

प्रादेशिक निदेशक

2.2.2 प्रादेशिक निदेशक अपने–अपने क्षेत्राधिकार में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। इन कार्यालयों का मुख्य कार्य तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों को परामर्श तथा दिशानिर्देश देना, सरकार को विशेष रूप से कंपनियों के कार्यकलापों और प्रचालनों के संबंध में सूचित करना तथा अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कंपनी अधिनियम के प्रशासन संबंधी मामलों में संपर्क के रूप में कार्य करना है। प्रादेशिक निदेशकों को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रत्यक्ष रूप से कुछ कार्य करने और उनका निपटान करने की शक्तियाँ भी प्रत्यायोजित की गई हैं।?

केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र

2.2.3 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग (जीपीआर) में पहल करते हुए "नाम उपलब्धता" (आईएनसी–01) और "निगमन" (आईएनसी–02ध07ध29) ई–प्ररूपों पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की है। जीपीआर प्रक्रिया इस मंत्रालय के कारपोरेट को "व्यापार करने को सुगम बनाना" में मदद करने के उद्देश्य के अनुसरण में है और इससे निगमन से संबंधित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई होने, नियमों के विनियोग में एकरूपता आने और पक्षपात दूर होने की आशा है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए गहन मॉनीटरिंग की जा रही है जिसका उद्देश्य उक्त ई–प्ररूपों को संसाधित करने का कार्य एक से दो कार्य–दिवसों में पूरा करना है।

कंपनी रजिस्ट्रार

2.2.4 कंपनी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 396 के अधीन की जाती है। रजिस्ट्रार सीआरसी को छोड़कर अन्य सभी कंपनी रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों, जो निगमन के बाद प्रासंगिक होंगे, के लिए रजिस्ट्रार,

सीआरसी द्वारा निगमित कंपनियों सहित सभी कंपनियों पर न्यायाधिकार जारी रखेंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय संबंधित प्रादेशिक निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

शासकीय समापक

2.2.5 शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 359 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के सदृश) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधिकार से संबंधित हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन से संबंधित धारा तथा अन्य उपबंध 15 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त किए गए। संबंधित प्रादेशिक निदेशक केन्द्र सरकार की ओर से शासकीय समापक कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण करते हैं। शासकीय समापक कंपनियों के कार्यों के समापन के मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्देशों और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं।

2.2.6 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कारपोरेट दिवाला के प्रावधानों का अधिनियमन और इसके प्रवृत्त होने के साथ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में समापन से संबंधित कुछ उपबंधों के पश्चातवर्ती संशोधन और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समापन से संबंधित लंबित कार्यवाही का उच्च न्यायालय से अंतरण करने के नियम अधिसूचित हो जाने के परिणामस्वरूप शासकीय समापकों को 01 दिसंबर, 2016 से नए मामले नहीं सौंपे गए हैं। इस प्रकार के मामलों का निपटान आईबीसी, 2016 की धारा 7, 8 या 9 के अधीन दिवाला समाधान से किया जाएगा और यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया असफल रहती है तो समापन कार्रवाई एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित दिवाला वृत्तिकों द्वारा की जाएगी।

2.2.7 शासकीय समापकों के दायित्व और अधिकार मुख्य रूप से कंपनी को देय ऋण की वसूली हेतु ऋणदाताओं के विरूद्ध दावें फाइल करनेय शासकीय समापक द्वारा कब्जा ली गई कंपनी की चल और अचल आस्तियों की बिक्री करनेय कंपनी के पूर्व निदेशकों के कृत्यों और त्रुटियों तथा विश्वास भंग के लिए आपराधिक शिकायतें और कदाचार कार्रवाई शुरू करनेय लेनदारोंध्श्रमिकों से दावे मंगवानेय दावों का न्यायनिर्णयन और लेनदारों की सूची निर्धारित करनेय लेनदारों को लाभांश के माध्यम से भुगतान करने और अंशदाताओं (अर्थात् वह व्यक्ति जिसे परिसमापन होने की दशा में कंपनी की आस्तियो में अंशदान करना है) की सूची, जहां कहीं आवश्यक हो, निर्धारित करनेय और यदि कंपनी की आस्तियां उसकी देयता से अधिक हैं तो पूंजी की वापसी का भुगतान करने और अंततरू कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के अधीन कंपनी का विघटन करने से संबंधित है।

मुख्यालय में संगठनात्मक ढांचा

2.3.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में कंपनी अधिनियम और इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित अन्य अधिनियमों के प्रशासनधनियमन के लिए विभिन्न प्रभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ हैं। कंपनी अधिनियम से संबंधित मामलों के प्रशासनिक ढांचे का ब्यौरा नीचे दिया गया है। कंपनी अधिनियम की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी मामलों का विवरण **अध्याय–III** में दिया गया है और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम से संबंधित विवरण क्रमशः **अध्याय–IV** और **V** में दिया गया है।

2.3.2 कंपनी अधिनियम के उपबंधों का प्रशासन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, संबंधित संयुक्त सचिवों, आर्थिक सलाहकार और लागत सलाहकार के पर्यवेक्षण में विभिन्न प्रभागोंध्अनुभागोंध्प्रकोष्ठों द्वारा किया जाता है। इन अनुभागों द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

2.3.3 कंपनी विधि/I अनुभाग कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों के शासन संबंधी कानूनी ढांचे से संबंधित विधायी प्रक्रियाओं तथा इनके अंतर्गत नियमों,

विनियमनों और परिपत्रों की अधिसूचना से संबंधित कार्य देखता है।

2.3.4 **कंपनी विधि–II** अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों, जांच प्रतिवेदनों और तकनीकी संवीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करता है। इन प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात् अभियोजन के आदेश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत धनराशि के दुरूपयोग अथवा अन्यत्र उपयोग से संबंधित शिकायतों और कंपनी के कुप्रबंधन आदि की जांच करता है।

2.3.5 कंपनी विधि/III अनुभाग (क) शेयरपूंजी में कटौती, (ख) तुलन–पत्र और लाभ हानि विवरण का प्ररूप और विषय–वस्तु, (ग) सरकारी कंपनियों के समामेलन/समझौतों की योजनाएं, (घ) कंपनियों के नाम के अनुमोदन और उनसे संबंधित मामलों के बारे में प्रादेशिक निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) तथा (ङ) लाइसेंस प्रदान करने, ऐसे लाइसेंस रद्द करने, संगत ज्ञापन और अनुच्छेद में परिवर्तन, छूट देने और इस प्रकार की कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)।

2.3.6 कंपनी विधि/IV (विधायी) अनुभाग के प्रमुख कार्यों में ये कार्य शामिल हैं :

(क) पैरा–वार टिप्पणियों की जांच जिनमें भारत सरकार एक पक्ष है।

(ख) मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त अनुरोध पर सरकारी वकील नियुक्त करना।

(ग) उन सभी मुकदमों की मॉनिटरिंग जिनमें मंत्रालय एक पक्ष है।

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399(4) के अधीन केंद्र सरकार को किए गए आवेदनों/याचिकाओं की जांच, और

(ङ) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों द्वारा मांगे जाने पर कानूनी परामर्श देना।

2.3.7 कंपनी विधि/V (नीति) अनुभाग मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियों और सचिवों की समिति के विचारार्थ नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य करता है। यह अनुभाग संस्थानों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित करनेय पूंजी बाजार, सेबी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मनीलांड्रिंग, लेखांकन मानकों/आईएफआरएस के साथ समाभिरूण से संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओँ के स्पष्टीकरणध्सरलीकरण जारी करता है। यह अनुभाग कारपोरेट विधि के कार्यान्वयन में सहायता करने वाली विभिन्न योजनाएं शुरू करने, ई–गवर्नेस प्ररूप, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में समन्वय और सरकारी कंपनियों की वार्षिक आम बैठकों के आयोजन के स्थान में परिवर्तन आदि के लिए भी उत्तरदायी है।

2.3.8 कंपनी विधि–VI अनुभाग किसी कंपनी में प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति, यदि वह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के भाग–I के अनुरूप न हो तो उससे संबंधित सांविधिक प्रयोज्यताओं की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 196, 197 के अधीन सूचीबद्ध कंपनियों और किसी सूचीबद्ध कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान की भी देखरेख करता है जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली हटाना भी शामिल है।

2.3.9 लागत लेखा शाखा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन निम्नलिखित कार्य करती है:

(i) लागत लेखा अभिलेखों और लागत लेखापरीक्षा के लिए नीति तैयार करनाय

(ii) (क) कंपनियों के किसी वर्ग द्वारा यथानिर्धारित लागत लेखा रिकॉर्ड रखने और (ख) कंपनियों के कतिपय वर्ग के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियम तैयार और अधिसूचित करना;

(iii) लागत अभिलेखों और लेखापरीक्षा नियमों, जहां कहीं आवश्यक हो, को तर्कसंगत बनाना

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य संबंधित धाराओँ तथा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुपालन की निगरानी;

(अ) चूककर्ता कंपनियों और लागत लेखापरीक्षकों के विरूद्ध कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से शास्तिक/अभियोजन कार्यवाहियां शुरू करना;

(vi) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की पुनरीक्षा, जांच और अध्ययन करना तथा जहां भी आवश्यक हो, कंपनियों से और अधिक सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करनाः

(vii) ऐसे अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में संबंधित विभागों/संगठनोंधनियामक निकायों को सूचित करना;

(viii) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा प्रस्तुत लागत लेखापरीक्षा मानकों की समीक्षा करना और केंद्र सरकार को उनके अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

2.3.10 विनिधानकर्ता शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईजीएमसी) जिसे पहले विनिधानकर्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आईपीसी) कहा जाता था, का कार्य विनिधानकर्ताओं की शिकायतों का निवारण करना है। इस अनुभाग का कार्य संबंधित कंपनियों के विरूद्ध विनिधानकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों का कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से शीघ्र निवारण करना है। यह अनुभाग भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, सेबी आदि जैसे विभिन्न अन्य संगठनोंधविभागों के साथ इन एजेंसियों के विरूद्ध प्राप्त विनिधानकर्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु समन्वय भी करता है। मुख्य रूप से आईजीएमसी में प्राप्त शिकायतें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती हैंः

क. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना

ख. लाभांश राशि न मिलना

ग. आवेदन राशि वापस न मिलना

घ. परिपक्व जमाराशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान न होना

ङ. डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र न मिलना

च. शेयर अंतरण का रजिस्ट्रीकरण न होना

छ. शेयर प्रमाणपत्र जारी न किया जाना

ज. डिबेंचर प्रमाणपत्र न मिलना

झ. राईट्सध्बोनस शेयर जारी न किया जाना

ञ. देरी से भुगतान मिलने पर ब्याज न देना

ट. डिबेंचरों का पुनर्विमोचन और उन पर ब्याज का भुगतान न किया जाना

ठ. परिवर्तन होने पर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होना

2.3.11 विनिधानकर्ता/जमाकर्ता अपनी शिकायतें मंत्रालय की वेबसाइट (www-mca-gov-in) का प्रयोग करते हुए एमसीए21 पोर्टल के माध्यम से संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पास ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत की पावती, प्रणाली में एक शिकायत संख्या द्वारा दी जाएगी जिसका प्रयोग भविष्य में शिकायत का अनुसरण करने के लिए किया जा सकता है। विनिधानकर्ता शिकायतों के समाधान में क्षेत्रीय कार्यालयों के सक्रिय सहयोग के लिए प्रादेशिक निदेशक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ–साथ मंत्रालय

के मुख्यालय में नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल टीम का गठन किया गया है। विनिधानकर्ता अपनी शिकायतें कंपनी रजिस्ट्रारध्क्षेत्रादेशिक निदेशक स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों को सीधे ही कर सकते हैं। यदि किसी विनिधानकर्ता की शिकायत का एक समुचित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी समाधान नहीं हो पाता है तो उसे मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है। मंत्रालय के नोडल अधिकारियों की सूची कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "विनिधानकर्ता सेवाएं" शीर्षक के अधीन उपलब्ध हैं। विनिधानकर्ता शिकायतों से निपटने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने हेतु आईजीएम प्रकोष्ठ द्वारा एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

2.3.12 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रकोष्ठ का गठन दिनांक 09 मई, 2014 को किया गया था और इसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर नियमों और अनुसूची–VII में संशोधन प्रस्तावित करनाय

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियमों के संबंध में पक्षकारों से प्राप्त संदर्भों पर स्पष्टीकरण जारी करना;

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय;

(iv) कंपनियों के सीएसआर व्यय से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण;

(v) कंपनियों द्वारा सीएसआर अनुपालन का विनियमन;

(vi) लोक उद्यम विभाग, शीर्ष चेम्बरों, आईआईसीए और इस मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक द्वारा आयोजित सुग्राहीकरण कार्यशालाओं में भाग लेना।

2.3.13 अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग (आरएंडए) इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 461 के अधीन यथानिर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और संबंधित वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ii) मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और इसे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करने हेतु वित्त संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत करना;

(iii) अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट निष्पादन, पूंजी बाजार सुधारों, विनिवेश और वृहद स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना;

(iv) विनिवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा गठित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश हेतु अंतःमंत्रालयी समूह (आईएमजी) में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना;

(v) कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) की योजना स्कीम के "अनुसंधान और अध्ययन, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्तपोषण" अनुसंधान घटक का प्रबंधन करना,

(vi) मंत्रालय की कार्य योजना तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करनाय और

(vii) मंत्रालय तथा नीति आयोग के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना।

2.3.14 सांख्यिकी प्रभाग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

(i) कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी सूचना का,

जब कभी आवश्यक हो, केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संगठनों के साथ आदान–प्रदान करना;

(ii) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के लिए रिपोर्टें तैयार करना;

(iii) एमसीए21 पोर्टल से प्राप्त कारपोरेट डाटा में सुधार संबंधी मुद्दों की जांच और समाधान;

(iv) केन्द्रीय योजना स्कीम कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएन) का कार्यान्वयन।

2.3.15 अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनुभाग अन्य देशों में समकक्ष संगठनों, कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ), ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई), इंटरनेशनल एसोशिएशन ऑफ इंसोल्वेंसी रेग्यूलेटर्स (आईएआईआर), आर्गनाइजेशन फॉर इक्नोमिक कॉआपरेशन एंड डेवल्पमेंट (ओईसीडी), अंतरराष्ट्रीय समझौता–ज्ञापनों का अनुमोदन आदि के साथ समन्वय एवं विचार–विमर्श आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.3.16 आरटीआई निगरानी प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी सभी सूचनाओं का भंडार होने के साथ–साथ आवेदक/अपीलकर्ता और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारीध्अपील प्राधिकारी के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं, जिनके अधीन सरकारी अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है, के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्रगति की मॉनिटरिंग भी करता है ताकि निर्धारित समय–सीमा में इनका निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

2.3.17 जेंडर बजट सेल (जीबीसी) सरकारी बजट में जेंडर विश्लेषण के एकीकरण को सुकर बनाता रहा है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय का जेंडर बजट सेल ने क्षेत्रीय कार्यालयों और संबद्ध कार्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों सहित कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जेंडर प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना/डाटाबेस प्रणाली तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जीबीसी का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र–उन्मुखी नीतियों का महिलाओँ की समानता और सशक्तीकरण के मुद्दों पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ–साथ, बजट आबंटन में जेंडर संवेदनशीलता के प्रति बढ़ती जागरूकता गति प्रदान करना है।

2.3.18 राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करता हैय राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजातों का अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद तथा साथ ही संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य देखता है। यह अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन और हिंदी सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह हिंदी शिक्षण योजना के प्रशासन के साथ–साथ हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। यह अनुभाग मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सुझाव भी देता है।

2.3.19 सतर्कता अनुभाग कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है, भ्रष्टाचार में शामिल कथित कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच करता है। यह अनुभाग भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने और सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के लिए भी प्रयास करता है। इस दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय के 45 पदों की पहचान संवेदनशील पदों के रूप में की गई ताकि इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को प्रत्येक 2ध्3 वर्षों के बाद रोटेट किया जा सके।

2.3.20 प्रशासन–I अनुभाग केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत मुख्यालय के सभी समूह 'क' अधिकारियोंय मुख्यालय में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस), भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), भारतीय लागत एवं लेखांकन सेवा (आईसीएएस) और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएल) के संवर्ग पदों के सभी समूह 'क' अधिकारियोंय केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियोंः केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के अधिकारियोंय केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) के अधिकारीय सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' और 'ग' पदोंय केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संवर्ग पदों से संबंधित स्थापना मामलों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कारपोरेट कार्य मंत्री के कार्यालय, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के कार्यालय से संबंधित पदों के सृजन और स्थापना मामले तथा आईसीएलएस को छोड़कर मुख्यालय में पदों का सृजन/जारी रखने के साथ–साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी करता है।

2.3.21 प्रशासन–II अनुभाग भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) (समूह 'क') और आईसीएलएस के अन्य अधीनस्थ ग्रेड के अधिकारियों के सभी स्थापना संबंधी मामलों, आईसीएलएस अधिकारियों और इसके फीडर संवर्ग का प्रशिक्षण और क्षमतानिर्माण, आईसीएलएस और इसके फीडर संवर्ग के भर्ती/सेवा नियम तैयार करनाध्संशोधित करना, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों की भर्ती, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में अधिकारियों की समीक्षा करना ताकि मूल नियम 56(ञ) के अधीन सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके और संवेदनशील पदों की पहचान की जा सके।

2.3.22 **प्रशासन–III** अनुभाग गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के सभी नीति संबंधी मुद्दे और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय से संबंधित स्थापना, कार्मिक तथा वित्तीय मामले जिनके लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

2.3.23 प्रशासन–IV अनुभाग कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से संबंधित स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामलों को देखता है जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

2.3.24 प्रतिस्पर्धा अनुभाग प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी मामलेय प्रतिस्पर्धा नीति तैयार करनाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के सभी स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामले जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामले देखता है।

2.3.25 आधारिक संरचना अनुभाग (क) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि और भवन की खरीदय (ख) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए सभी भवनों (पुराने और नए) के निर्माण/मरम्मत/रख–रखाव के लिए पूंजीगत निर्माण कार्यय और (ग) मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में किराए पर भवन लेने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देना।

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/संगठन

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

2.4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के अधीन 01 जून, 2016 से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 466(1) के प्रभाव से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित तत्कालीन कंपनी विधि बोर्ड उस तारीख से ही विघटित हो गया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

2.4.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन दिनांक 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 1933(अ) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन किया है। इससे पहले प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन 14 अक्तूबर, 2003 को प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट) का गठन किया गया था जिसके पास भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्देशों या निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने और आयोग के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले हर्जाने के दावों पर निर्णय करने का अधिकार था। भारतीय प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण को 26 मई, 2017 से समाप्त कर दिया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन अपील से संबंधित कार्य अब एनसीएलएटी को भेजे जाएंगे।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.5.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च, 2009 में विधिवत् रूप से की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैः

क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना;

ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सुस्थिर बनाना;

ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षणय और

घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

2.5.2 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विलयन या संयोजन नियमित करने का और यदि उसका यह मत हो कि किसी विलयन या समामेलन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव' है या पड़ने की संभावना है तो समाप्त करने का अधिकार है।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय

2.6.1 गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की स्थापना दिनांक 02 जुलाई, 2003 के एक संकल्प द्वारा की गई थी और इसे अब सांविधिक दर्जा दे दिया गया है। यह एक बहु–विषयक जांच एंजेसी है जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे लेखाकारिता, फोरेंसिक लेखापरीक्षा, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी विधि, पूंजी बाजार, बैंकिंग, कराधान इत्यादि, इत्यादि का पता लगाने और अभियोजित करने अथवा इनके संबंध में अभियोजन के लिए सिफारिश करना।

2.6.2 इसका अध्यक्ष निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के हैं। निदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, अभियोजक और अन्य सचिवीय स्टाफ है। एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई, नई दिल्ली, चौन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं।

2.6.3 किसी कंपनी के मामलों की जांच एसएफआईओ को निर्दिष्ट की जाती है जहां सरकार की यह राय हो कि इस कंपनी के कार्यों की जांच करना अनिवार्य है :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 की धारा के अधीन रजिस्ट्रार अथवा निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत;

(ख) किसी कंपनी द्वारा पारित एक विशेष संकल्प की इस सूचना पर कि इसके कार्यों की जांच किया जाना अपेक्षित है;

(ग) सार्वजनिक हित मेंय अथवा

(घ) केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के किसी विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर।

2.6.4 विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अधिसूचित पदाभिहित विशेष न्यायालयों की सूची **अनुलग्नक–II** पर उपलब्ध है।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

2.7.1 भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना एक 'विचार मंडल', कार्य अनुसंधान, सेवा सुपुर्दगी और क्षमता निर्माण संस्थान के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य सरकार, कारपोरेट संस्थानों और अन्य पक्षकारों के बीच भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हुए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना है। आईआईसीए की अध्यक्षता महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। वर्ष 2008 में एक सोसायटी के रूप में इसके प्रारंभ से, इस संस्थान ने अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.7.2 वर्ष के दौरान, आईआईसीए ने अनेक उल्लेखनीय कार्यकलापोंध्कार्यक्रमों में योगदान किया है, प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर अवार्ड दिनांक 29 अक्तूबर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संचालित किया था। यह पुरस्कार समावेशी समृद्धि और समावेशी और दीर्घकालीन विकास प्राप्त करने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के क्षेत्र में कारपोरेट पहलों की मान्यता के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इस समारोह में भारत के राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री इंजेटी श्रीनिवास और उद्योग जगत के नेताओं के अलावा डीजी एवं सीईओ, आईआईसीए, डॉक्टर समीर शर्मा उपस्थित थे। राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार समारोह के दौरान अनेक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी, सीएसआर व्यवसायिक उपस्थित थे।

2.7.3 वर्ष के दौरान, आईआईसीए के लिए दूसरा प्रमुख मील का पत्थर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक का सृजन था। एमसीए को आईआईसीए के साथ लगभग दो लाख स्वतंत्र निदेशकों को रजिस्ट्रीकृत करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें अत्याधुनिक प्रशिक्षण और समय–समय पर जानकारी प्रसारित की जा सके। इसी बीच, एक समन्वयक और शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कार्य करते हुए, मंत्रालय ने ई–लर्निंग पाठ्यक्रमों की परस्पर क्रिया और पुस्तकालय सुविधा प्रदान करने के लिए एक समेकित शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों की क्षमता निर्माण हेतु प्रावधान किया है। दिनांक 02 दिसंबर, 2019 को (https://www-independentdirectorsdatabank-in/) नामक एक समर्पित वेबसाइट आरंभ की है। यह डाटा बैंक स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र और इच्छुक व्यक्तियों के लिए वन स्टॉप रिपॉजिस्टरी के रूप में कार्य करेगा।

2.7.4 दिवाला अनुसंधान प्रतिष्ठान (आईआरएफ), जिसका दिनांक 02 अगस्त, 2019 को माननीय भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया, आईआईसीए के

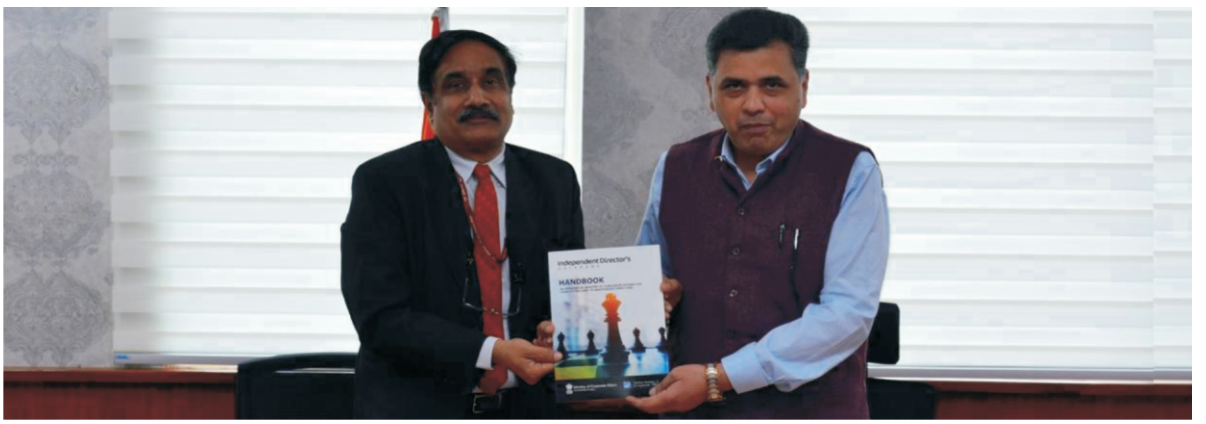

सचिव, एमसीए और डीजी एवं सीईओ, आईआईसीए द्वारा स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक ई–लांच और हेंडबुक का विमोचन करते हुए

एक एसपीवी और आईआईसीए के परिसर में स्थित सोसायटी ऑफ इंसोल्वेंसी प्रेक्टिसनर्स ऑफ इंडिया (एसआईपीआई) के रूप में स्थापित किया गया है जो दिवाला के क्षेत्र में स्वतंत्र अनुसंधान के प्रयोजनार्थ समर्पित है। यह ग्रेजुएट इंसोल्वेंसी प्रोग्राम (जीआईपी) की सहायता करके, तकनीकी लेख ऋंखला, पत्रिकाएं, मामला अध्ययन इत्यादि जारी करके प्रारंभिक परियोजनाओं के साथ दिवाला के क्षेत्र में विभिन्न अंतरालों को पूरा करेगा।

2.7.5 यह संस्थान ग्रेजुएट इंसोल्वेंसी प्रोग्राम (जीआईपी), उन लोगों के लिए इस प्रकार का प्रथम जो कैरियर के रूप में इंसोल्वेंसी वृत्तिक का अध्ययन करने के इच्छुक और

दिनांक 02 अगस्त, 2019 को माननीय भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिवाला अनुसंधान प्रतिष्ठान का उद्घाटन

भारत में तथा विदेशी क्षेत्राधिकारों में मूल्य ऋंखला में अन्य भूमिका अदा करने का प्रयास करते हैं, भी संचालित कर रहा है। जुलाई, 2019 से जीआईपी का प्रथम बैच आरंभ हुआ था और यह एक वार्षिक आवृत्ति प्रोग्राम के रूप में जारी रहेगा जो आगामी वर्षों में आईआईसीए के लिए राजस्व के एक सतत् स्रोत के रूप में जारी रहेगा। ऐसा कोई छात्र जो जीआईपी पूर्ण कर लेता है, वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत मौजूदा संहिता द्वारा यथा अपेक्षित दस वर्ष का अनुभव अर्जित करने की प्रतीक्षा किए बिना एक दिवाला वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा।

2.7.6 आईआईसीए ने कारपोरेट मामलों और एमसीए और इसके संबद्ध निकायों जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्राधिकरण (एनएफआरए) और वृत्तिक संस्थान (आईसीएआई), आईसीएमएआई, आईसीएसआई के लिए नीतिगत सहायता के क्षेत्र में एक विचार मंडल के रूप में स्वयं को विकसित करने के अथक प्रयास किए थे। इस प्रयास के भाग के रूप में, आईआईसीए क्षेत्र विशिष्ट अनुसंधान पीठें स्थापित करने के लिए विभिन्न निकायों के साथ संपर्क बनाए हुए है। इस समय, निम्नलिखित अनुसंधान पीठें आईआईसीए में अनुमोदित कर दी गई हैं:

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
- भारतीय रिजर्व बैंक

2.7.7 आईआईसीए कारपोरेट गर्वनेंस, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, स्वतंत्र निदेशक, प्रतिस्पर्धा मुद्दों इत्यादि जैसे कारपोरेट सैक्टर के संगत मुद्दों पर विभिन्न पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है।

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि

2.8.1 विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने और निवेशकों के दावों की वापसी करने के उद्देश्य से किया गया था। यह निधि भारत की संचित निधि के अधीन रखी जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार सभी शेयरों जिनके संबंध में लगातार सात वर्ष या अधिक समय से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

2.8.2 इस निधि के प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार ने 07 सितंबर, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष, सात सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। सचिव, एमसीए इस अधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016

2.9.1 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) शासकीय राजपत्र में 28 मई, 2016 को प्रकाशित की गई और 01 अगस्त, 2016 को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 संशोधित किए गए और अधिसूचित किए गए जिनमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस संहिता के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), दिवाला वृत्तिक (आईपी), दिवाला वृत्तिक एजेंसियां (आईपीए) और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के रूप में दिवाला व्यवस्था पारितंत्र कार्य करता है। इस संहिता में यथा अंतर्विष्ट दिवाला समाधान और कारपोरेट व्यक्तियों के लिए परिसमापन से संबंधित प्रावधान संगत नियमों और विनियमों के साथ प्रभावी बनाए गए हैं।

2.9.2 यह संहिता दिनांक 18 जनवरी, 2018, 06 जून, 2018 और 16 अगस्त, 2019 को आस्तियों को बोली लगाने से चूककर्ता प्रायोजकों को निषिध करने, गृहक्रेताओं को वित्तीय लेनदारों के रूप में मानना, एमएसएमई के लिए विशेष छूट, समाधान योजना के भाग के रूप में विलयों, डी–मर्जरों, समामेलनों इत्यादि जैसी व्यापक कारपोरेट पुनरूसंरचना योजनाओं को अनुमति देने पर स्पष्टता, मुकदमेबाजी और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं इत्यादि सहित 330 दिवस की समग्र सीमा के भीतर सीआईआरपी को पूर्ण करने हेतु समयसीमा के लिए दिवाला विधि समिति की अनुशंसा के आधार पर धारा 29क को जोड़ कर के परिवर्तन लाने के लिए संशोधित किया गया है।

2.9.3 सरकार ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एक से अधिक क्षेत्राधिकार में कारपोरेट कारबार व्यवसायों और अनेक क्षेत्राधिकारों में फैली हुई आस्तियों पर भी ध्यान रखते हुए एक व्यापक विधिक रूपरेखा प्रदान करने के लिए दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भीतर सीमा–पार दिवाला संबंधी एक अध्याय को आरंभ करने के संबंध में पहल की है। सीमा–पार आईएलसी की रिपोर्ट मसौदा प्रकाशन तथा विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के पश्चात् दिनांक 16 अक्तूबर, 2016 को प्रस्तुत कर दी गई है।

2.9.4 माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्विस रिबंस प्रा. लि.

बनाम भारत संघ और पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. बनाम भारत संघ के मामले में इस संहिता की सांविधिक वैधता का समर्थन किया है तथा देश में दिवाला व्यवस्था का दायरा बढाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की है।

2.9.5 एमसीए ने इस संहिता के कार्यान्वयन में शामिल मुद्दों की प्रगतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 06 मार्च, 2019 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु स्थायी समिति के रूप में दिवाला विधि समिति का पुर्नगठन कर दिया है। इस संहिता के कार्यकरण और कार्यान्वयन का विश्लेषण करने के अतिरिक्त, यह समिति समूह दिवाला और दिवाला समाधान तथा व्यक्तियों के लिए शोधन अक्षमता रुपरेखा तथा भागीदारी फर्मों का भी अध्ययन करेगी और इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की अनुशंसा करेगी। यह समिति ऐसी अन्य संगत सिफारिश भी कर सकती है जिसे वह उपयुक्त समझे।

2.9.6 दिनांक 01 दिसंबर, 2016 से कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के प्रावधानों के प्रभावी हो जाने से 2838 कारपोरेट लेनदार (सीडी) को अक्तूबर, 2019 की समाप्ति तक सीआईआरपी में प्रवेश दिया गया था। इनमें से, 190 अपील अथवा समीक्षा या निपटान या अन्य कारणों से बंद कर दिए गए थेय 116 मामले धारा 12क के अंतर्गत वापस ले लिए गए थेय 649 परिसमापन में समाप्त हुए थे और 161 समाधान योजनाओं के अनुमोदन में समाप्त हुए थे।

व्यावसायिक संस्थान

2.10.1 यह मंत्रालय संसद के अधिनियमों के अधीन गठित तीन व्यवसायिक संस्थानों नामतः भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के माध्यम से लेखाकारिता (चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949)य लागत लेखाकारिता (लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959)य और कंपनी सचिव (कंपनी सचिव अधिनियम, 1980)य के व्यवसायों का नियमन करने वाले कानूनों का प्रशासन करता है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

2.11.1 भारत सरकार ने अधिसूचना सं.5099(अ) के जरिए दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) गठित किया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अनुसरण में, सरकार ने इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा 2 और 4 के अंतर्गत, सरकार ने दिनांक 13 नवंबर, 2018 की अधिसूचना सा.का.नि. 1111(अ) के जरिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 अधिसूचित किए थे।

2.11.2 एनएफआरए का उद्देश्य भारत में सभी कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को सतत् रूप से सुधारना है। कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता आवश्यक रूप से विधि के इसके अनुपालन और वैधानिक रूप से अधिसूचित लेखाकारिता मानकों और लेखापरीक्षा मानकों द्वारा मापी और मूल्यांकित की जाएगी। एनएफआरए सभी प्रकार के सार्वजनिक हित निकायों (पीआईई) और सभी श्रेणियों की लेखापरीक्षा फर्मों की कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग को सतत् रूप से सुधारने का प्रयास करेगी।

2.11.3 एनएफआरए का उद्देश्य सत्यनिष्ठा, परिश्रम और क्षमता के लिए प्रसिद्ध एक संगठन बनना है। व्यक्ति जो एनएफआरए के लिए कार्य करते हैं, अटल सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का अनुसरण, कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को रूपांतरित करने की एक दृष्टि रखने और पहल के उच्च स्तर प्रदर्शित करने और अपने कार्य के लिए अथक प्रयास करेंगे।

2.11.4 एनएफआरए का कार्यकरण सभी समय व्यापार

करने के मामले और गति को बढाने संबंधी आवश्यकता का ध्यान रखेगा और अपने विधिक अधिदेश के भीतर विहित और समाविष्ट अपने सभी कार्यों का सख्ती से समग्र जनहित द्वारा सदैव मार्गदर्शित होगा।

2.11.5 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 28 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.1068(अ) के जरिए सात अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए हैं। एनएफआरए के अध्यक्षता में दिनांक 14 मार्च, 2019 को एनएफआरए की एक बैठक संपन्न हुई थी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के लिए निम्नलिखित विभिन्न अनुशंसाए की;

i. इंड एएस116 की अधिसूचना (पट्टों के लिए लेखाकारिता से संबंधित)

ii. इंडएएस 12, 19, 28 और एएस–119 के संबंध में संशोधनों की अधिसूचना।

2.11.6 संगत लेखाकारिता मानक दिनांक 30 मार्च, 2019 की कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि.273(अ) के जरिए कंपनी (भारतीय लेखाकारिता मानक) संशोधन नियम, 2019 के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए थे। उक्त नियम 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हुए।

****

अध्याय–III

कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन

3.1.1 कंपनी अधिनियम द्वारा कंपनियों के निगमन, प्रचालन, शासन, परिसमापन और समापन सहित अनेक कार्यकलापों को विनियमित किया जाता है। कारपोरेट शासन का विनियमन, और कंपनियों के शेयरधारकों के प्रति उनकी बाध्यताएं, अधिमान शेयर जारी करने के संचालन संबंधी शर्तें, निजी स्थापन और लाभांश के वितरण, सांविधिक प्रकटीकरण बाध्यताएं, निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन के अधिकार और कंपनी प्रक्रियाएं जैसे विलय/समामेलन/व्यवस्था/पुनर्गठन आदि जैसे विषय अधिनियम के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं।

नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना

3.2.1 01 नवंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान, मंत्रालय ने 62 अधिसूचनाएं और 17 सामान्य परिपत्र जारी किए थे (क्रमशः **अनुलग्नक III** और **IV**)।

कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण

3.3.1 दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 1,944,336 कंपनियां रजिस्ट्रीकृत थीं। इनमें से, 1,156,114 कंपनियां (जिसमें 10,90,762 निजी कंपनियां और 65,352 सार्वजनिक कंपनियां शामिल हैं) सक्रिय थीं। अधिकांश सक्रिय कंपनियां (लगभग 73.54:) अन्य के साथ–साथ मुख्य रूप से चार शीर्षों के अधीन शामिल कार्यकलापों में प्रचालन कर रही थीं, अर्थात्, 'व्यवसाय सेवाएं' (32.27:), 'विनिर्माण' (19.96:), 'व्यापार' (12.82:) और 'निर्माण' (8.49:)। व्यवसाए सेवाओं में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, डाटा प्रोसेसिंग, अनुसंधान और विकास, विधि, लेखांकन और लेखापरीक्षा सेवाएं, व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श और विज्ञापन आदि शामिल हैं। विनिर्माण में अन्य बातों के साथ–साथ खाद्य उत्पाद, वस्त्र, कागज का निर्माण, धात्विक और अधात्विक खनिज उत्पाद, रसायन और पेट्रो रसायन, रेडियो, टेलिविजन, परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं।

तालिका 3.1

दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, आर्थिक कार्यकलापवार सक्रिय कंपनियां

क्र. सं.	आर्थिक कार्यकलाप	प्राइवेट		पब्लिक		कुल	
		संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
I	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	32,646	24,690.33	2,248	34,357.69	34,894	59,048.02
II	उद्योग	328,913	1,163,855.51	24,331	2,706,641.22	353,244	3,870,496.73
1.	विनिर्माण	212,902	675,402.25	17,816	1,064,145.03	230,718	1,739,547.29
i	*मेटल्स और कैमिकल्स तथा उनके उत्पाद*	73,225	279,572.57	7,709	425,334.33	80,934	704,906.90

क्र. सं.	आर्थिक कार्यकलाप	प्राइवेट		पब्लिक		कुल	
		संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
ii	*मशीनरी और उपकरण*	50,347	255,723.75	3,362	506,987.00	53,709	762,710.76
iii	*वस्त्र*	28,812	39,101.10	2,667	56,251.64	31,479	95,352.73
iv	*खाद्य सामग्री*	30,150	61,049.51	2,391	42,364.64	32,541	103,414.15
v	*कागज और उत्पाद, प्रकाशन, छपाई और रिकार्डेड मीडिया का पुनः उत्पादन*	13,795	15,547.67	837	16,291.27	14,632	31,838.94
vi	*अन्य*	11,394	17,204.14	489	13,496.37	11,883	30,700.51
vii	*चमड़ा और उसके उत्पाद*	2,744	3,625.51	186	2,025.41	2,930	5,650.92
viii	*लकड़ी उत्पाद*	2,435	3,578.01	175	1,394.38	2,610	4,972.38
2.	निर्माण	93,991	246,764.76	4,143	307,880.07	98,134	554,644.84
3.	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	11,724	195,504.31	1,653	1,264,347.17	13,377	1,459,851.47
4.	खनन और उत्खनन	10,296	46,184.18	719	70,268.95	11,015	116,453.13
III	सेवाएं	717,588	1,310,574.48	36,421	1,853,086.26	754,009	3,163,660.74
	व्यवसाय सेवाएं	363,224	485,233.34	9,904	742,437.79	373,128	1,227,671.12
ii	व्यापार	142,443	271,926.44	5,794	106,010.70	148,237	377,937.15
iii	स्थावर संपदा व किराए	63,756	101,625.98	2,643	56,403.71	66,399	158,029.70
iv	*वित्त*	36,085	199,197.98	12,581	451,381.44	48,666	650,579.42
v	परिवहन, भंडारण और संचार	34,267	152,155.63	1,447	298,264.68	35,714	450,420.31
vi	बीमा	824	1,185.17	145	54,185.41	969	55,370.58
IV	अन्य	11,615	48,067.05	2,352	141,008.20	13,967	189,075.25
कुल		10,90,762	25,47,187.36	65,352	47,35,093.38	11,56,114	72,82,280.74

चार्ट 3.1 दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, सक्रिय कंपनियों का क्षेत्र-वार वितरण दर्शाता है।

चार्ट 3.1

सक्रिय कंपनियों का क्षेत्रवार वितरण (31 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार)

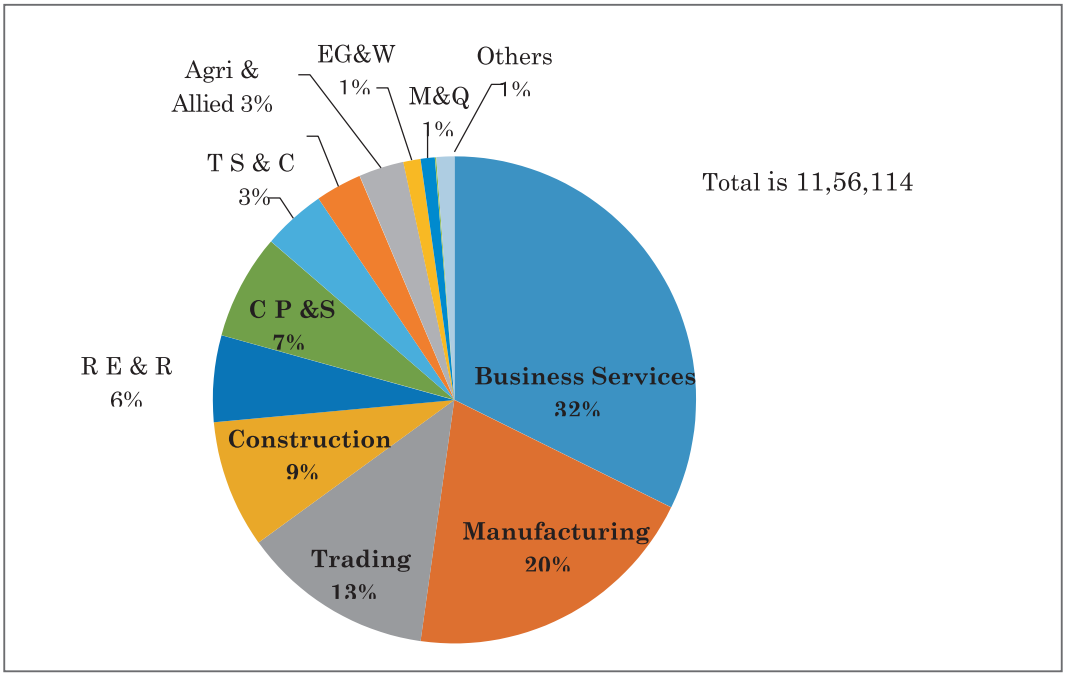

'ईजी एंड डब्ल्यू' विद्युत, गैस और जल आपर्ति,'टीएस एंड सी' परिवहन, भंडारण एंव संचार है, 'सीपीएंडएस' सामुदायिक निजी और सामाजिक सेवाएं हैं, आरई एंड आर' स्थावर संपदा और किराए है।

3.3.3 दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान, कुल 1,15,384 कंपनियां रजिस्ट्रीकृत हुई जिनकी समेकित प्राधिकृत पूंजी 36,483.27 करोड़ रूपए थी। इनमें से 60 सरकारी कंपनियां थीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी 6,405.03 करोड़ रुपए थी और 1,15,324 गैर–सरकारी कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी 30,078.24 करोड़ रुपए थी।

एकल व्यक्ति कंपनी

3.3.4 कंपनी अधिनियम, 2013 से भारत में एकल व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) की संकल्पना की शुरूआत हुई है। दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान, 142.49 करोड़ रुपए की समेकित प्राधिकृत पूंजी के साथ कुल 5,199 एकल व्यक्ति कंपनियां रजिस्ट्रीकृत की गई थी। **चार्ट 3.2** दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान, रजिस्ट्रीकृत एकल व्यक्ति कंपनियों का क्षेत्र–वार वितरण दर्शाता है।

चार्ट 3.2

एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) का क्षेत्र–वार वितरण

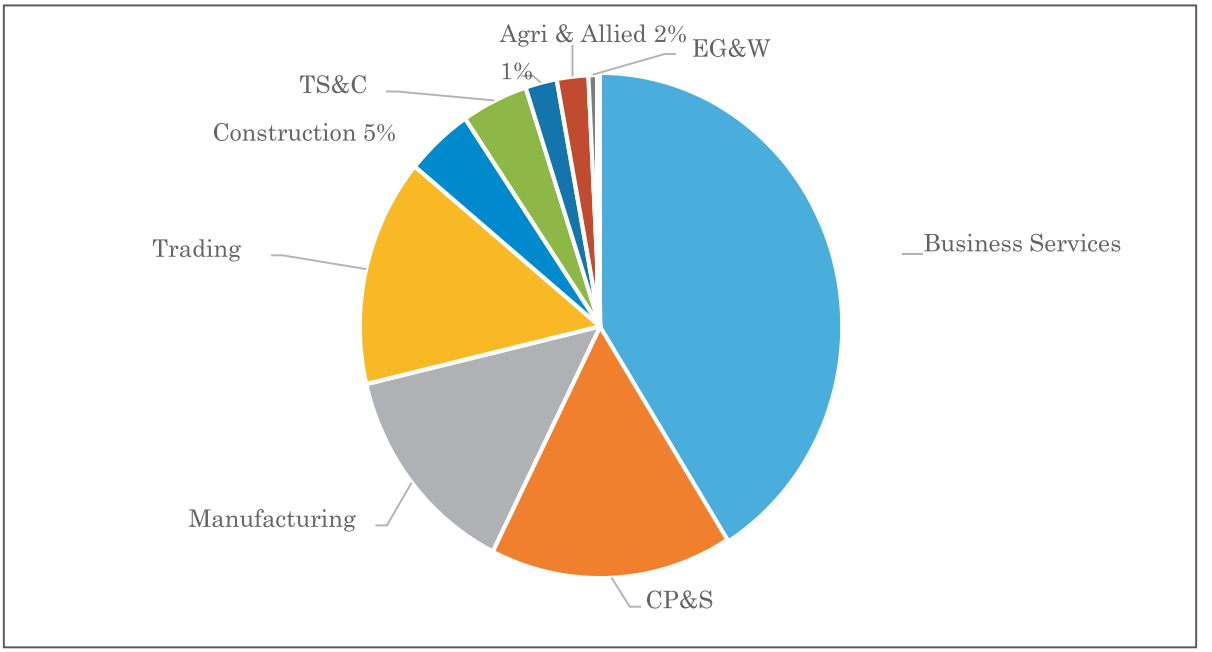

टीएस एंड सी' परिवहन, भंडारण एंव संचार, 'सीपीएंडएस' सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं, आरई एंड आर' स्थावर संपदा और किराए है।

विदेशी कंपनिया

3.3.5 दिनांक 30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनियों की कुल संख्या 4,836 थीं जिनमें से 3,388 विदेशी कंपनियां सक्रिय थीं। दिनांक 01 दिसबंर, 2018 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कुल 119 विदेशी कंपनियां रजिस्ट्रीकृत की गईं।

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक

3.4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 की **अनुसूची–V** के साथ पठित धारा 196 के अधीन किसी कंपनी में प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित सांविधिक आवेदनों का निपटान करता है।

3.4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–ट के साथ पठित धारा 196 और 197 के अधीन 01 अप्रैल, 2019 से 31 अक्तूबर, 2019 के दौरान, कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए और 01 अप्रैल, 2019 तक 35 आवेदन लंबित थे। कुल 92 आवेदनों में से, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के दौरान 15 आवेदन निपटाए गए और 31 अक्तूबर, 2019 तक 77 आवेदन लंबित थे।

कंपनियों का परिसमापन

3.4.3 दिनांक 01 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, 5,309 कंपनियां परिसमापनाधीन थीं; इनमें से 449 कंपनियां सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रियाधीन थीं, 1 कंपनी लेनदारों की स्वेच्छा से परिसमापनाधीन थी और 4,573 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने के प्रक्रियाधीन थी। 01 नवंबर, 2018 से 31

अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान, 246 कंपनियों का परिसमापन किया गया। कुल 5,309 कंपनियों में से, 01 नवंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान, 444 कंपनियों का अंतिम रूप से विघटन किया गया। 31 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, 4,865 कंपनियां अभी भी परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। जिनमें से 398 कंपनियां में सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने, 1 कंपनी लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से और 4,466 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने की प्रक्रिया में थीं।

सरकारी कंपनियों का विलय

3.4.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के अधीन, अधिकरण से प्राप्त नोटिसों के संबंध में, 31 अक्तूबर, 2018 तक 424 आवेदन लंबित थे। इस अवधि के दौरान, 1091 आवेदन प्राप्त हुए थे। 01 नवंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान, 966 आवेदन निपटाए गए थे। 01 नवंबर, 2019 तक 549 आवेदन लंबित थे।

अधिकरण से प्राप्त नोटिस

3.4.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के अधीन, (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन), 01 नवंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान केवल 5 आवेदन प्राप्त हुए थे और 31 अक्तूबर, 2018 तक 10 आवेदन लंबित थे। 01 नवंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 की अवधि के दौरान, 11 आवेदन निपटाए गए थे। 01 नवंबर, 2019 तक, 4 आवेदन लंबित थे।

क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा प्राप्त आवेदन

3.4.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के अधीन (लघु कंपनियों अथवा धारिता के बीच और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का समामेलन), 01 नवंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 के दौरान, केवल 347 आवेदन प्राप्त हुए थे और 31 अक्तूबर, 2018 तक 83 आवेदन लंबित थे। 01 नवंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 के दौरान, 342 आवेदन निपटाए गए थे। 01 नवंबर, 2019 तक, 88 आवेदन लंबित थे।

वार्षिक आम अधिवेशन के स्थान में परिवर्तन

3.4.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अधीन केंद्रीय सरकार के पास वार्षिक आम अधिवेशन का स्थान कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थान के अलावा कहीं अन्यत्र परिवर्तित करने का अनुमोदन देने की शक्ति है।

विलंब की माफी

3.4.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460(ख) के अधीन (कुछ मामलों में विलंब की माफी), जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष दायर किए जाने हेतु अपेक्षित किसी दस्तावेज को विनिर्दिष्ट समय के भीतर दायर नहीं किया जाता है, के संबंध में विलंब की माफी मांगी जाती है तो केन्द्रीय सरकार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ विलंब के लिए क्षमा कर सकती है। दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2019 के दौरान कुल 1544 आवेदन प्राप्त हुए और 01 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार 214 आवेदन लंबित थे। कुल आवेदनों में से 800 आवेदनों का निपटान किया गया और दिनांक 30 नवंबर, 2019 तक 205 आवेदन लंबित थे।

संवीक्षा

3.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 की उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार को किसी कंपनी से संबंधित सूचना, स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगने का अधिकार है।

3.5.2 मंत्रालय ने 31 मार्च, 2011 और उसके बाद के वर्षों के लिए कंपनियों के कुछ वर्गों द्वारा विस्तारणीय कारोबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) मोड में तुलनपत्र फाइल करना अनिवार्य किया है।

3.5.3 कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनियों द्वारा फाइल किए गए तुलनपत्रों और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करता है:

(i) कंपनियों द्वारा एक्सबीआरएल मोड पर फाइल किए गए तुलनपत्रों के विश्लेषण के संबंध में एमसीए21 प्रणाली द्वारा सूचित चेतावनियांय

(ii) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में योग्यताएं;

(iii) कंपनियों द्वारा पब्लिक इश्यू और जमाओं के माध्यम से उगाही गई निधियां;

(iv) कंपनियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें; और/या

(v) अन्य विनियामक प्राधिकरणों अर्थात् सेबी, आरबीआई, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार से प्राप्त संदर्भ।

3.5.4 मंत्रालय में 01 दिसंबर, 2018 से 7 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान, 583 संवीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

निरीक्षण

3.6.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) कंपनी रजिस्ट्रारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने के लिए कंपनी की लेखा–बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच करने, कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश देने और अभियोजन चलाने का अधिकार देती है। मंत्रालय को दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 7 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान, 182 निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

जांच

3.7.1 केंद्रीय सरकार के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के अधीन, यदि यह मत हो कि निम्नलिखित कारणों के आधार पर जांच आवश्यक है, तो कंपनी के कार्यों की जांच के आदेश देने का अधिकार है:

(क) धारा 208 के अधीन आरओसी की निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर; या

(ख) कंपनी के इस विशेष संकल्प कि इसके कार्यों में जांच की आवश्यकता है, के आधार पर; या

(ग) न्यायिक आदेशों के आधार पर; या

(घ) जनहित में।

3.7.2 केंद्रीय सरकार धारा 210 के अधीन जांच करने के लिए एक या एक से अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। केंद्रीय सरकार ने दिनांक 12 जुलाई, 2003 के संकल्प द्वारा, कारपोरेट कपट संबंधी मामलों की जांच करने हेतु गंभीर अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) का गठन किया था। एसएफआईओ को धारा 211 द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया है। धारा 210 के अधीन एसएफआईओ को निम्नलिखित मामलों में जांच करने के लिए कहा जा सकता है:

(i) जटिलता, और अंतर–विभागीय और बहु–विषयक समस्याओं वाले मामले;

(ii) जनहित का महत्वपूर्ण योगदान जिसका आकलन आकार के आधार पर किया जाना है, जो नकदी दुरूपयोग या प्रभावित व्यक्ति के अनुसार होगा; और

(iii) प्रणालियों, कानूनों और प्रक्रियाओं में स्पष्ट सुधार के उद्देश्य से, या उसमें सहयोग देने के उद्देश्य से जांच की संभावना।

3.7.3 केंद्रीय सरकार ने 1 दिसंबर, 2018 से 7 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान एसएफआईओ और प्रादेशिक निदेशक कार्यालयों (एसएफआईओ के माध्यम से 33 कंपनियां और आरडी के माध्यम से 164 कंपनियां) के माध्यम से 67 कंपनियों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पिछले वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए जांच के

आदेशों में से, वर्ष के दौरान आरडी द्वारा 44 कंपनियों के मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। दिनांक 7 नवंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, 179 कंपनियों के मामलों में जांच की जा रही थी।

शिकायतें

3.8.1 मंत्रालय में कंपनियों के विरूद्ध विभिन्न स्वरूप की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन्हें कंपनी रजिस्ट्रारों के लिए समुचित कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषितध्मार्क किया जाता है।

3.8.2 आरओसी से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, उपयुक्त मामले में, मंत्रालय समुचित कार्रवाई करता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(4) के अधीन कंपनियों के तुलनपत्रों और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए आदेश जारी करना,

(ii) इस अधिनियम की धारा 206(5) के अधीन लेखाबहियों और अभिलेखों का निरीक्षण,

(iii) इस अधिनियम की धारा 210 और 212 के अधीन कंपनियों के कार्यों की जांच करना,

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 के अनुसार, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) स्थापित किया गया है और यह अन्वेषण के जटिल मामले में जांच करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है। एसएफआईओ को जांच की शक्ति प्रदान कर दी गई है।

(v) अभियोजन आरंभ करना जहां कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन औरध्अथवा कंपनिया/सेबी, आरबीआई इत्यादि सहित भारत सरकार के विभाग।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत कार्रवाई

3.9.1 मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(ग) के अधीन कंपनियों को हटाने के लिए अभियान–ppp आरंभ किया है। आरआरओसी ने 2,06,000 कंपनियों की पहचान कर ली है जिन्होंने क्रमिक रूप से दो वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी औरध्अथवा तुलनपत्र अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18, फाइल नहीं किए हैं जबकि 41,767 कंपनियों को हटाए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, आरओसी द्वारा नियमानुसार विलोपन नियम बनाए जाएंगे।

अभियोजन

3.10.1 कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर, कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा कंपनियों के विरूद्ध अभियोजन फाइल किए जाते हैं। दिनांक 01 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा फाइल 39,410 अभियोजन न्यायालयों में लंबित थे। वर्ष 2019–20 के दौरान (31 अक्तूबर, 2019 तक), 2008 नए अभियोजन फाइल किए गए थे। दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल 41,418 मामलों में से, 7,536 अभियोजनों का निपटान किया गया और 33,882 अभियोजन लंबित थे।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

3.11.1 दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान, 53 सदस्यों (अध्यक्ष सहित ने) 13 स्थानों पर कार्यरत 27 न्यायालय लगाए। आलोच्य अवधि के दौरान, कटक, कोच्चि, अमरावती (हैदराबाद में) और इंदौर (अहमदाबाद में) नई शाखाओं ने कार्य करना आरंभ कर दिया। शाखाओं की सूची **अनुलग्नक–V** पर दी गई है।

3.11.2 दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान, मामलों का संस्थापन, निपटान और लंबित निम्न **सारणी 3.2** में दिया गया है:

सारणी 3.2

एनसीएलटी में मामलों की फाइलिंग/निपटान

मामले	नई फाइलिंग	निपटाए गए	31 अक्तूबर 2019 तक लंबित
विलय और समामेलन	2,418	2,176	1,871
आईबीसी (उच्च न्यायालय से अंतरित होने के उपरांत प्राप्त सहित नई फाइल किंतु इसमें अन्य शाखाओं से अंतरित होने पर प्राप्त शामिल नहीं है)	12,089	7,365	11,336
अन्य	5,226	4,343	7,058
कुल	**19,733**	**13,884**	**20,265**

3.11.3 दिनांक 21, 22 और 23 नवंबर, 2018 चंडीगढ जुडीशियल अकादमी, चंडीगढ में एनसीएलटी के माननीय सदस्यों की छठी औपचारिक वार्तालाप संपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी:—

(क) कारपोरेट दिवाला कानून सामान्य विधि के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों, आईबीसी के अंतर्गत दिवाला/परिसमापन अवधि को मान्यता प्रदान करता है।

(ख) संविदा विधि, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, वस्तु बिक्री अधिनियम, परक्राम्य संलेख अधिनियम, फेरा।

(ग) सानुरोध याचना साक्ष्य प्रक्रिया, न्यायालय कपट और अन्य संबंधित मुद्दे।

(घ) आईबीसी की धारा 31 और 33 के अंतर्गत आवेदन, नवीनीकरण के सामान्य सिद्धांत, नवीनीकरण में न्यायधीशों की भूमिका।

(ड़) आईबीसी की धारा 31 और 33 के अतंर्गत आवेदन की स्वीकृति के पश्चात्वसूली और व्यवहारिक कठिनाइयों में न्यायालय की भूमिका एनसीएलटी न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के आदेश और निदेश का कार्यान्वयन।

(च) आईबीसी में नवीनतम संशोधन। आईबीसी के अंतर्गत न्यायशास्त्र का विकास, उच्चतम न्यायालय केनिर्णय/गृह क्रेता विषय सहित एनसीएलएटी/एनसीएलटी, निर्योग्यता धारा 29क और कपटपूर्ण कारबार।

(छ) नवीनतम अध्यादेश द्वारा अंतर्विष्ट हाल ही के संशोधनों के आलोक में समझौता।

(ज) निर्णय लेखन दृ मानक अभिव्यक्ति और अन्य संबंधित मुद्दें।

(झ) समामेलन, विलय और डिमर्जर दृ बैठक आयोजित करने अथवा समाप्त करने की आवश्यकता, लेखाकारिता मानक, आरडी, ओएल, आरबीआई और सेबी इत्यादि की भूमिका।

(ञ) समामेलन मामलों में आयकर अधिनियम की प्रासंगिकता।

(ट) उत्पीड़न और कुप्रबंधन।

(ठ) वर्ग कार्रवाई और लोकहित, जांच और विनिधानकर्ता के अधिकार (धारा 74 इत्यादि)।

3.11.4 01 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित ढांचा विकसित किया गया है:

1. कटक और कोच्चि में एनसीएलटी की शाखाओं के लिए ले–आउट प्लान और ड्राविंग अनुमोदित करके जिसका 15 मार्च, 2019 को कटक शाखा तथा 03 अगस्त, 2019 को कोच्चि शाखा का उद्घाटन हुआ था, ढांचा विकसित करने के लिए इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:–

2. एनसीएलटी, नई दिल्ली में ई–गवर्नेंस में 01 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान की गई प्रगति निम्नानुसार है:–

(क) मैनुअल मुकदमा सूची के साथ ई–मुकदमा सूची सृजित की जा रही है।

(ख) याचिका/आवेदन की भौतिक प्रतियों के साथ डिजिटल फाइलों की प्रस्तुति को अनिवार्य बना दिया गया है।

(ग) सूचीबद्ध किए जा रहे मामलों से संबंधित पक्षों को एसएमएस/ई–मेल दैनिक आधार पर भेजे जाते हैं।

(घ) फाइलिंग काउंटर पर प्राप्त सभी याचिकाओं/आवेदनों को ई–फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से भी फाइल किया जाता है, इसके लिए मेटा डाटा सामानांतर रूप से सृजित किया जाता है।

(ङ) ई–फाइलिंग आवेदन जनता की पहुंच के लिए जारी किया गया और दिनांक 01.01.2019 से ई–फाइलिंग को एनसीएलटी, नई दिल्ली में याचिका/आवेदन काउंटर पर प्राप्त करने से पूर्व अनिवार्य कर दिया गया है।

(च) आईबीसी के अंतर्गत 3,384 याचिकाएं और आवेदन तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1,384 याचिकाएं और आवेदन 01.12.2018 से 30.11.2019 तक ऑनलाइन प्राप्त हुए थे।

(छ) आम जनता के लिए अल्प समय सूचना के साथ एनसीएलटी वेबसाइट पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध है।

(ज) एनसीएलटी, नई दिल्ली में लंबित मामलों के लिए मेटा डाटा सृजन पूरा हो गया है।

3.11.5 एनसीएलटी, मुंबई शाखा में नए मामलों के लिए मेटा डाटा सृजन को मुंबई में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के साथ आरंभ कर दिया गया। अन्य स्थानों पर, कार्य आरंभ किया जा रहा है।

3.11.6 इलाहबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चौन्नई, मुंबई और चंडीगढ, बंगलुरू, जयपुर और हैदराबाद स्थानों पर एनसीएलटी शाखाओं में डिस्प्ले बोर्ड भी आम जनता के लिए अल्प समय सूचना के साथ उपलब्ध हैं। अन्य सभी स्थानों के लिए, अपेक्षित उपकरणों की संस्थापना और प्रापण पूरा हो गया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

3.12.1 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संगत प्रावधानों के अधीन 01 दिसंबर, 2016 से न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपील अधिकरण है।

3.12.2 एनसीएलएटी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 2(खक) एवं 53क, वित्त अधिनयम, 2017 की धारा 172 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 में किए गए संशोधनों के अनुसार, दिनांक 26 मई, 2017 से सीसीआई द्वारा जारी किसी दिशा–निर्देश या लिए गए निर्णय या पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान करने के लिए भी अपील अधिकरण है।

3.12.3 एनसीएलएटी के वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.जे. मुखोपाध्याय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इस समय, एनसीएलएटी में न्यायिक और तकनीकी सदस्य निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	नाम	सदस्य
1	माननीय श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.आई.एस. चीमा	सदस्य (न्यायिक)
2.	माननीय श्री न्यायमूर्ति (से.नि.) बन्सीलाल भट्ट	सदस्य (न्यायिक)
3	माननीय श्री न्यायमूर्ति (से.नि.) वेणुगोपाल एम.	सदस्य (न्यायिक)
4	माननीय श्री न्यायमूर्ति (से.नि.) जरत कुमार जैन	सदस्य (न्यायिक)
5	माननीय श्री बलविन्दर सिंह	सदस्य तकनीकी
6	माननीय श्री श्री कांति नरहरि	सदस्य तकनीकी
7	माननीय श्री विजय प्रताप सिंह	सदस्य तकनीकी
8	माननीय डॉ अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य तकनीकी

3.12.4 इस अधिकरण में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का एक रजिस्ट्रार पद भी है। इस समय, श्री पीयूष पांडेय, एडीजे, यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा, प्रतिनियुक्ति आधार पर, रजिस्ट्रार, एनसीएलएटी के पद पर कार्यरत हैं। एनसीएलएटी पं. दीनदयाल अन्तोदय भवन, तीसरा तल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में संचालित है।

3.12.5 एनसीएलएटी को (प) आईएंडबी संहिता, 2016, (पप) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, (पपप) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन क्षतिपूर्ति मामले और एमआरटीपी मामलों के अंतर्गत 31 अक्तूबर, 2019 तक, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 3,756 मामले प्राप्त हुए हैं। 31 अक्तूबर, 2019 तक, 2773 मामले निपटा दिए गए हैं और 983 मामले लंबित हैं।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच और अभियोजन

(क) जांच

3.13.1 दिनांक 1 दिसम्बर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान एसएफआईओ द्वारा मंत्रालय को 15 जांच रिपोर्टे प्रस्तुत की गई है जिनमें 377 कंपनियां शामिल हैं।

(ख) अभियोजन

3.13.2 दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 30 नवंबर, 2018 और 01 दिसंबर, 2018 से 12 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान विभिन्न पदाभिहित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या निम्नलिखित है:

तालिका 3.3

विभिन्न पदाभिहित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या

अवधि	दायर अभियोजनों की संख्या			दायर अभियोजनों की कुल संख्या
	कंपनी विधि/आईपीसी	आईसीएआई/ आईसीएसआई	सीएलबी/एन सीएलटी/एन सीएलएटी	
दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से नवंबर 2018 तक	6	6	0	12
दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से नवंबर 2019 तक	12	18	19	49

लागत लेखा परीक्षा

3.14.1 इस अवधि के दौरान, कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 की पुनरीक्षा इन नियमों में अधिक स्पष्टता लानेध्अस्पष्टता हटाने और तर्क संगत बनाने के लिए की गई। तद्नुसार, दिनांक 03 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1157(अ) द्वारा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2018 अधिसूचित किए गए।

3.14.2 कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रारंभ करने और नियमोंध्ई–प्ररूपोंध्प्रारूपों आदि में अन्य तकनीकी संशोधनों के कारण प्रारूप आदि में कार्यान्वयन परिवर्तनों के लिए संशोधन भी किए गए। आवश्यक संशोधन दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए।

3.14.3 संशोधनों हेतु वर्गीकरण में प्रभावी परिवर्तन करने के लिए दिनांक 15 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.794(अ) द्वारा कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारोबार रिपोर्टिंग भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 संशोधित किए गए।

3.14.4 दिसंबर 2018 में लागत लेखापरीक्षा ब्रांच ने कंपनियों की विशिष्ट श्रेणी द्वारा एमसीए–21 प्रणाली में फाइल की गई लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों (सीएआर) के आधार पर 'लागत और कीमत संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 2016–17' प्रकाशित की। यह रिपोर्ट इस लागत लेखापरीक्षा के तहत शामिल होने वाले विभिन्न क्षेत्रों की लागत के अवयवों में रूझान दर्शाती है। यह रिपोर्ट प्रचार के लिए एमसीए की वेबसाइट पर रखने के अतिरिक्त बड़े हितधारकों में भी परिचालित की गई है। यह रिपोर्ट सूचित निर्णय लेने के लिए नीति निर्माताओं, क्षेत्रिय नियामकों, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट उपलब्ध कराएगी।

3.14.5 मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 के दौरान लागत लेखापरीक्षकों [11(ई–प्ररूप–23) और 7,341 (ई–प्ररूप सीआरए–2), की नियुक्ति से संबंधित 7,352 ई–प्ररूप प्राप्त किए हैं और वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 14 नवंबर, 2019 तक ऐसी फाइलिंग की संख्या 7057 ई–प्ररूप [9(ई–प्ररूप 23ग) और 7,048 (ई–प्ररूप सीआरए–2), थी।

3.14.6 साथ ही वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान 14 नवंबर, 2019 तक प्राप्त लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या क्रमशः 6,526 [41(ई–प्ररूप I–एक्सबीआरएल)

और 6,485 (ई–प्ररूप सीआरए–4), और 2,908 ई–प्ररूप [8(ई–प्ररूप I–एक्सबीआरएल) और 2900(ई–प्ररूप सीआरए–4), थी।

3.14.7 वर्ष 2018–19 के दौरान, लागत लेखापरीक्षा ब्रांच, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा दायर 408 लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें विभिन्न प्रयोक्ता विभागों जैसे कि गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल विभाग, प्रशुल्क आयोग, पाटनरोधी महानिदेशालय, माल और सेवाकर आयोग आदि के साथ साझा की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान 14 नवंबर, 2019 तक साझा की गई ऐसी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या 307 थी।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक

3.15.1 दिनांक 28 मार्च, 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन किए गए जिससे इंडएएस–115 राजस्व पहचान मानक को ग्राहकों के संविदा के अनुसार प्रवृत्त किया जा सके और इंडएएस–11, निर्माण संविदा और इंडएएस–18, राजस्व संविदा को प्रतिस्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अन्य मानकों में संशोधन अर्थात् इंडएएस–21, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव, इंडएएस–112, अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण और और इंडएएस–28 सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश, इंडएएस–40, संपत्ति निवेश और इंडएएस–12, आयकर में संशोधन समरूपी आईएफआरएस मानकध्इंडएएस–115 के कारण परिणामी परिवर्तन में वार्षिक सुधार के रूप में किए गए। उक्त मानक में उल्लिखित विभिन्न खडों के अनुसार इंडएएस–115 मानक के राजस्व पहचान पहलूओं में सुधार की संभावना है। भारतीय कंपनियों को वित्तीय कथन अर्थात् के मुख्य मापदंड अर्थात् राजस्व पहचान के संबंध में एकल, वैश्विक रूप से प्रयोजित और तुलनात्मक मानक के अंतरण से लाभ होने की संभावना है।

3.15.2 दिनांक 20 सितंबर, 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन किए गए जिससे संस्थाओं को

(i) आस्थगित आय के रूप में अनुदान देने या (ii) आस्ति की वहन राशि पर पहुंचने के लिए अनुदान में कटौती के माध्यम से, आस्तियों से संबंधित अनुदान प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने के माध्यम से इंडएएस–20, सरकारी अनुदान संबंधी लेखें और सरकारी सहयोग हित प्रकटीकरण में परिवर्तन किये जा सके।

(ii) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में इंड एएस 116, लीज जो आईएफआरएस 16, लीज के समान है, अंतस्थापित करके दिनांक 30.03.2019 को संशोधन किया गया। यह इंड एएस 116 ने मौजूदा इंड एएस 17 लीज को प्रतिस्थापित किया है और तद्नुसार लीज के वर्गीकरण को या तो लीज करके या फिर वित्तीय लीज के द्वारा हटाकर लीज करने वाले के लिए एकल लीज लेखांकन मॉडल तैयार किया गया। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.273(अ) दिनांक 30 मार्च, 2019)।

(iii) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में समय–समय पर आईएफआरएस में किए गए परिवर्तनों के साथ एकरूपता लाने के लिए और आईएफआरएस के अभिसरण के भाग के रूप में दिनांक 30 मार्च, 2019 को संशोधित किए गए और तद्नुसार कुछ मौजूद इंड एएस (इंड एएस–12,19,23,28,103,109,111 और अन्य इंड एएस में परिणामी संशोधन) में आईएफआरएस के समान संशोधन किए गए। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.274(अ) दिनांक 30 मार्च, 2019)।

*****

अध्याय–IV

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

4.1.1 भारत में लगभग 95% औद्योगिक ईकाइयां छोटे एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन लघु एवं मध्यम उद्यमों में से 90% मालिकाना रूप से रजिस्ट्रीकृत है, लगभग 2% से 3% भागीदारी के रूप में एवं 2% से कम कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। एसएमई जगत में कारपोरेट स्वरूप बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उच्च अनुपालन लागत ने छोटे एवं मध्यम उद्यमों को कारपोरेट रूप अपनाने से रोका है परंतु मालिकाना या भागीदारी फर्म की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी नहीं होती अतः बैंकों द्वारा उनकी साख का आकलन करना कठिन होता है और इसीलिए एसएमई क्षेत्र को कारपोरेट निकायों की तुलना में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋणध्उधार सुविधाएं तुलनात्मक रूप से कम मिलती हैं।

4.1.2 इस परिप्रेक्ष्य में, एक नए कारपोरेट स्वरूप की आवश्यकता महसूस की गई जो असीमित व्यक्तिगत देयता के साथ पारंपरिक भागीदारी का विकल्प उपलब्ध कराए। किसी सीमित देयता कंपनी की सांविधिक आधार पर संरचना एक ऐसा विकल्प है जो लचीले, नए एवं कुशल तरीके से संयोजन, संगठन एवं प्रचालन हेतु व्यवसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यमिता पहल को सुविधाजनक बनाती है। वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से यूनाईटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरीका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों में सीमित देयता भागीदारियाँ (एलएलपी) विशेषकर सेवा उद्योग या व्यवसायिक कार्यकलापों के लिए अधिक पसंदीदा विकल्प है।

4.1.3 अतः सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने हेतु उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से भारत में व्यावसायिक संगठन के सीमित देयता भागीदारी स्वरूप को अनुमति दी है। संसद ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 अधिनियमि□त किया जिसे 09 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया। यह 31 मार्च, 2009 को लागू हुआ। संबद्ध नियम 01 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किए गए एवं पहली एलएलपी 02 अप्रैल, 2009 को रजिस्ट्रीकृत की गई।

4.1.4 एलएलपी व्यवसाय निकाय का वह स्वरूप है जो व्यक्तिगत भागीदारों को भागीदारी फर्म में भागीदारों की संयुक्त एवं अनेक देयताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवसाय की सामान्य स्थिति में भागीदारों की देयता भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों तक नहीं होती। यह कंपनी अपने नाम से किसी संविदा में शामिल हो सकती है या संपत्ति रख सकती है। एलएलपी के लिए सीमित देयता के लाभ के साथ–साथ, मानकों का अनुपालन करना भी आसान है। एलएलपी की कारपोरेट संरचना एवं सांविधिक प्रकटीकरण अपेक्षाएं बाजार में अधिक ऋण सुलभ कराती हैं। व्यवसाय के एलएलपी स्वरूप के प्रारंभ होने से विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं बॉयोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों में तथा अन्य सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के संबंध में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

4.1.5 दिनांक 11 जून, 2012 से एलएलपी रजिस्ट्रार के कार्य कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा किए जा रहे हैं। व्यक्ति एवं कारपोरेट निकाय, भारतीय या विदेशी, एलएलपी में भागीदार हो सकते हैं। इनमें से कम से कम दो "पदनामित भागीदार" होने चाहिए और न्यूनतम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई कारपोरेट निकाय भी

पदनामित भागीदार हो सकता है और ऐसी स्थिति में कारपोरेट निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पदनामित भागीदार के रूप में कार्य करेगा। एलएलपी को कारपोरेट निकाय का दर्जा प्राप्त है और उसे अपने सदस्यों से अलग विधिक मान्यता प्राप्त होगी और इसमें उत्तराधिकार सतत् होगा। भागीदारों में परिवर्तन से अप्रभावित हुए बिना एलएलपी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है।

4.1.6 सीमित देयता भागिदारियों के लिए लेखाबहियों, प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण और ऋणशोधन विवरण का रखना अपेक्षित है। सीमित देयता भागीदारी स्वैच्छिक रूप से या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश पर बंद की जा सकती है।

4.1.7 पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम एवं उसमें परिवर्तन, यदि कोई किए गए हो, लेखा एवं ऋणशोधन विवरण एवं वार्षिक विवरण किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित शुल्क की अदायगी पर देखे जा सकते है। केन्द्र सरकार को एक निरीक्षक की नियुक्ति करके किसी एलएलपी के कार्यों की जांच यदि आवश्यक हो तो करने का अधिकार है।

4.1.8 किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है। कारपोरेट कार्यों जैसे विलय, समामेलन आदि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

4.1.9 पक्षकारों को परिचालन सुविधा प्रदान करने और उसे बढ़ाने तथा रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों को एक स्थान पर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), ई गवर्नेंस पहल को 11 जून, 2012 से एमसीए–21 के साथ एकीकृत किया गया। इस एकीकरण से एलएलपी फार्मों की फाइलिंग तथा अनुमोदन एमसीए–21 पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और पक्षकार एलएलपी फार्मों की फाइलिंग जिसमें क्रेडिट कार्ड भुगतान के अतिरिक्त ऑनलाइन भुगतान अथवा नामित बैकों से इंटरनेट बैकिंग का उपयोग शामिल है, के लिए एमसीए–21 की सभी मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

4.1.10 एलएलपी, अपनी पृथक कानूनी निकाय वाली, अपनी सहमति वाले योगदानों में भागीदारों तक सीमित जिम्मेदारी के लिए कारपोरेट निकाय के रूप में एक व्यापार साधन उपलब्ध कराती है।

4.1.11 दिनांक 30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार देश में 1,83,332 सीमित देयता भागीदारियाँ रजिस्ट्रीकृत की गईं और उनमें से 1,40,021 सीमित देयता भागीदारियाँ सक्रिय थीं। दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 30 सितंबर, 2019 की अवधि के दौरान 33,141 नई सीमित देयता भागीदारियाँ निगमित की गईं।

*****

अध्याय–V

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और अन्य कानून

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और आयोग की स्थापना

5.1.1 संसद ने भारत में (क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों को रोकने के लिएय (ख) बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बनाए रखने के लिए, (ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, और (घ) बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा व्यापार करने में स्वतंत्रता को सुनिशचित करने हेतु और उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के उद्देश्यों के साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के चार स्तंभ, जो एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

(i) गुटबंदी जैसे प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का निषेध जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रतिबाधित करते हैं और वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन व वितरण सीमित करके तथा सामान्य से अधिक मूल्य निर्धारित करके उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाते हैंय

(ii) प्रभुत्वपूर्ण फर्म के अनुचित व्यवहार का निषेध जो अपनी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति से बाजार को प्रतिबंधित कर सकते हैं और अनुचित व भेदभावपूर्ण शर्तें रख सकते हैंय

(iii) प्रतिस्पर्धा बाजारों की सुरक्षा के लिए बड़े निगमों के संयोजन (संयोजनों) का नियमनय और(iv) प्रतिस्पर्धा–समर्थन को अनिवार्य करना।

5.1.2 आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में की गई और इसका प्रवर्तन और नियामक शक्तियां दिनांक 20 मई, 2009 और 1 जून, 2011 को क्रमशरू एंटी–ट्रस्ट प्रवर्तन और संयोजनों के विनियमन से संबंधित अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के अधीन प्राप्त हुआ है।

5.1.3 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का गठन मार्च, 2009 में अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गठन का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम दो तथा अधिकतम छह सदस्य हैं। संघ सरकार ने अप्रैल, 2018 में यह निर्णय लिया है कि सीसीआई में 3 सदस्य होंगे। अतः इस संशोधित गठन के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई व उनके निपटान के लिए तथा आयोग के निर्णय के परिणामस्वरूप मिलने वाले प्रतिपूर्ति के दावों का निर्णय करने के लिए अपील अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संशोधन के अनुसरण में, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पेट) के कार्यों को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के साथ विलय कर दिया गया है। इस प्रकार, पूर्ववर्ती अधिकरण का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में इस आयोग के आदेशों के विरूद्ध सभी प्रथम अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष रखी जाती हैं।

5.1.4 दिनांक 30 नवंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का संयोजन निम्नानुसार है:

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता – अध्यक्ष
2. श्रीमती संगीता वर्मा – सदस्य
3. श्री भगवंत सिंह बिश्नोई – सदस्य

आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

5.2.1 दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 20 नवंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा

निपटाए गए मामलों की स्थिति निम्नलिखित हैरू

क) प्रवर्तन कार्यकलाप

5.2.2 दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 20 नवंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान आयोग को धारा 19(1)(ख) के अधीन चार (04) संदर्भ मामलों के अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(क) के अधीन तैंत्तालीस (43) मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग ने इस अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन तीन (03) स्वप्रेरित मामले भी शुरू किए हैं। आयोग ने महानिदेशक द्वारा अधिनियम की धारा 26(1) के अधीन ग्यारह (11) मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान, आयोग ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 26(2) के अधीन प्रथमदृष्टया स्तर पर इक्कतीस (31) मामलों का भी निर्णय किया है।

5.2.3 दिनांक 20 मई, 2009 से 20 नवंबर, 2019 तक प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन कुल एक हजार पैंतालीस (1045) मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग ने आठ सौ सत्ततर (877) मामलों का अंतिम रूप से निपटान किया है। महानिदेशक, सीसीआई को जांच के लिए कुल चार सौ बत्तीस (432) मामले भेजे गए हैं। महानिदेशक, सीसीआई ने तीन सौ पचपन (355) मामलों के संबंध में जांच रिपोर्टें प्रस्तुत की है। शेष मामलों की जांच चल रही है।

5.2.4 दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 20 नवंबर, 2018 के दौरान, आयेाग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27 और 48 के अधीन 08 मामलों में कुल 149.63 करोड़ रूपये की कुल शास्ति लगाई है।

ख) संयोजन

5.2.5 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संयोजन (विलयन और अधिग्रहण) के नियमन संबंधी प्रावधानों को दिनांक 4 मार्च, 2011 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया और यह दिनांक 1 जून, 2011 से प्रभावी हुआ। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधीन दिए गए अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिनांक 11 मई, 2011 को "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन संबंधी व्यापार संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियमन 2011 (इसके बाद संयोजन विनियमन कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया। इन विनियमनों को दिनांक 23 फरवरी, 2012, 04 अप्रैल, 2013, 28 मार्च, 2014, 01 जुलाई, 2015, 07 जनवरी, 2016, 09 अक्तूबर, 2018, 13 अगस्त, 2019 और 30 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया है।

5.2.6 आयोग को दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 20 नवबंर, 2019 की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) (जिसमें धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नोटिस शामिल है) (प्ररूप–**I** और **II** फाइलिंग) के अधीन सत्तासी (87) नोटिस प्राप्त हुए हैं। आयोग ने इस अवधि के दौरान अट्ठासी (88) नोटिस निपटाए गए/ अंतिम निर्णय पारित किए हैं।

5.2.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग को दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 20 नवबंर, 2019 की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन तीन (03) नोटिस प्राप्त हुए हैं (प्ररूप–**III** फाइलिंग)।

5.2.8 दिनांक 01 जून, 2011 और 20 नवंबर, 2019 के बीच आयोग में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 और 6 के अधीन कुल सात सौ अट्ठारह (718) संयोजन नोटिस [धारा 6(5) के अधीन 13 नोटिसों सहित] दायर किए गए। इनमें से, आयोग द्वारा सात सौ सात (707) नोटिसों [धारा 6(5) के अधीन 13 नोटिसों सहित] का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया है।

5.2.9 वर्ष के दौरान, आयोग ने ऐसे संयोजनों की समीक्षा की, जिसने उपभोक्ताओं के साथ–साथ परंपरागत रूप में अर्थव्यवस्था और नए आर्थिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, दूरसंचार, रसायन और नये आर्थिक क्षेत्रों जैसे मनोरंजन, ऑनलाइन भुगतान और वित्त, फार्मा, स्वास्थ्य, मेटल और खुदरा आदि को प्रभावित किया था।

ग्रीन चैनल

5.2.10 सीसीआई ने दिनांक 13 अगस्त, 2019 के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित व्यापार के संव्यवहार संबंधी प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019 द्वारा "संयोजन विनियम का विनियम 5(क)" लाकर संयोजनों के अनुमोदन हेतु एक स्वचालित प्रणाली प्रारंभ की है। इस प्रक्रिया के तहत, निर्धारित प्रारूप ने नोटिस फाइल करने पर संयोजन अनुमोदित माना जाता है।

अन्य कार्यकलाप और कार्यक्रम

5.3.1 (i) क्षमता–निर्माण पहलरू सीसीआई ने अपने अधिकारियों के लिए 18 से 20 फरवरी, 2019 के दौरान दूसरा रिफ्रेशर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कुल 17 पेशेवर अधिकारियों ने भाग लिया। माननीय सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने संबोधन भाषण दिया। इसके अतिरिक्त, कुल 55 अधिकारियों ने भारत में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानोंध्एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न विषयोंध्प्रसंगों पर प्रशिक्षणों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सीसीआई ने चार लघु कार्यशालाओं (दो स्थानीय और दो विशेषज्ञों की सहायता से) और 6 पीर–टू–पीर सत्रों का आयोजन किया जिससे ज्ञान और सूचना को अंतर–प्रभाग साझा करने की सहायता से अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि हुई थी।

5.3.2 (ii) इसके अतिरिक्त, सीसीआई अपने कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों से अलग–अलग वक्ताओं को आमंत्रित करता है। इस अवधि के दौरान, सर विलियम मार्क तुल्ली, जर्नलिस्ट, लेखक और बीबीसी दिल्ली के पूर्व प्रमुखय डॉ. राथिन रॉय, निदेशक राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)य डॉ. रणबीर सिंह, कुल पति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली (एनएलयू–डी)य डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने डिस्टिंगाईज्ड विजिटर्स नॉलिज शेयरिंग (डीवीकेएस) श्रृंखला कार्यक्रम के रूप में सीसीआई के कर्मचारियों को संबोधित किया।

5.3.3 स्पेशल लेक्चर सीरिज (एसएलएस): सीसीआई के पेशेवर अधिकारियों की क्षमता निर्माण बढ़ाने और ज्ञान वर्धन के लिए अप्रैल, 2019 से सीसीआई ने 'स्पेशल लेक्चर सीरिज (एसएलएस)' नाम से मासिक रूप से एक नए अतिथि व्याख्यान की शुरूआत की है।

5.3.4 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में समग्र संशोधनः प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के दौरान हुए अनुभवों और उस दौरान सामना की गई कठिनाइयों के आधार पर, आयोग ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अधिनियम में समग्र संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य इस अधिनियम को अधिक स्पष्ट बनाना और साथ ही कानून के कार्यान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान करना है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 (01.10.2018 के दौरान सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की समीक्षा करने और संशोधनों के लिए सुझाव देने हेतु प्रतिस्पर्धा विधि पुनरीक्षा समिति का गठन किया। उक्त समिति में चार कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया था अर्थात् (प) विनियामक ढांचे संबंधी डब्ल्यूजीय (पप) प्रतिस्पर्धा विधि संबंधी डब्ल्यूजीय (पपप) प्रतिस्पर्धा नीति, अधिवक्ता और सलाहकार कार्यों संबंधी डब्ल्यूजीय और (पअ) नए युग के बाजार और बड़े आँकड़ों संबंधी डब्ल्यूजी। सीएलआरसी को मुख्य हितधारकों से इनपुट लेकर एक सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा वातावरण की पुनरीक्षा और समीक्षा करने और इस कानून के मूल और प्रक्रियात्मक पहलुओं में परिवर्तन सुझाने की जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया है। सीएलआरसी की रिपोर्ट जुलाई 2019 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है।

सम्मेलन

5.3.5 प्रतिस्पर्धा कानून अर्थशास्त्र संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलनः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा कानून अर्थशास्त्र संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा

कानून अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्यरत विद्वान, व्यवसायरत, शैक्षणिक समुदाय और विशेषज्ञों को एक साथ मिलाना है। इस सम्मेलन का चौथा संस्करण 1 मार्च, 2019 को आयोजित किया गया था। डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार इस सम्मेलन के प्रमुख वक्ता थे।

5.3.6 (i) इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य (क) प्रतिस्पर्धा कानून अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनुसंधान करना और प्रचलित मामलों पर वाद–विवाद करना, (ख) भारत के संदर्भ में प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा मामलों की बेहतर समझ विकसित करना और (ग) दूसरों के साथ भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन हेतु निष्कर्ष निकालना हैं।

5.3.6 (ii) 2019 संस्करण में, दो तकनीकी सत्रों के दौरान प्रतिस्पर्धा कानून अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने वाले 6 अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए थे। 'प्रचलित एंटी–ट्रस्ट मामलों' पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया था जिसमें मुख्य व्यक्तियों ने 'डिजिटल मार्केटरू एंटी–ट्रस्ट एंड बियोन्ड' विषय पर अपने विस्तृत विचार व्यक्त किए।

ऑटो क्षेत्र संबंधी क्षेत्रीय कार्यशालाः

5.3.7 सीसीआई ने एसआईएएम और एसीएमए के साथ मिलकर दिनांक 08 मार्च, 2019 को दिल्ली में ऑटोमॉटिव क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मामलों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआई ने इस विषय पर भाषण दिया। श्री केनिची आयुकावा, उपाध्यक्ष, एसआईएएम और एमडी एवं सीईओ, मारूती सुजुकी, श्री विनोद अग्रवाल, एमडी एवं सीईओ, वोल्वो एचर और श्री प्रवीण एलडोर अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भी भाग लेने वालों में शामिल थे।

'ई–कॉमर्सः भारत में बदलता हुआ प्रतिस्पर्धा परिदृश्य' पर कार्यशाला

5.3.8 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिनांक 30 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में 'ई–कॉमर्सः भारत में बदलता हुआ प्रतिस्पर्धा परिदृश्य' पर कार्यशाला का आयोजन किया। भारत में ई–कॉमर्स पारिस्थितितंत्र, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यापार व्यवस्था और बाजार के अन्य भागीदार जो इन प्लेटफॉर्मों की मध्यस्त सेवाओं को बेहतर रूप से समझने और प्रतिस्पर्धा के लिए उनका अनुपालन करने हेतु सीसीआई द्वारा दिन–भर चलने वाली यह कार्यशाला भारत में ई–कॉमर्स पर अपने बाजार अध्यन के रूप में आयोजित की गई थी। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार इस सम्मेलन के प्रमुख वक्ता थे।

5.3.9 सीसीआई द्वारा ई–कॉमर्स बाजार अध्ययन से प्राप्त अंतरिम निरूपण प्रारंभिक सत्र में प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभिक सत्र में विशिष्ट ई–कॉमर्स व्यवसायों, अर्थात् ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन होटल बुकिंग और ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग पर पैनल चर्चाओं पर केंद्रित था। इस पैनल में ई–कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ अधिकारी, ई–कॉमर्स क्षेत्र के वरिष्ठ जर्नलिस्ट, संबंधित उद्योग और व्यापार संगठनों के विचारक मंडल (थिंक–टैंक), आतिथ्य क्षेत्र से व्यवसायिक और विभिन्न अधिकारियों ने ई–कॉमर्स क्षेत्र में सामना की जाने वाली चुनौतियों और ई–कॉमर्स बाजार और परंपरागत बाजार दोनों में प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की आवश्यकता संबंधी मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेनाः

- सीसीआई के प्रतिनिधि मंडल ने श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व में कार्टगेना, कॉलम्बिया में आईसीएन वार्षिक सम्मेलन 2019 में भाग लिया। सीसीआई ने आईसीएन फ्रेमवर्क ऑन कॉम्पिटिशन एजेंसी प्रोसिजर्स में भी भाग लिया।
- सीसीआई के प्रतिनिधि मंडल ने श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व में मॉस्को, रूस में छठे

ब्रिक्स इंटरनेश्नल कॉनफ्रेंश में भाग लिया।

- सीसीआई ने पेरिस में पहली ओईसीडी कॉम्पिटिशन ऑपन डे वर्कशॉप्स में भाग लिया। सीसीआई अधिकारियों ने बुशन, दक्षिण कोरिया में यातायात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नियमों पर ओईसीडी कोरिया पॉलिसी सेंटर कॉम्पिटिशन लॉ वर्कशॉप में भी उपस्थिति दर्ज करवाई।

- सीसीआई अधिकारियों ने जनेवा में इंटरगवर्मेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट (आईजीई), यूएनसीटीएडी बैठक के अट्ठारवें सत्र में भाग लिया। सीसीआई अधिकारियों ने जनेवा में यूएनसीटीएडी ई–कॉमर्स सप्ताह में भी भाग लिया।

- ईयू इंडिया कॉम्पिटिशन कॉपरेशन प्रोजेक्ट के तहत, सीसीआई परिसर, नई दिल्ली, भारत में ईयू इंडिया कॉम्पिटिशन सप्ताह का आयोजन किया गया था।

- श्री एन्ड्रयू साईगानोव, उप–प्रमुख, एफएएस रूस की अध्यक्षता में एफएएस रूस से प्रतिनिधि मंडल और श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआई की अध्यक्षता में सीसीआई से प्रतिनिधि मंडल के बीच सीसीआई परिसर, नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया।

- श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआई ने नई दिल्ली में अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एंटीट्रस्ट ग्लोबल सेमीनार सीरिज की प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया।

- श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआई ने बर्लिन, जर्मनी में बुंदेसकार्टेलमेट (जर्मन प्रतिस्पर्धा अधिकरण) द्वारा प्रतिस्पर्धा पर 19वें अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

- श्री यू.सी.नाहटा, सदस्य, सीसीआई ने टोकियो, जापान में एनुवल इंटरनेशनल बार एसोसिएशन कॉम्पिटिशन मिड–ईयर कॉन्फ्रेंश में भाग लिया।

- श्रीमती संगीता वर्मा, सदस्य, सीसीआई ने न्यूयॉर्क में आयोजित फॉरडेम कॉम्पिटिशन लॉ इन्स्टिट्यूट्स हैड्स ऑफ एथोरिटी वर्कशॉप और 46वें एन्वल कॉन्फ्रेंश ऑन इंटरनेशनल एंटीट्रस्ट लॉ एंड पॉलिशी में भाग लिया।

अधिवक्तृता कार्यकलाप

5.4.1 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 49 की उपधारा (3) के तहत अध्यादेश के अनुसरण में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) महत्त्वपूर्ण हितधारकों में प्रतिस्पर्धा से संबंधित मामलों में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न अधिवक्तृता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। 01.12.2018 से 30.10.2019 की अवधि के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित अधिवक्तृता कार्यक्रम आयोजित किए गए थेः

5.4.1 (i) प्रतिस्पर्धा कानून पर रोड शोः प्रतिस्पर्धा कानून पर रोड शो श्रृंखला के भाग के रूप में सीसीआई ने अहमदाबाद में 18 दिसंबर, 2018 को तीसरा रोड शो आयोजित किया। श्री विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री और डॉ. जे.एस.सिंह, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार क्रमशः मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि थे।

5.4.1 (ii) इसी श्रृंखला में आयोग द्वारा हैदराबाद शहर में 25 फरवरी, 2019 को चौथा रोड शो का आयोजन किया गया था जो सार्वजनिक प्रबंध, व्यापार संगठन, उत्पादक संघ और उदारता पर केंद्रित था। श्री ई.एस.एल. नरसिंहा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के माननीय राज्यपाल और श्री शैलेन्द्र कुमार जोशी, मुख्य सचिव, तेलंगाना क्रमशः मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि थे।

5.4.1 (iii) प्रबंध अधिकारियों के लिए निदानकारी टूलकिटः प्रबंध से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंध्उद्यमों और सरकारी विभागों में जागरूकता लाने के लिए सीसीआई ने "प्रबंध अधिकारियों के लिए

विदानकारी टूलकिट" तैयार किया और प्रकाशित किया।

5.4.1 (iv) स्रोत व्यक्ति योजनाः प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 49 के अधिदेश के अनुसार सीसीआई द्वारा वर्ष 2019 में भारत के राज्यों में अधिवक्तृता प्रयासों को बढ़ाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी।

5.4.1 (v) विश्वविद्यालयों/शैक्षिणिक संस्थानों में अधिवक्तृता कार्यक्रमः संवादात्मक सत्रा/कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून अधिवक्तृता कार्यक्रमों को आयोजित करने को इच्छुक सभी विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित करना।

5.4.1 (vi) प्रशासनिक और न्यायिक अकादमियों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून मोड्यूलः न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, सीसीआई द्वारा "प्रशासनिक और न्यायिक अकादमियों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून मोड्यूल" तैयार और प्रकाशित किया गया।

5.4.1 (vii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न विश्वविद्यालयों, एनएलयू और प्रबंधन संस्थानों के 102 विद्यार्थियों ने आयोग में इंटर्नशिप की है।

प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के दस वर्ष

5.5.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में दिनांक 23 अगस्त, 2019 को डॉ.डी.एस. कोठारी ऑडिटॉरियम, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के दस वर्ष समाप्त करने पर आयोजन किया।

5.5.2 इस अवसर की मुख्य अतिथि माननीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुख्य भाषण दिया। माननीय मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में सीसीआई 'प्रतिस्पर्धा 2.0' लागू करने के लिए कार्य करेगा और साथ ही इसकी चुनौतियों और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया। माननीय मंत्री ने विलयन और अधिग्रहण के लिए ग्रीन चौनल प्रारंभ करने के लिए भी सीसीआई की प्रशंसा की। इस अवसर पर, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सीसीआई के दो अधिवक्तृता प्रकाशनों को भी जारी कियारू (क) सार्वजनिक प्रबंध अधिकारियों के लिए निदानकारी टूलकिटय और (ख) प्रशासनिक और न्यायिक प्रशिक्षण अकादमियों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून मोड्यूल।

5.5.3 इसके पश्चात्, माननीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रतिस्पर्धा सफल बाजारों का मर्म होती है। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री इंजेटी श्रीनिवास, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने उदार दौर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने में सीसीआई की महत्त्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। श्री

अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआई ने बताया कि दस वर्ष की अवधि में सीसीआई ने 1000 से अधिक एंटीट्रस्ट मामले, 670 विलयन फाइलिंग की पुनरीक्षा की है और लगभग 720 अधिवक्तृता कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

सोशल मीडिया में उपस्थितिः

5.6.1 आयोग प्रमुख सोशल मीडिया मंचों अर्थात् फेसबुक, ट्वीटर और लिंक्ड इन पर उपस्थित रहा है।

5.6.2 नई पहलें:

क. विलयनों और अधिग्रहणों के लिए ग्रीन चौनल,

ख. सार्वजनिक प्रबंध अधिकारियों के लिए निदानकारी टूलकिट,

ग. प्रशासनिक और न्यायिक प्रशिक्षण अकादमियों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून मोड्यूल,

घ. सीसीआई के पेशेवर अधिकारियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि और ज्ञान में सुधार करने के लिए स्पेशल लेक्चर सीरिज (एसएलएस),

ङ सीसीआई द्वारा वर्ष 2019 में राज्यों में अधिवक्तृता प्रयासों को बढ़ाने के लिए स्रोत व्यक्ति योजना प्रारंभ की गई थी,

च. विश्वविद्यालयोंध्शैक्षणिक संस्थानों में अधिवक्तृता कार्यक्रम,

छ. सार्वजनिक प्रबंध में प्रतिस्पर्धा–रोधी व्यवस्थाओं को देखने के लिए सीसीआई और गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के बीच औपचारिक वार्ता के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से जीईएम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

5.7.1 इस अवधि के दौरान दिव्यांगजनों के हित में कोई नीति निर्णय नहीं लिए गए और कार्यकलाप नहीं किए गए।

****

अध्याय–VI

परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना

6.1.1 एमसीए रजिस्ट्रीकरण और कंपनी निगमन संबंधी सेवाओं के लिए अद्योपांत ई–गवर्नेंस परियोजना दृ एमसीए21 का परिचालन कर रहा है। यह परियोजना कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), प्रादेशिक निदेशक (आरडी), एमसीए मुख्यालय और शासकीय समापक (ओएल) कार्यालयों में कार्यान्वित की गई है। एमसीए21 प्रणाली हितधारकों को अधिक गति, विश्वसनीयता और बारंबार सेवा सुपुर्दगी के साथ सभी एमसीए21 सेवाओं के लिए आसान और सुविधाजनक प्रयोग और सुरक्षित पहुंच तथा सुपुर्दगी स्थल उपलब्ध करवाती है। इससे मंत्रालय की कार्यपद्धति में पारदर्शिता, तीव्रता और कुशलता आई है।

6.1.2 हितधारकों को कुशल और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है और मंत्रालय ऑनलाइन सेवा सुपुर्दगी में सर्वोत्तम व्यवहार शुरू कराने में लगातार प्रयासरत रहा है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजन (एनईजीपी) के तहत एमसीए21 को एक सर्वाधिक सफल मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में पहचान मिली है। यह पोर्टल कटिंग–एज सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग करते हुए परंपरागत कागज पर आधारित प्रणालियों को कागज रहित प्रणाली में बदलने के लिए एक मॉड्ल के रूप में माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सभी आरओसी, आरडी कार्यालयों और मुख्यालय में अद्यतन तकनीक के साथ हार्डवेयर और उन्नत एप्लीकेशन स्थापित किए गए हैं।

6.1.3 कारपोरेट कार्य मंत्रालय में व्यापार को सुगम बनाने और मानकीकरण की दिशा में कुछ प्रमुख पहल की हैं जो निम्नानुसार हैंरू–

i. **डीआईएन के आबंटन की री–इंजीनियरिंग प्रक्रिया** किसी व्यैक्तिक की निदेशक (डिन न होने की स्थिति में) के रूप में नियुक्ति के समय ही समायोजित स्पाईस ई–प्ररूप के द्वारा आबंटन करने के माध्यम से डिन के आबंटन की प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग करना।

ii. **कंपनी निगमन के लिए एमसीए शुल्क की छूट री–इंजीनियरिंग** की सरकारी प्रक्रिया वहां कार्यान्वित की गई है जहां दस लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों अथवा उन कंपनियों जिनकी शेयरपूंजी नहीं है किंतु उनके सदस्य बीस तक हैं, के निगमन के लिए शून्य शुल्क है।

iii. **आईएफएससी तथा छूट अधिसूचनाओं के कारण ई–प्ररूप का परिनियोजन, कंपनी अधिनियम में संशोधन, सीआरएल–1, विलंब योजना की माफी (सीओडीएस) का कार्यान्वयनः** आईएफएससी अधिसूचना सेसंबंधित परिवर्तनों, छूट अधिसूचना संबंधी परिवर्तनों, और सीआरएल–01 के परिनियोजन के साथ संशोधन (कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को सहायक कंपनियों की अनेक परतों के संबंध में सूचना) और फरवरी–मार्च, 2018 में सीओडीएस (विलंब योजना, 2018 की माफी) के कारण 16 ई–प्ररूप परिवर्तन परिनियोजित किए गए थे।

iv. **सभी कंपनियों के निदेशकों के लिए ई–केवाईसी अभियानः** एमसीए ने एक अनिवार्य ई–प्ररूप प्रारंभ किया है अर्थात् उन सभी डीआईएन धारकों के लिए डीआईआर–3 केवाईसी

जिन्हें 31 मार्च, 2018 को अथवा इससे पूर्व डीआईएन आवंटित किए गए हैं और उनका डीआईएन अनुमोदन की स्थिति में है। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तिगत डीआईएन धारकों का सत्यापन करना और गैर–विद्यमानध्नकली डीआईएन धारकों को अलग करना है तथा अंततः निदेशकों की ई–रजिस्ट्री का परिमार्जन करना है। केवाईसी प्रक्रिया में अतिरिक्त ब्यौरा जैसा आधार, पासपोर्ट, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और पर्सनल ई–मेल आईडी प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हितधारक, जिनके पास आधार नहीं है उन्हें एक अपवाद प्रबंधन प्रदान किया गया है। रजिस्ट्री में लगभग 33 लाख डीआईएन हैं और लगभग 15.88 लाख डीआईएन धारकों ने 30 नवंबर, 2018 तक डीआईआर–केवाईसी फाइल कर दिए हैं। इस अभियान में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 11 लाख आधार कार्डधारकों को फीड करने में सफलता पाई। यह भारत में कहीं भी चलाए जाने वाले अभियानों में से एक है।

v. एलएलपी (एफआईएलएलआईपी) निगमन के लिए समेकित प्ररूप

तत्कालीन प्ररूप–2 (निगमीकरण दस्तावेज और प्रयोक्ता का विवरण) को प्रतिस्थापित करते हुए नाम आरक्षण, नामित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन/डीआईएन) का आवंटन और एलएलपी का निगमन नामक 3 सेवाओं को मिलाकर एफआईएलएलआईपी (सीमित दायित्व भागीदारी के समावेशन के लिए प्ररूप) नामक एक नया समेकित प्ररूप आरंभ किया गया है।

vi. "नाम आरक्षण" के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी) और एलएलपीएस के लिए "निगमीकरण" स्थापित करना: कंपनियों के "नाम आरक्षण" और "निगमीकरण" के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी) सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। चूंकि, सीआरसी का प्रचालन स्थायी कर दिया गया है, गत दो वर्षों से, मंत्रालय ने एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी) के लिए "नाम आरक्षण" और "निगमीकरण" के लिए समान जीपीआर कार्रवाई कर ली है और इसे सीआरसी के प्रचालन के अंतर्गत लाया गया है। सभी हितधारकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" प्रदान करने के मंत्रालय के उद्देश्य के अनुसरण में जीपीआर कार्रवाई कर ली है और इसके परिणामस्वरूप निगमीकरण संबंधी अनुप्रयोगों, नियमों के अनुप्रयोग में एकरूपता, और स्वविवेक को समाप्त करने की अपेक्षाकृत अधिक त्वरित गति प्राप्त हुई है।

6.1.4 प्रणाली से निम्नलिखित संचालन सांख्यिकी में स्थायित्व आया है, फाइलिंग की मात्रा बढी है और अनुपालन में वृद्धि हुई है:

तालिका 6.1

1 दिसंबर 2018 से 11 नवंबर 2019 की अवधि में फाइलिंग की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	प्रणाली के माध्यम से की गई कुल फाइलिंग	85,35,754
2	एक दिन में फाइल किए गए दस्तावेजों की अधिकतम संख्या	1,31,062 (31-12-2018)
3	ऑनलाइन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों की संख्या	1,18,535
4	जारी किए गए कुल डीआईएन	3,15,036
5	कंपनी के रिकॉर्ड जो ऑनलाइन देखे गए	27,45,635
6	फाइल किए गए तुलनपत्रों की संख्या	8,70,128
7	फाइल किए गई वार्षिक विवरणियों की संख्या	8,05,047
8	एकत्र किए गए ई-स्टांप शुल्क की राशि (करोड़ रुपये)	16,737,86,330
9	डीएससी के साथ रजिस्ट्रीकृत नोडल अधिकारियों की संख्या	101
10	डीएससी के साथ रजिस्ट्रीकृत प्राधिकृत बैंक कर्मियों और व्यवसायिकों की संख्या	33,992
11	पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या	14,58,033

6.1.5 एमसीए 21 परियोजना के अधीन सेवा प्रदायगी में कुशलता: एमसीए21 परियोजना में सेवाओं की प्रदायगी के लिए लगने वाले समय में महत्वपूर्ण बेहतरी देखी गई है जो निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध है:

तालिका 6.2

एमसीए21 सेवा मैट्रिक्स के अधीन सेवा सुपुर्दगी में कुशलता

सेवा का प्रकार	एमसीए21 से पहले	एमसीए21 से पश्चात्	एमसीए21 के आरंभ के पश्चात्
नाम अनुमोदन	7 दिन	1-2 दिन	0.3 दिन
कंपनी निगमन	15 दिन	1-3 दिन	0.6 दिन
नाम में परिवर्तन	15 दिन	3 दिन	3 दिन
प्रभार सृजन/संशोधन	10-15 दिन	तत्काल	तत्काल
प्रमाणित प्रति	10 दिन	2 दिन	2 दिन

तालिका 6.3

अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

सेवा का प्रकार	एमसीए21 से पहले	एमसीए21 के पश्चात्
वार्षिक विवरणी	60 दिन	तत्काल
तुलन-पत्र	60 दिन	तत्काल
निदेशकों में परिवर्तन	60 दिन	तत्काल
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन	60 दिन	1-3 दिन
प्राधिकृत पूंजी में बढोत्तरी	60 दिन	1-3 दिन
सार्वजनिक दस्तावेज की जांच	प्रत्यक्ष उपस्थिति	ऑनलाइन

अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के कार्यकलाप

6.2.1 प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर आदि की पुनः अदायगी करने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

6.2.2 वापसी संबंधी कार्यकलापः केंद्रीय सरकार ने 5 सितंबर, 2016 को शेयरों अदावाकृत लाभांशों, डिबेंचरों आदि से संबंधित दावों की पुनःअदायगी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और पुनःअदायगी) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। प्राधिकरण शेयर अंतरित करने के लिए दो डीमैट खाते–एक खाता प्रति जमाकर्ता, खोले गए हैं।

6.2.3 इस निधि में राशि जमा करनाः 31 मार्च, 2019 के अनुसार, आईईपीएफ में 2423 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं जो भारत की समेकित निधि के रूप में रखे गए हैं। 01.04.2019 से 30.11.2019 की अवधि के दौरान, 1767.05 करोड़ रुपए आईईपीएफ में जमा करवाए गए। प्राधिकरण में शेयरों के प्रभावी अंतरण के लिए दो डिमैट खाते, एक राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार में और एक केंद्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीडीएसएल) में, खोल गए हैं। कंपनियों द्वारा शेयरों के अंतरण की अंतिम तारीख 31.10.2017 थी। कंपनियों द्वारा दिनांक 30.11.2019 तक आईईपीएफ में 75,30,99,795 शेयर अंतरित किए गए हैं।

6.2.4 दावों का प्रतिदायः अधिकरण को फाइलिंग के प्रतिदाय के लिए निवेशक प्राधिकरण की वेबसाइट (www-iepf-gov-in) पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.11.2019 तक कुल 43,70,690 शेयरों का कुल प्रतिदाय (लगभग 233 करोड़ रु. की वर्तमान बाजार कीमत वाले) किया गया है। चालू वर्ष दौरान, 30.11.2019 के अनुसार, 4250 दावों का निपटान (3829 अनुमोदन और 421 निरस्तन) किया गया। 7.9.2016 से 30.11.2019 तक कुल 6220 (4980 अनुमोदन और 1240 निरस्तन) दावों का निपटान किया गया है।

दावे प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमः

प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंगः

6.2.5 शुरू से अंत तक ऑनलाइन दावों को आसान करने और विकसित करने और विभिन्न ई–प्ररूपों में प्रतिदाय प्रक्रिया और अन्य परिवर्तन करने के लिए, दिनांक 14.08.2019 की अधिसूचना द्वारा आईईपीएफ (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2019 में संशोधन किए गए) दिनांक 20.09.2019 से निम्नलिखित संशोधन प्रभावी किए गएः–

6.2.6 नया सरलीकृत ई–प्ररूप की शुरूआतः

i. पैन आधारित सत्यापन की विशेषता वाला एक नया सरलीकृत वेब आधारित ई–प्ररूप आईईपीएफ–5।

ii. कंपनियों द्वारा ई–प्ररूप आईईपीएफ 5 की प्रक्रिया और प्राधिकरण के पास सत्यापित रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना प्रारंभ किया गया।

iii. दावाकर्त्ताओं से भौतिक शेयर प्रमाण–पत्र इकट्ठे करने की व्यवस्था को खत्म किया गया और अब कंपनियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित रिपोर्ट के साथ केवल निरस्त प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रति ही संलग्न की जानी है।

निवेशक शिकायत निवारण

6.2.7 दावाकर्त्ताओं के प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया शीघ्रता करने के लिए और निवेशकों को आसानी से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 20 नवंबर, 2019 से एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई जो फोनकर्त्ताओं को अपने दावों के प्रतिदाय के स्तर को देखने की सुविधा प्रदान करेगी। नागरिक हेल्पलाइन और सुधार किए गए आईईपीएफ पोर्टल www-iepfportal-in पर प्रवर्तकों के संदिग्ध दावों/निवेश स्कीम की रिपोर्ट कर सकते हैं, यह पोर्टल विभिन्न हितधारकों के लिए निवेशक सुरक्षा से संबंधित मामलों को दूर करने में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सूचना देने के लिए उपभोक्ता मंत्रिपूर्ण इंटरफेस है।

6.2.8 दावाकर्त्ताओं के लिए प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए एक ई–मेल आईडी iepf@mca-gov-in उपलब्ध करवाया गया है और शिकायत ई–मेलों का नियमित रूप से उत्तर दिया जा रहा है। 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' को भी विस्तृत रूप से तैयार किया जा रहा है। और दावाकर्त्ताओं को यह ऑनलाइन आवेदन करने और आवेदन के साथ प्रस्तुत करने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के लिए सहायता हेतु उपलब्ध कराया गया है। दावों का समय पर निपटान करने और कंपनियों से सत्यापित रिपोर्ट में शीघ्रता लाने के लिए कंपनियों को नियमित रूप से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कंपनियों के लिए 30 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर ई–सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने पर अतिरिक्त शुल्क में संशोधन किया गया है।

6.2.9 प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही/केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 की उपधारा (4) के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण को राशि/शेयरों के अंतरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और 125 के अनुपालन के लिए अधिनियम के तहत जांच करने के उद्देश्य के लिए निरीक्षकों के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण के अधिकारियों को नियुक्ति किया है। एमसीए 21 प्रणाली से प्राप्त आँकड़ों की जांच के आधार पर यह पाया गया था कि कंपनियों द्वारा दायर विभिन्न विवरणों में आँकड़ों में विभिन्नता है। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि कुछ कंपनियों ने अनिवार्य ई–प्ररूप दायर नहीं किए है।

प्राधिकरण ने इसके अनुसार 20 करोड़ रुपये से अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली ऐसी कंपनियों से सूचना मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक से एक कंपनी द्वारा परिपक्व अदावाकृत जमा राशि, जो कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित की जानी थी, के गैर–भुगतान के बारे में संदर्भ प्राप्त हुआ है। यह मामला प्राधिकरण द्वारा कंपनी और

उसके लेखापरीक्षकों के समक्ष चालू प्रवर्तन कार्यवाही के रूप में उठाया गया और कंपनी द्वारा 1514 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई गई है।

विनिधानकर्ता शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमः

निवेशक जागरूकता कार्यक्रमः

6.2.10 सामान्य सेवा केंद्रों और व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमः प्राधिकरण ने विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य के लिए विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर जन समुदाय में वित्तीय साक्षरता का प्रचार किया है।

6.2.10.i प्राधिकरण ने सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) आयोजित करने के लिए सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न निवेशक धोखाधड़ियों से बचाने के लाभों और उनसे जागरूक करने के बारे में एक फिल्म दिखाई गई। इस कार्यक्रम में घरेलू बजट तैयार करने का महत्त्व, बचत, निवेश का महत्त्व, निवेश करते समय सही–गलत की जानकारी और पौंजी योजनाओं जैसे मूल मामलों के बारे में बताया गया। निवेशक जागरूकता पर 'ग्रामीण निवेशकों के लिए विवरण पुस्तिका' शीर्षक वाली एक विशेष बुकलेट इन कार्यक्रमों के दौरान वितरीत की गई। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक संस्थानों (पीआई) के माध्यम से आईएपी आयोजित किए गए। 31 अक्तूबर, 2019 तक आयोजित आईएपी का विवरण निम्नानुसार है–

आयोजित किए गए निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों (आईएपी) का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यवसायिक संस्थान (पीआई)	सीएससी ई-गवर्नेंस	कुल
2016-17	1,096	1,075	2,171
2017-18	357	5,519	5,876
2018-19	796	26,843	27,639
2019-20 (31.10.2019 तक)	101	11,624	11,725
कुल	**2,350**	**45,061**	**47,411**

6.2.10 (ii) 117 इच्छुक जिलों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमरू चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सीएससी के माध्यम से 117 इच्छुक जिलों में 15,000 आईएपी आयोजित किए जाएंगे।

6.2.10 (iii) दूर संचार विभाग का सहयोगरू प्राधिकरण ने दूर संचार विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में जागरूकता फलाने के लिए दूर संचार विभाग के साथ मिलकर समय–समय पर विशिष्ट रूप तैयार निवेशक जागरूकता सत्रों का आयोजन किया है।

6.2.10 (iv) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में अनुसंधान कार्यः देश में विनिधानकर्ता शिक्षा और सुरक्षा की मजबूत आधारशीला विकसित करने के लिए, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के साथ दिनांक

07 अगस्त, 2019 को आईईपीएफ के प्रचलित निवेशक संबंधी मामलों पर अनुसंधान करने के लिए आईईपीएफ में एक अनुसंधान कुर्सी की स्थापना करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक 07 अगस्त, 2019 को आईईपीएफ में अनुसंधान कुर्सी के विचारित संदर्भों के अनुकरण में औपचारिक रूप देने के लिए आईआईसीए के साथ हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत आईआईसीए प्रासंगिक मामलों पर अनुसंधान करेगा। अनुसंधान पीठ की स्थापना आईआईसीए में की जिसके अंतर्गत आईआईसीए समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान कार्य करेगा।

6.2.10 (v) नेहरु युवा केंद्र के साथ मिलकर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना: विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) और नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के बीच 16 अक्तूबर, 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) में विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता परिणामों को प्राप्त करने के लिए दोनों संगठनों के संस्थागत क्षमताओं और संसाधानों को सक्रियता प्रदान करने पर विचार किए जाने का प्रावधान है। एमओयू के रूप में नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के कर्मचारियों और स्वैच्छिक युवाओं के लिए विशिष्ट रूप से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वैच्छिक युवा एनवाईकेएस के साधारण कर्मचारियों और युवा क्लबों की सहायता से निवेशक जागरूकता के संदेशों को फैलाएंगे। अधिकरण कार्यक्रमों के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा और संचार संबंधी सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराएगा और एनवाईकेएस के माध्यम से संभारतंत्रीय सहायता प्रयोजित करेगा। एमओयू का लक्ष्य युवा क्लब के नेटवर्क और उनकी पहुंच की उपयोग से विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता के संदेशों को प्रसारित करने का है। 100 जिलों में एनवाईके के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के लिए विशिष्ट निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का पारस्परिक निर्णय लिया गया है।

6.2.10 (vi) बैंक ऑफ बड़ोदा के साथ सहयोग: विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण ने बैंक ऑफ बड़ोदा के साथ निवेशक जागरूकता एवं शिक्षा प्रसारित करने के लिए सह–ब्रांडिग के तहत विभिन्न करारो पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभिसरण कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए नीतिगत सहयोगियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना जिससे दोनों की धोखाधड़ी जैसी योजनाओं का शिकार बनने से रोका जा सके। एमओयू के अंतर्गत, आईईपीएफए ग्राहक शिक्षा के लिए सह–ब्रांडिग भार के तहत बैंक सेवा उपलब्ध कराएगा और बैंक प्रचारण के लिए विपणन चौनलों का प्रयोग किया जाएगा जैसे, सभी बैंक की शाखाओं में विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता के बैनर लगाना, बैंक की सभी एटीएमध्बूथध्अधिगमन बिंदु पर आईईपीईए के डिजिटल बैनर लगाना, सामाजिक मिडिया अकाउंट और डिजिटल प्लेटफार्म पर सहयोग और प्रचार, डिजिटल प्लेटफार्म पर आईईपीएफए लघु फिल्मों/विडियो का प्रदर्शन ताकि ग्राहकों में जागरूकता बढ़े और धोखाधड़ी से बचाव हो सके, आईईपीएफए के संदेशों को ग्राहक संरक्षा के तहत पासबुक में विभिन्न लेखा विवरणी, विभिन्न प्रचार पत्र जैसे नए ग्राहकों के लिए स्वागत किट के तहत प्रसारित किया जाए।

इस परियोजना के तहत जो बड़े सामाजिक उद्देश्य से संबंधित और नागरिकों में अच्छे परिचालन से संबंधित है, बैंक अपने फंडों का संचालन करेंगे तथा वर्तमान/उपलब्ध विपणन– परंपरागत साधनों (शाखाओं, एटीएम, क्योस्क, पासबुक, प्रचारण सामग्री इत्यादि) और ऑनलाइन साधनों (डिजिटल संकेतक स्क्रीन, एटीएम स्क्रीन, सोशल मीडिया के साधन, अन्य डिजिटल माध्यम) का उपयोग करेगी।

6.2.10 (vii) निवेशक जागरूकता के लिए संयुक्त अभियान: प्राधिकरण ने आरबीआई, सेबी और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सहयोग से निवेशक जागरूकता का

संयुक्त अभियान भी आरंभ किया था। इस संयुक्त अभियान में निवेशक जागरूकता पर सह–ब्रांड और जिंगलों को एफएम रेडियो के चौनलों पर प्रसारित किया गया था।

6.2.10 (viii) जिंगलों का रेडियो पर, स्क्रोल संदेशों का दूरदर्शन पर प्रसारणः निवेशक जागरूकता के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा बनाए विभिन्न बहुभाषी जिंगलों, निवेशकों को धोखाधड़ी आदि से बचाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को संदेश दिए जो समय–समय पर सार्वजनिक और निजी एफएम चौनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। निवेशक जागरूकता के संदेशों को स्क्रोल संदेशों के माध्यम से दूरदर्शन पर समय–समय पर प्रसारित किया जा रहा है।

6.2.10 (ix) स्रोत व्यक्तियों का चयन और आईईसी सामग्रियों का विकासः देश में विभिन्न स्थानों पर निवेशक जागरूकता उपलब्ध कराने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण के लिए आईआईसीए ने 300 से ज्यादा स्रोत व्यक्तियों का चयन किया गया है। आईआईसीए द्वारा देश में नए चयनित स्रोत व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण (टीओटी) के व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के माध्यम से आने वाले चौनलों के माध्यम से विनिधानकर्ता शिक्षा पर नए मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं।

6.2.10 (x) डिजिटल समाधानः विभिन्न सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा निवेशक जागरूकता। निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए www-iepfportal-in पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल से साझेदार संस्थाओं जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीओएआई और आईआईसीए तथा सीएससी ई–गवर्नेंस के भविष्य और भूत कार्यक्रमों का विवरण अपलोड करने के सुविधा होगी। पोर्टल संसाधन व्यक्तियों के लिए डाटा बेस के रूप में कार्य करता है और आईईपीएफ अधिकरण आदि की सभी गतिविधियों की संग्रह के रूप में भी कार्य करता है। यह पोर्टल नागरिक अनुबंध और सूचना प्रसारण के एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

6.3.1 भारत में कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) विधान के माध्यम से अधिदेशित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों और अधिनियम की अनुसूची–VII में सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों का उल्लेख है। धारा–135 और संशोधित अनुसूची–टप्प और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 दिनांक 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए थे और 01 अप्रैल, 2014 को लागू हुए। अनुसूची VII से सीएसआर के अंतर्गत अधिक गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए ही संशोधित की गई।

6.3.2 अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत **सभी कंपनियां जिनमें विदेशी कंपनी भी शामिल है, पिछले वित्त वर्ष में निर्धारित सीमा पार करने पर अधिनियम** के अंतर्गत पंजीकृत की जाएंगी, अर्थात् (i) 500 करोड़ रूपए या अधिक की निवल संपत्ति या (ii) जिन्होंने जरूरी रूप से सीएसआर गतिविधियों का दायित्व लिया है। कंपनी द्वारा पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्ष में अर्जित किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया जाना है। ऐसी सभी कंपनियां को सीएसआर समिति का गठन करना है जिसमें कम से कम तीन निदेशक, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हो। सीएसआर समिति सीएसआर नीति को निर्धारित और ऐसी सिफारिशें करेगी जिसमें कंपनी द्वारा गतिविधियां का दायित्व लेने के साथ–साथ इन गतिविधियों के लिए निधि का आबंटन शामिल है। समिति सीएसआर नीतियों की समय–समय पर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

6.3.3 सीएसआर पर व्यय करने के लिए उत्तरदायी कंपनियों को अपनी सीएसआर नीतियों का प्रकटीकरण आवश्यक है जिसमें गतिविधियां और उनपर किया गया व्यय बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल है। सीएसआर व्यय में कटौती के कारण, यदि कोई हो, तो बोर्ड की रिपोर्ट में दर्शाना आवश्यक है जैसाकि अधिनियम की धारा 134(3) (ण) में निर्दिष्ट किया गया है।

सीएसआर के प्रावधानों के गैर–अनुपालन के लिए निगरानी तंत्रः

6.3.4 अधिनियम कंपनी के बोर्ड पर कंपनी की सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी की जवाबदेही प्रदान करता है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र का गठन करेगी।

6.3.5 बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा की गतिविधियां जो कंपनी की सीएसआर नीति में सम्मिलित है, को कंपनी ने आरंभ किया है और कंपनी ने अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्ष में अर्जित किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया है।

बोर्ड कपनी रिपोर्ट में सीएसआर अपेक्षित राशि को व्यय करने के कारणों को दर्शाएगा, यदि कोई हो।

6.3.6 मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित धारा 134(3) (ण) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से उनकी बोर्ड रिपोर्ट में दिए सीएसआर प्रकटीकरणों की जांच के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करता है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व, 2018 (एचएलसी–2018) पर उच्च स्तरीय समिति

6.3.7 सीएसआर की समस्त रूपरेखा की समीक्षा और सीएसआर पर सुसंगत नीति के लिए रोड मैप प्रतिपादित करने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व, 2018 (एचएलसी– 2018) के संबधों में 22 नवंबर, 2018 को सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी उपक्रम, सिविल सोसाइटी और शैक्षणिक समुदाय के उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था जो विषय मामलो को समग्र रूप से देखने, सामाजिक विकास की उभरती वैश्विक चर्चाओं पर विचार करने, और सक्रिय परिणामों की उपलब्धि हेतु मंत्रणाओं का अनुकरण करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 अगस्त, 2019 को सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www-mca-gov-in पर उपलब्ध है। एचएलसी–2018 की सिफारिशों का सार निम्नानुसार हैः

- सीएसआर के प्रावधानों की प्रयोज्यता का सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) में विस्तार।
- नई निगमित कंपनियों के लिए सीएसआर के प्रावधानों की बाध्यता उनके तीन वर्षों की अवधि तक अस्तित्व में रहने पर होगी।
- कंपनी जिनकी निर्धारित सीएसआर राशि 50 लाख से कम है उन्हें अलग से सीएसआर समिति गठित करने में रियायत होगी ।
- किसी वर्ष में सीएसआर की अव्ययित राशि को उस उद्देश्य के लिए अलग अभिहित राशि में हस्तांतरण किया जाए। ऐसी अव्ययित राशि और उसके ब्याज को 3 से 5 वर्षों के बीच सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया जाए, व्यय न किए जाने की स्थिति में राशि को केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट निधि हस्तांतरण किया जाए जिसका उपयोग प्रगतिशील, उच्च प्रभाव वाले सीएसआर परियोजनाओं में किया जाएगा।
- जब कभी सीएसआर निधि का पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है तो ऐसी

कंपनियों को हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसी आस्तियों का स्वामित्व पब्लिक में निहित होना चाहिए।

- सीएसआर गतिविधियों का स्थानीय क्षेत्र के साथ संतुलत बनाते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकता को प्रधानता देनी चाहिए।
- अधिनियम की अनुसूची VII को संयुक्त राष्ट्र निरंतर विकास उद्देश्यों और एसडीजी ढांचे के विकास के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण मदों के साथ संतुलित किया गया है। केंद्रीय सरकार अनुसूची–VII से कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकात क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर सकती है और इस बारे में निदेश जारी कर सकती है।
- अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट केंद्र सरकार की निधियों में योगदान को बंद कर दिया गया है।
- कंपनियां जिनकी पूर्ववर्ती तीन तत्काल वित्त वर्षों में निर्धारित सीएसआर राशि 5 करोड़ या अधिक है, को जरूरत और प्रभाव आकलन अध्ययन कराने चाहिए।
- सीएसआर को विधिक वित्तीय लेखापरीक्षा की परिधि में लाना।
- कार्यान्वयन एजेंसी को सीएसआर गतिविधियों के लिए एमसीए के समक्ष रजिस्टर करना।
- एकीकृत आयकर छूट के लिए अनुसूची VII के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी गतिविधियां।
- शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए व्यापार दायित्व रिपोर्टिंग (सेबी बीआरआर) की प्रयोज्यता का विस्तारण किया जाए।
- कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (एनएफसीएसआर) का व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व के लिए सीएसआर के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए।
- एमसीए द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के साथ सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को व्यापक दिशानिर्देश जारी किया जाना।
- एमसीए द्वारा सीएसआर का वार्षिक सर्वेक्षण तैयार किया जाना।

राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार

6.3.8 कंपनी द्वारा उनके कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार (एनसीएसआरए) संस्थापित किए गए हैं। ये पुरस्कार सीएसआर के रूप में कंपनियों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष दिए जाएंगे।

6.3.9 इन पुरस्कारों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाना और समाज में योगदान करने के लिए नए विचारों, नवाचारों और व्यावसायिक क्षमता को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार विजेताओं का चयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें चुनिंदा संस्थानों द्वारा प्राप्त नामांकन की जांच शामिल है। इस उद्देश्य के लिए गठित एक ग्रैंड जूरी तीन श्रेणियों में विजेताओं और सम्माननीय उल्लेखों का चयन करती हैरू श्रेणी I – सीएसआर खर्च (3 उप–श्रेणियों के साथ)य श्रेणी II – चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआरय और श्रेणी– III – राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान, है।

6.3.10 एमसीए ने प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार का आयोजन 29 अक्टूबर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया। भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद, कारपोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुरस्कार वितरण किए।

भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद; वित्त और कारपोरेट कार्य के केंद्रीय मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण; वित्त और कारपोरेट कार्य के राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर; कारपोरेट कार्य के सचिव, श्री इंजेटी श्रीनिवास; और डीजीएंडसीईओ, आईआईसीए डॉ. समीर शर्मा; साथ में उद्योग क्षेत्र के गणमान्य।

कंपनी अधिनियम (संशोधन), 2019 में सीएसआर प्रावधानों से संदर्भित संशोधन

6.3.11 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को निम्नानुसार संशोधित किया गया:

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 में किए गए संशोधन
1	उप-धारा (5) में शब्दों **"तीन पूर्ववर्ती तत्काल वित्त वर्षों"** के पश्चात्	निम्नलिखित शब्दों को अंतस्थापित किया जाएगा "या जहां कंपनी ने उसके निगमन से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि पूर्ण न की हो**,** ऐसे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान"
2	उपधारा (5) के दूसरे परंतुक में शब्दों **"राशि व्यय न करने के कारण"** के पश्चात्	निम्नलिखित शब्दों को अंतस्थापित किया जाएगा **"और, अन्यथा अव्ययित राशि किसी अन्य चालू परियोजना से संबंधित है।** उप धारा **(6)** ऐसी अव्ययित राशि को अनुसूची में निर्धारित निधि में हस्तांतरित करें। **VII,** वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर"
3	उपधारा (5) के पश्चात्	निम्नलिखित उपधाराएं अंतस्थापित की जाएगी:- (6) उपधारा (5) के अंतर्गत अव्ययित कोई राशि, के अनुसरण में किसी भी चालू परियोजना, जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है, जो किसी कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में निर्धारित की जा सकती हैं, को कंपनी द्वारा

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 में किए गए संशोधन
		वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि में एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित बैंक में उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा खोली गई जिसे अनपेक्षित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाता है, और इस तरह की राशि कंपनी द्वारा तीनों की अवधि में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व के पालन में खर्च की जाएगी। इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से वित्तीय वर्ष, अन्यथा, कंपनी तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में उसी को हस्तांतरित करेगी। **(7)** यदि कोई कंपनी उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो वह कंपनी जुर्माने के साथ दंड की भागीदार होगी जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पच्चीस लाख रुपये तक बढ़ सकता है और ऐसी कंपनी के प्रत्येक अधिकारी जो दोषी हैं, वे कारावास के साथ दंड के भागीदार होंगे, जो तीन वर्ष या जुर्माना के साथ हो सकता है, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पांच लाख रुपये तक या दोनों के साथ हो सकता है। **(8)** केंद्रीय सरकार किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को इस तरह के सामान्य या विशेष निर्देश दे सकती है क्योंकि इस खंड के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है और ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

शास्तिक प्रावधान को छोड़कर पूर्वोक्त प्रावधानों को अधिसूचित किया जाना है।

अनुसूची VII में संशोधन

6.3.12 सीएसआर के तहत एक कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची अधिनियम की अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट की गई है। तत्पश्चात् अनुसूची में पांच बार संशोधन किया गया है। चौथा और पाँचवाँ संशोधन इस वर्ष किए गए। संशोधन का विवरण निम्न रूप से दिया गया है:

(क) **चौथा संशोधन** 30 मई, 2019 को अधिसूचित किया गया था, जो अंतःस्थापित किया गया। "राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन" अनुसूची के मद (xii) के रूप में।

(ख) पांचवां संशोधन 19 नवंबर, 2019 के शुद्धिपत्र के साथ 11 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया। इसमें मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात– "(ix) इनक्यूबेटरों को दिया गया अंशदान सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य

सरकार के किसी भी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा, और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों (भारतीय कृषि परिषद के तत्वावधान में स्थापित) में योगदान अनुसंधान (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के उद्देश्य से अनुसंधान कार्य किया गया हैं।

सीएसआर व्यय का संक्षिप्त विवरण

6.3.13 एमसीए21 रजिस्ट्री में 30.06.2019 तक कंपनियों द्वारा फाइल किए गए डाटा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण नीचे तालिका संख्या 6.3 में दिया गया है:

तालिका संख्या 6.3

कंपनी का स्वरूप	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2015-16		वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18	
	कंपनियों की संख्या	कुल व्यय राशि (करोड़ रु. में)	कंपनियों की संख्या	कुल व्यय राशि (करोड़ रु. में)	कंपनियों की संख्या	कुल व्यय राशि (करोड़ रु. में)	कंपनियों की संख्या	कुल व्यय राशि (करोड़ रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
पीएसयू	493	2,816.82	532	4,214.67	546	3,295.98	527	2,553.36
गैर पीएसयू	16055	7,249.11	17758	10,302.52	18993	11,033.55	20870	11,067.15
कुल	**16548**	**10,065.93**	**18290**	**14,517.19**	**19539**	**14,329.53**	**21397**	**13,620.51**

* तालिका में कंपनियों की संख्या में वे कंपनियां शामिल हैं जो सीएसआर के लिए पात्र हैं।

6.3.14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सीएसआर राशि कंपनियों द्वारा व्यय की गई और कंपनियों द्वारा विकास क्षेत्र वार पर किया गया व्यय तालिका संख्या 6.4 और तालिका संख्या 6.5 में निम्न रूप दर्शाया गया है

तालिका संख्या 6.4

राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (30.06.2019 तक का डेटा)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों	वि. व. 2014-15	वि. व. 2015-16	वि. व. 2016-17	वि. व. 2017-18
अण्डमान और निकोबार	0.29	0.55	0.83	0.76
आंध्र प्रदेश	414.28	1,294.28	753.53	269.11
अरुणाचल प्रदेश	11.05	1.48	24.05	11.94
असम	134.78	164.60	269.92	86.23
बिहार	36.69	124.62	100.77	42.17
चंडीगढ़	1.77	5.34	21.99	20.51
छत्तीसगढ़	161.30	241.16	84.94	71.61
दादरा और नगर हवेली	4.41	12.03	7.58	6.93
दमन और दीव	20.05	2.43	2.63	20.09

दिल्ली	237.44	493.34	520.66	540.79
गोवा	27.11	30.15	37.89	53.34
गुजरात	313.45	551.43	870.84	768.96
हरियाणा	187.41	375.62	389.60	262.02
हिमाचल प्रदेश	10.95	52.29	24.03	60.53
जम्मू और कश्मीर	43.71	107.81	42.74	14.75
झारखंड	79.56	117.04	95.69	45.88
कर्नाटक	403.47	784.66	886.36	950.92
केरल	68.23	148.12	135.47	158.06
लक्षद्वीप	-	0.30	-	2.07
मध्य प्रदेश	141.88	185.51	286.60	147.43
महाराष्ट्र	1,445.92	2,052.23	2,487.94	2,527.04
मणिपुर	2.44	6.28	12.35	4.03
मेघालय	3.53	5.59	10.97	5.49
मिजोरम	1.03	1.07	0.08	0.23
नगालैंड	1.11	0.96	0.92	0.36
एनईसी / उल्लेख नहीं	26.94	-	7.63	132.04
ओडिशा	252.18	624.05	316.71	469.34
समस्त भारत	4,614.89	4,741.95	4,988.17	5,009.16
पुडुचेरी	2.02	6.46	7.43	6.51
पंजाब	55.61	69.93	75.83	88.51
राजस्थान	299.76	501.45	327.15	263.33
सिक्किम	1.19	1.98	6.83	6.84
तमिलनाडु	539.64	633.24	550.94	619.42
तेलंगाना	101.96	265.40	259.88	291.14
त्रिपुरा	1.33	1.47	1.25	1.83
उत्तर प्रदेश	148.90	423.79	327.48	298.40
उत्तराखंड	74.79	73.17	101.52	82.51
पश्चिम बंगाल	194.86	415.42	290.34	280.25
कुल योग	**10,065.93**	**14,517.19**	**14,329.53**	**13,620.51**

* वित्त वर्ष 2017-18 के आंकड़े समयनुसार बदले जा सकते हैं।

तालिका संख्या 6.5

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (30 जून, 2019 तक का डेटा)

विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18
कृषि वानिकी	18.12	57.85	43.45	12.18
पशु कल्याण	17.29	66.67	78.65	59.48
सशस्त्र बलों, वैटरन, युद्ध विधवाओं / आश्रितों	4.76	11.14	37.86	27.72

कला और संस्कृति	117.37	119.17	305.57	283.81
स्वच्छ गंगा कोष	5.47	32.82	24.37	4.44
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	44.60	49.85	119.09	212.74
शिक्षा	2,589.42	4,057.45	4,500.82	4,594.64
पर्यावरणीय स्थिरता	773.99	796.69	1,076.46	1,076.42
लैंगिक समानता	55.21	73.85	72.60	20.48
स्वास्थ्य देखभाल	1,847.74	2,569.43	2,484.05	2,192.16
आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	280.17	393.38	515.47	658.18
एनईसी / उल्लेख नहीं	1,338.40	1,051.16	388.96	0.76
अन्य केंद्र सरकार के फंड	277.10	334.35	419.99	255.40
गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, कुपोषण	274.70	1,252.08	606.55	635.93
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	228.18	218.04	158.80	158.20
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,059.35	1,376.16	1,554.78	1,477.29
सुरक्षित पेयजल	103.95	180.16	147.76	180.16
स्वच्छता	299.54	631.80	421.71	291.69
वरिष्ठ नागरिक कल्याण	8.94	21.87	26.91	32.94
घर और छात्रावास की स्थापना	8.74	29.28	61.97	67.73
अनाथालय की स्थापना	5.12	16.90	16.80	36.86
स्लम क्षेत्रीय विकास	101.14	14.10	51.49	35.11
सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ	39.04	77.97	148.01	134.70
विशेष शिक्षा	41.43	125.84	164.83	122.56
स्वच्छ भारत कोष	113.86	325.52	184.06	213.79
प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों	4.74	26.34	23.09	15.54
खेलों को बढ़ावा देने के लिए	57.62	140.12	180.33	227.50
व्यावसायिक कौशल	277.07	344.39	373.46	391.73
महिला सशक्तिकरण	72.87	122.79	141.62	200.37
कुल योग	**10,065.93**	**14,517.19**	**14,329.53**	**13,620.5**

कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)

6.4.1 कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) वित्तीय वर्ष 2015–16 में मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है। इसमें मंत्रालय में डाटा माइनिंग एवं विश्लेषणात्मक सुविधा के सृजन पर विचार किया गया है ताकि कारपोरेट सेक्टर डाटा का व्यवस्थित तरीके से प्रसार किया जा सके। यह व्यवहार प्रणाली को डाटा वेयरहाउस प्रणाली में बदलने हेतु एमसीए21 द्वारा डिपाजिटरी को अग्रिम कड़ी प्रदान करता है। सीडीएम के उद्देश्यों में शामिल है (क) साझा करने योग्य जानकारी का इकाई स्तर प्ररूप और तालिका प्ररूपों में प्रसार करना, (ख) अनुकूलित सूचना को नीति निर्माण और एमसीए के विनियमन उद्देश्यों और साथ ही साथ अन्य सरकारी विभागों के साथ साझा करना और (ग) मंत्रालय की आंतरिक एवं संस्थागत क्षमताओं को कारपोरेट डाटा माइनिंग एवं सूचना प्रबंधन को बढाना जिससे निर्णय क्षमता में सहायता मिले।

6.4.2 इस परियोजना में भारतीय कारपोरेट सैक्टर

निष्पादन पर विभिन्न सांख्यिकी प्रतिवेदन जैसे कि सीरीज डाटा, क्रास सेक्शन डाटा, पैनल डाटा इत्यादि तैयार करने पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अनुपालना एवं नियमन पर निगरानी की सुविधा की परिकल्पना की गई है।

6.4.3 वर्ष 2006–07 से 31 मार्च, 2019 तक कंपनियों की वार्षिक सांविधिक फाइलिंग (इलेक्ट्रॉनिक मोड में) सीडीएम वेयरहाउस डाटा बेस में लोड कर दी गई है।

आरएंडए प्रभाग

6.5.1 आरएंडए प्रभाग कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) योजना के अंतर्गत "अनुसंधान और अध्यन, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों इत्यादि के वित्त पोषण" को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है। सीडीएम योजना के इस घटक का ब्यौरा एमसीए की वेबसाइट (www-mca-gov-in) पर उपलब्ध है। ऐसे कुछ विषय जिन पर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं:

क) एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) का कार्य निष्पादन;

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की प्रभावकारिता जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत अंतर्विष्ट कंपनी;

ग) निवेशक संरक्षण और विनिधानकर्ता शिक्षा की प्रभावकारिता;

घ) कारपोरेट्स का कार्य निष्पादन (राज्यों, सेक्टर और आकार इत्यादि में);

ङ) प्रतिस्पर्धा विधि और व्यवहार की प्रभावकारिता;

च) करपोरेट ऋण संरचना और उसका लाभ उठाना;

छ) आईपीओ इत्यादि के माध्यम से कारपोरेट्स द्वारा जुटाई गई निधियों के उपयोग का विश्लेषण;

ज) ईज ऑफ डूइंग बिजनेसरू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची के भीतर उप सूचियां जो सीधे कारपोरेट क्षेत्र अर्थात् (i) कोई व्यवसाय आरंभ करना, (ii) अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण करना और (iii) दिवाला समाधानय से संबंधित हैं।

झ) भारत में उत्पादक कंपनियों के उभरने से संबंधित मुद्दे।

6.5.2 इस प्रकार के सभी अनुसंधान प्रस्तावों पर आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तकनीकी समिति द्वारा विचार किया जाता है जो उन पर विचार करती है तथा तद्नुसार अनुमोदन के लिए सिफारिश करती है सीडीएम योजनागत योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए वर्ष 2017, 2018 और 2019 के दौरान कुल 17 अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

6.5.3 मंत्रालय के हित के विभिन्न विषयों पर इस अवधि के दौरान छः अनुसंधान अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में ऋण दबाव का मूल्यांकन,

(ii) कारपोरेट गवर्नेंस तंत्रों पर सीएसआर प्रकटीकरण का प्रभाव मूल्यांकन,

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर कार्यान्वयन पर रचनात्मक अनुसंधानरू कवरेज और उभरते हुए मुद्दे,

(iv) भारतीय कारपोरेट सैक्टर में वित्तीय संकट और शोधन अक्षमताः निर्धारण और नीति मामले

(v) एमसीए21 में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों को वित्त के स्रोतों को समझने और उल्लेख करनाः इनमें विभिन्नताओं और समानताओं और उनका कारण

(vi) भारत में फर्मों के ढांचे में प्रतिनिध्यात्मक परिवर्तन, वित्तीय और विकास का विश्लेषण

6.5.4 आंतरिक अनुसंधान के लिए युवा व्यावसायिकों के एक दल को भी लगाया गया है (प) गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (कारपोरेट्स और बैंकों की जुड़वां तुलन–पत्र समस्या), (पप) सार्वजनिक जमाओं और (पपप) पर अनुसंधान लेख पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। नीतिगत निर्णय और परिवर्तन करने के लिए मंत्रालय को अनुसंधान इनपुट प्रदान करने में सहायता करने के लिए एक जारी कवायद के रूप में भविष्य में कुछ और अधिक अनुसंधान लेख आर एंड ए प्रभाग में उनकी सहायता के साथ तैयार किए जाएंगे।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

6.6.1 राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीसीआई), और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से एक न्यास के रूप में की गई थी। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान), राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को भी एनएफसीजी में सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

6.6.2 प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य सुस्थायी संपदा सृजन के प्रमुख कारक के रूप में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के मध्य अच्छे कारपोरेट शासन को बढ़ावा देना है। एनएफसीजी की शासी परिषद कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में निर्णय निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर कार्य करती है।

6.6.3 एनएफसीजी के तत्वाधान में संचालित कार्यकलापों में कारपोरेट शासन, भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन पर अनुसंधान कार्यकलाप, आदि से संबंधित विषयों पर सेमीनार और सम्मेलन शामिल हैं। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य करता है और दुनिया भर के समान संगठनों के संपर्क में रहता है।

सतर्कता

6.7.1 सतर्कता विंग मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है, भ्रष्टाचार में तथाकथित रूप से संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करता है। सतर्कता दृष्टिकोण और प्रशासनिक दृष्टिकोण जैसे निलंबन, नियमित विभागीय कार्रवाई, अभियोजन के संस्वीकृति, न्यायालय मामले इत्यादि से संबंधित विभिन्न अनुशासनात्मक मामलों को निपटाता है। यह मौजूदा पद्धतियों को सरल और कारगर बनाने के लिए भी प्रयास करता है ताकि भ्रष्टाचार की न्यूनतम गुंजाइश हो और सरकारी सेवकों के बीच सत्यनिष्ठा सुनिश्चित हो। इस दिशा में, मंत्रालय के अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध संस्थापित/निष्पादित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर शिकायतों के परिणाम और मामला अध्ययनों पर आधारित विभिन्न अनुदेश, निषेधात्मक सतर्कता के रूप में जारी कर दिए गए हैं। ताकि इस मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा समान दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

राजभाषा

6.8.1 मंत्रालय में, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और मंत्रालय के सरकारी कार्यो में हिंदी के प्रभावी प्रयोग की निगरानी के लिए संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) आयोजित की जाती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से आयोजित की गई।

6.8.2 राजभाषा अनुभाग, मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों, निरीक्षण और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी दस्तावेजों के अनुवाद के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों ने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की

बैठकों में भाग लिया और राजभाषा अधिनियम और उसके नियमों के कार्यान्वयन में आवश्यक मार्गदर्शन भी किया।

6.8.3 मंत्रालय में तारीख 2 से 16 सितंबर, 2019 के दौरान मंत्रालय के सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग संबंधी जागरूकता लाने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में करने के लिए अपील की। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, अनुवाद और शब्दज्ञान, कविता पाठ, वाद–विवाद और श्रुतलेख आयोजित की गई और इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाणपत्र दिए गए।

6.8.4 राजभाषा से संबद्ध संसदीय समिति की पहली उप–समिति ने वर्ष के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के दो कार्यालयों के निरीक्षण किए थे। इन निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।

6.8.5 हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को राजभाषा के और संवर्धन के लिए समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था।

अवसंरचना अनुभाग

6.9.1 अवसंरचना अनुभाग मंत्रालय के फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि अर्जन करके, खरीदी गई भूमि पर भवनों का निर्माण करके, निर्मित कार्यालय स्थल खरीद करके, पुनर्सज्जा करने के लिए इन निर्मित कार्य स्थलों के जीर्णोद्धार और सज्जा करके अवसंरचना प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। दिनांक 01 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान अवसंरचना अनुभाग ने निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए हैं:

(क) मैसर्स एनबीसीसी सर्विसिज लिमिटेड के माध्यम से आईबीबीआई के लिए किराए पर लिए गए स्थानदृ दूसरा तल, जीवन विहार, नई दिल्ली का नवीकरण।

(ख) मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से कारपोरेट भवन, थालतेज, अहमदाबाद में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शासकीय समापक का कार्यालय, अहमदाबाद और एनसीएलटी अहमदाबाद ने अपने कार्य का संचालन कारपोरेट भवन से आरंभ कर दिया है।

(ग) कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए विजयवाड़ा में किराए पर लिए गए आवास में जीर्णोद्धार कार्य किया।

(घ) गुवाहाटी के लिए आरडी (एनआर), आरओसी (एनईआर), ओएल, गुवाहाटी के लिए पृथ्वी प्लानेट जीएस रोड, उल्लूवारी, गुवाहाटी में किराए पर लिए गए आवास में जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(ङ) मुंबई के लिए एनसीएलटी, मुंबई न्यायपीठ कफे परेड, मुंबई में किराए पर लिए गए आवास में जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(च) चौथा और सातवां तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली में किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(छ) एमटीएनएल बिल्डिंग, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एनसीएलएटी को स्थानांतरित करने के लिए किराए पर लिए गए कार्यालय आवास का नवीकरण कार्य प्रगति पर है।

(ज) प्रथम तल, ब्लॉक सं.12, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एनसीएलएटी के लिए दो अतिरिक्त न्यायालयों को स्थानांतरित करने के लिए किराए पर लिए गए कार्यालय आवास का नवनीकरण कार्य

प्रगति पर है।

(झ) एनसीएलटी इंदौर न्यायपीठ को इंदौर में स्थापित करने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) से आवासीय स्थान किराए पर लिया गया है जिसका नवीकरण कार्य आईडीए इंदौर को सौंपा गया है;

(ञ) एनसीएलटी को मंगलगीरी विजयवाड़ा न्यायपीठ में स्थापित करने के लिए एपीआईआईसीओ से आवासीय स्थान किराए पर लिया गया है जिसका नवीकरण कार्य एपीआईआईसीओ को सौंपा गया है;

ट) एनएफआरए के किराए पर ले–आउट प्लान के स्थान, आठवां तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली को अंतिम रूप दे दिया गया है। किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान के लिए जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(ठ) कारपोरेट भवन निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से कोलकाता में खरीदे गए प्लॉट का निर्माण पूर्व कार्यकलाप प्रगति पर हैं।

नागरिक / ग्राहक चार्टर

6.10.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय एक नियामक मंत्रालय होने के कारण अपने नियामक कार्य निष्पादित करने के लिए नियमित रूप से जनता से संपर्क करता है जो विभिन्न हितधारकों को इसकी सेवाएं देने का रूप होता हैं। मंत्रालय ने एक विस्तृत नागरिकध्ग्राहक चार्टर अपनी वेबसाइट पर डाला है। मंत्रालय ने अपने नागरिक चार्टर में सेवाओं/संव्यवहारोंधनिहित प्रक्रियाओं अपेक्षित दस्तावेजों और लागू शुल्कों की एक विस्तृत सूची दी है। इसमें प्रत्येक सेवाध्संव्यवहार के लिए निष्पादन/समय सीमा का मानदंड भी निर्धारित है। यह प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–VI** में संलग्न है।

अनसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

6.11.1 मंत्रालय के प्रशासन अनुभाग–I के अधीन संवर्गों के संबंध में मुख्यालयों में कार्यरत अनसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, नीचे **तालिका 6.9** में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.9

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व
(नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार)

समूह	संस्वीकृत संख्या	स्थिति			
		कुल	अ.जा.	अ.जा.जा.	अ.पि.व.
क	69	59	08	02	07
ख	103	75	11	05	07
ग	101	64	12	00	14
कुल	**273**	**198**	**31**	**7**	**28**

6.11.2 प्रशासन अनुभाग–II के अधीन मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अनसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, नीचे **तालिका 6.10** में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.10

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

(नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या की स्थिति	स्थिति			
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.जा.जा.	अ.पि.व.
क	247	137	36	25	49
ख	362	209	62	31	60
ग	271	130	63	28	50
कुल	**880**	**476**	**161**	**84**	**159**

निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ

6.12.1 मंत्रालय को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 01 दिसंबर, 2018 से 13 नवंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान निवेशकों/जमाकर्ताओं से 8,093 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 13 नवंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल 8,101 शिकायतों का अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समाधान किया गया।

6.12.2 इसके अतिरिक्त, आईजीएम अनुभाग को 848 ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से 273 शिकायतें अन्य एजेंसिया/मंत्रालयों से संबंधित थीं उन्हें सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग, पूंजी बाजार प्रभाग), राजस्व विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आईआरडीए, लोक उद्यम विभाग आदि को और शेष 575 शिकायतें कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित थीं जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए एमसीए के विभिन्न अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों/संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया गया था।

सूचना का अधिकार

6.13.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत एक लोक प्राधिकरण है। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का अनुपालन करने के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण अधिनियम के अधीन व्यवस्थाएं की हैं।

6.13.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत उपबंधों की बाध्यताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना अपलोड की गई है जिसमें मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठों द्वारा निपटाए जाने वाले विषयों का संक्षिप्त उल्लेख है। यह सूचना पब्लिक डोमेन में रखी गई है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय के पदाभिहित अधिकारियों को उनके

आबंटित कार्य के अलावा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपील प्राधिकारी (एए) के रूप में मनोनीत और घोषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को लोक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) जिन्हें डाक विभाग द्वारा उप–संभाग स्तर और उप–जिला स्तर पर नामित किया गया है द्वारा आवेदन अपील प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एमसीए के अधिकतर लोक प्राधिकरण आरटीआई–एमआईएस पोर्टल से जुड़े हुए हैं जिससे नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन और अपील करने में सुविधा होती है।

6.13.3 इसी प्रकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की परिधि के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों जैसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण के कार्यान्वयन की व्यवस्था भी की गई है।

6.13.4 तारीख 01 दिसंबर, 2018 से 15 नवंबर, 2019 तक एमसीए (मुख्यालय) में सूचना का अधिकार के अधीन प्राप्त आवेदन और अपीलों की सांख्यिकी का ब्यौरा निम्नलिखित **तालिका 6.10** में दर्शाई गई है:

तालिका 6.10

आरटीआई आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे

(01 दिसंबर, 2018 से 15 नवंबर, 2019 तक)

1.	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	2,063
2.	अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित	1,116
3.	निर्णय जहां सूचना अनुरोध अस्वीकार किए गए	7
4.	प्राप्त अपीलों की कुल संख्या	125
5.	उन मामलों की संख्या जिनमें इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई	शून्य
6.	उन मामलों की संख्या जहां सीआईसी ने जुर्माना लगाया	शून्य

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का बजट 2019-20 (जनवरी 2020 तक)

6.14.1 मंत्रालय की राजस्व प्राप्तियों और व्यय (पूंजी और राजस्व) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं (**तालिका 6.11** और **तालिका 6.12**)

तालिका 6.11

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु. में)

2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (10 जनवरी 2020 तक)
1,871.33	1,985.83	2,350.01	2,752.90	3,611,43

तालिका 6.12

व्यय (राजस्व और पूंजी)

(करोड़ रु. में)

	वास्तविक व्यय 2018-19	**बजट अनुमान** 2019-20	**संशोधित अनुमान** 2019-20	**वास्तविक व्यय 2019-20** (10 जनवरी 2020 तक)
राजस्व	544.45	545.34	563.50	393.98
पूंजी	35.97	41.00	12.50	9.80
योग	**580.42**	**586.34**	**576.00**	**403.78**

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.15.1 01 दिसंबर, 2018 से 18 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग की उपलब्धियां/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

i) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और मलेशियाई एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटिज (एमएसीएस) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर परस्पर सहयोग के लिए 06 फरवरी, 2019 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

ii) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इग्लैंड और वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच पूर्ववर्ती समझौते ज्ञापन पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए और 2014 में नवीनीकरण किया गया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन पर 07 मार्च, 2019 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

iii) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और कुवैत अकाउंटेंट्स एंड ऑडीटर्स एसोशिएसन (केएएए) के बीच समझौता ज्ञापन को 23 अक्तूबर, 2019 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रतिस्पर्धा अनुभाग

6.16.1 प्रतिस्पर्धा अनुभाग प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित मामलों, प्रतिस्पर्धा नीति का गठनय सभी प्रतिष्ठान, कर्मियों और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और महानिदेशक कार्यालय के वित्तीय मामलों से संबंधित है, सीसीआई में सीसीआई के महानिदेशक के रूप में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ–साथ सीसीआई सेवा की शर्तों के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

व्यवसायिक संस्थान

6.17.1 मूल्यांकन पेशेवरों के विनियमन और विकास के लिए एक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की समितिरू मूल्यांकन पेशेवरों के विनियमन और विकास के लिए एक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता की समीक्षा के लिए श्री एम.एस. साहू आईबीबीआई की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। समिति नियामक संरचना की समीक्षा करेगी, जिसमें स्व–विनियमन और वैधानिक विनियमन का विस्तार, नियामक संस्थानों का संचालन, मूल्यांकनकर्ताओं के आचरण और प्रदर्शन की निगरानी और अनुशासनात्मक तंत्र शामिल हैं। समिति मूल्यांकनकर्ताओं के कैडर के विकास के लिए एक तंत्र जिसमें वर्तमान व्यवसायी और फ्रेशर्स शामिल हैं जो

मूल्यांकन पेशे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अन्य पहलू जैसे मूल्यांकन सेवाओं का प्रावधान, जिसमें बाजार संरचना, मूल्यांकन मानक शामिल हैं,की भी समीक्षा करेगी।

तीन व्यवसायिक संस्थानों में अनुशासन तंत्र को मजबूत करना और एचएलसी रिपोर्ट के आधार पर विनियम, नियम और अधिनियम में संशोधनः

6.17.2 तीन पेशेवर संस्थानों में अनुशासनात्मक तंत्र की समीक्षा करने के लिए मीनाक्षी दत्ता घोष के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई जिसमें समिति की सिफारिशों पर विचार करने के साथ–साथ उन्हें शासित करने वाले तीन अधिनियमों के अन्य प्रावधानों पर विचार करने के लिए उनके अध्यक्ष और अन्य परिषद सदस्यों के साथ बैठकें की गई। इस बात पर ध्यान दिया गया है कि तीन संस्थानों को अर्थात, आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीओएएल में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए अधिनियम और नियमों में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अन्य प्रावधानों में भी वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को ध्यान में रखते हुए पूर्वालोकन और संशोधन की आवश्यकता है।

6.17.3 तीन व्यावसायिक संस्थान अर्थात् आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीओएआई अपने–अपने संस्थानों में अनुशासनात्मक मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन प्रयास कर रहे हैं ताकि शिकायतों के ई–फाइलिंग, ई–सुनवाई आदि के लिए प्रावधान किए जा सकें।

जीएसटी खाते के लिए सहायक योजना

6.17.4 दो संस्थानों अर्थात् आईसीएआई और आईसीओएआई के कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने चौंपियन सेवा क्षेत्रीय योजना के तहत ष्जीएसटी खाते के लिए सहायकष् योजना की संकल्पना की गई थी। इस योजना के अंतर्गत , यह अपेक्षा की जाती है कि कार्य क्षमता निर्माण के उद्देश्य के लिए, देश अधिकतर भागों में प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर जीएसटी खाता सहायक का एक काडर बनाया जाने का प्रस्ताव है इसके परिणामस्वरूप जीएसटी कानून का एसएमई और एसएमपी द्वारा वहन की जाने वाली कीमत पर अनुपालन किया जा रहा है। योजना के तीन वर्ष के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रस्तावित धनराशि 975 करोड़ रु. (325 करोड़ रु. प्रति वर्ष) होगी। प्रति वर्ष 7.5 लाख छात्रों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

6.17.5 ईएफसी की 6 सितंबर, 2019 को हुई बैठक में सचिव (व्यय) ने धनराशि के लिए जीएसटी खाता सहायक योजना पर विचार नहीं किया था। कारपोरेट मामलों के सचिव ने एक अर्द्ध. शा. पत्र के माध्यम से सचिव (व्यय) को 3 वर्ष के लिए 7.5 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य की योजना के लिए संशोधित बजटीय आवश्यकता हेतु बिना लैपटॉप सब्सिडी के 225 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

****

अनुलग्नक

(I-VI)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठन चार्ट

श्रीमती निर्मला सीतारमण
मंत्री
श्री अनुराग सिंह ठाकुर
राज्य मंत्री
श्री इंजेटी श्रीनिवास
सचिव

आलोक सामंत राय महानिदेशक कारपोरेट कार्य (सीएल-II, आईजीएम, लीगल)	अंजली भावड़ा अपर सचिव (प्रशा.II, प्रशा.III)	संयुक्त सचिव (के) के.वी.आर. मूर्ति (नीति, सीएल-I, कम्प्यूटरीकरण एंव एनएफआरए, सामान्य, इंफ्रा, समन्वय, संसद, रोकड़, सीडीएम, हिंदी)	संयुक्त सचिव (एम) एम.के.पाण्डे (ई-गव:, आईसी,पीआई, आईईपीएफ)	संयुक्त सचिव(जी) जी. के. सिंह (प्रशा.I, प्रशा.IV, सीएल-VII, सीएल-III, इंसोल्वेंसी, सर्तकता, सीएसआर सेल, एनएफसीजी, आईआईसीए)	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार राजीव बंसल (आईएफडी, बजट)	आर्थिक सलाहकार नंदित्ता मिश्रा (आरएंडए प्रभाग)	सलाहकार (लागत) देवेन्द्र कुमार (लागत लेखा शाखा)	डीडीजी गीता सिंह राठौर (सांख्यिकी प्रभाग)
डीआईआई(वीकेके): वी.के. खूबचंदानी निदेशक (एलएंडपी) : संजय सौरी सं.नि. (आरके): रीचाकुकरेजा सं.नि. (एके): अनिता कलेयर सं.नि. (एसके): सतोष कुमार सं.नि. (एमएसपी): एमएस पचौरी सं.नि. (पीएस): पी.शीला सं.नि. (एकेएम): ए.के. महापात्रा उ.नि. (ईएन): ई.नागचंद्रन उ.नि. (एचए): एच अनसारी उ.नि. (जी): गौरव अ.स. (एसपीआर): एस. पद्मा राय अ.स. (एमकेएस): मनीष कुमार सहाय सं.नि. (वीएस): व्योमेश शेठ सं.नि. (आईएससी): इंदेस सिंह चौहान सं.नि. (सी): चंदन जी सं.नि. (एनपीएफ): नायक वाड़ी प्रवेज फत्तुलाल	निदेशक (वी.के.) विवेक कुमार अवर सचिव (एमकेएस) मनीष कुमार सहाय	निदे.(एपी) :अभिजीत फुकोन सं: नि.एन.के. दुआ सं: नि.(आरआरए) आर रमेश आर्य सं: नि.(एसपी): श्रीधर पमार्थी सं: नि.(एसवाई): संजय यादव सं: नि.(एके): (अनिता क्लेर उ.स. (एनडी): नीलरतन दास अ.स.(एचवी): हेमंत वर्मा अ.स.(आरके): राकेश कुमार अ.स.एवं डीडीओ: दीनदयाल सिंह अ.स.(आरआर): आर राजाराम उ.नि.(सीके): चंदन कुमार उ.नि.(पीसी): प्रणय चर्तुवेदी उ.नि.(एस): आत्मा साह सं.नि.(केएमएस): केएमएस नारायणन सं.नि.(आरएस): राजबीर सिंह	सं.नि.(बीएस): बी.श्रीकुमार निदे.(आरटी): राकेश त्यागी निदे.(एजे): संजय जैन सं.नि.(एसवाई): संजय यादव अ.स.(आरआर): आर.राजाराम अ.स.(टीएस): थारविंद्रसिंह अ.स.(बीपी): बिंदु पिल्लई अ.स.(एसपीआर): एस पद्मा राय उ.नि.: विवेक	निदेशक(ए.एस.एम): ए.एस. मीना निदेशक(एपी): अभिजीत फुकोन निदेशक(आरटी): राकेश त्यागी निदेशक(वीके): विवेक कुमार उ.स.(एसकेपी): एस.के. वशिष्ठ अ.स.(आरएच): रियाजुल हक अ.स.(टीएस): थारविंद्र सिंह अ.स.(एकेवी): अशोक कुमार विजेय अ.स.(बीपी): बिंदु पिल्लई अ.स.(आरके): राकेश कुमार उ.नि.(वाईसी): यौगिनी चौहान उ.नि.(एलएसएस): लता सिसोदिया सक्सेना उ.नि.(एसएस): शोभित श्रीवास्तव उ.नि.(एएम): अपरान्हा मुदिअन सं.नि.(वीओ): वेदांत ओझा सं.नि.(सीजी): सौरभ गौतम सं.नि.(केएमएन): के.एम.एस नारायणन सं.नि.(एएस): अक्षय सिंह	सीसीए: एस.एस. सागर निदेशक(सीसी): सी. चिनप्पा अ.स.(एआर): अमितेष रॉय	उ.नि.(यूके): ऊषा कुमार उ.नि.(एसआर): सोनल रमेश	निदेशक (केकेएम): केके महावर, निदेशक(एमके): मनमोहन कौर उ.नि.(आरजे): आंरजेगन उ.नि.(एसबी): सौरभ बंसल स.नि. (एसएस) सुनील साहू स.नि. (पीएस): प्रियंका सचदेवा	उ.नि.(ईएन): ई नागचंद्रन अ.स.(डीडीएस): दीनदयाल सिंह स.नि. (एसकेएस): सूरज कुमार शुक्ला स.नि.(एनपीएस): निर्णय प्रताप सिंह

- सीएल-II, कैब, आरएंडए, सांख्यिकी प्रभाग, आईईपीएफ, सीएसआर सेल, संसद, समन्वय, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और आईएलसीएस अकाडमी, सभी संबंधित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी अपर सचिव (एमसीए) के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं।

मुख्य सर्तकता अधिकारी: ज्ञानेश्वर कुमार सिंह; वेब मास्टर: बी. श्रीकुमार, संयुक्त निदेशक: कल्याण अधिकारी: थारविंद्र सिंह, अवर सचिव

30 नवम्बर, 2019 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिसूचित अभिहित विशेष न्यायालयों की सूची

क्र.सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	जिला न्यायाधीश-1 और अपर सत्र विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, पुणे	महाराष्ट्र राज्य- (अधिसूचना संख्या का.आ.2564(अ), तारीख 17.07.2019)।
2	सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, वृहद मुम्बई के न्यायालय सं. 37 और 58 के पीठासीन अधिकारी	महाराष्ट्र राज्य के पुणे, अहमनगर, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, रतनागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य (अधिसूचना संख्या का.आ. 3119(अ), तारीख 28.08.2019 - पूर्व अधिसूचना संख्या का.आ. 1796(अ), तारीख 18.05.2016 में संशोधन)।
3	जिला न्यायाधीश-1 और अपर सत्र विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, पुणे	महाराष्ट्र राज्य के पुणे, अहमनगर, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, रतनागिरी, सिंधुदुर्ग जिले- (अधिसूचना संख्या का.आ. 3120(अ), तारीख 28.08.2019- पूर्व अधिसूचना संख्या का.आ. 2564(अ), तारीख 17.07.2019 के अधिक्रमण में)।
4	(i) भष्टाचार अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय, जम्मू और श्रीनगर	(i) संघ राज्य सत्र जम्मू और कश्मीर (अधिसूचना संख्या का.आ. 4569(अ), तारीख 19.12.2019- अधिसूचना संख्या का.आ.

		1796(अ), तारीख 18.05.2016 में संशोधन)।
	(ii) IV अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, देहरादून	(ii) उत्तराखण्ड राज्य
	(iii) प्रमुख सत्र न्यायाधीश, लेह	(iii) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख- (अधिसूचना संख्या का.आ. 4570(अ), तारीख 19.12.2019)।
	(iv) उक्त अधिनियम की धारा 435 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथा उल्लिखित अन्य अपराधों की तीव्र सुनवाई करने के उद्देशार्थ पदाभिहित किए गए निम्नलिखित विशेष न्यायालय, अर्थात्:-	
	1. II अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का न्यायालय	1. उत्तराखण्ड राज्य देहरादून
	2. उप न्यायाधीश/विशेष मोबाइल दण्डाधिकारी, जम्मू और श्रीनगर।	2. संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर
	3. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लेह	3. संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख

****

अधिसूचनाएं

(01 नवम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019)

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	तारीख	विषय
1	सा.का.नि.1108(अ)	13.11.2018	कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) चतुर्थ संशोधन नियम, 2018
2	सा.का.नि.1111(अ)	13.11.2018	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018
3	सा.का.नि.1157(अ)	03.12.2018	कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2018
4	सा.का.नि.1218(अ)	18.12.2018	कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2018
5	सा.का.नि.1219(अ)	18.12.2018	कंपनी (निगमन) चतुर्थ संशोधन नियम, 2018
6	का.आ.6225(अ)	18.12.2018	मुबंई, कोलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग में प्रादेशिक निदेशकों के प्रतिनिधि
7	सा.का.नि.29(अ)	15.01.2019	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2019
8	सा.का.नि.42(अ)	22.01.2019	कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019
9	सा.का.नि.43(अ)	22.01.2019	कंपनी (प्रोस्पेक्ट्स और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2019
10	का.आ.368(अ)	22.01.2019	कंपनी (सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के बारे में सूचना उपलब्ध कराना) आदेश, 2019
11	का.आ.560(अ)	30.01.2019	कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 (सिक्किम अधिनियम, 1961 का 8) लागू होगा
12	सा.का.नि.100(अ)	08.02.2019	कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) संशोधन नियम, 2019
13	सा.का.नि.131(अ)	19.02.2019	कंपनी (शास्तियों का अधिनिर्णयन) संशोधन नियम, 2019

14	सा.का.नि.130(अ)	19.02.2019	कंपनी (प्रोस्पेक्ट्स और प्रतिभूतियों का आबंटन) दूसरा संशोधन नियम, 2019
15	सा.का.नि.144(अ)	21.02.2019	कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2019
16	सा.का.नि.143(अ)	21.02.2019	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2019
17	सा.का.नि.180(अ)	06.03.2019	कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2019
18	सा.का.नि.273(अ)	30.03.2019	कंपनी (भारतीय लेखांकन मापदण्ड) संशोधन नियम, 2019
19	सा.का.नि.274(अ)	30.03.2019	कंपनी (भारतीय लेखांकन मापदण्ड) दूसरा संशोधन नियम, 2019
20	सा.का.नि.329(अ)	25.04.2019	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2014
21	सा.का.नि.332(अ)	25.04.2019	कंपनी (निगमन) नियम, 2014
22	सा.का.नि.339(अ)	30.04.2019	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन
23.	सा.का.नि.340(अ)	30.04.2017	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2014
24	सा.का.नि.341(अ)	30.04.2019	कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन
25	सा.का.नि.350(अ)	08.05.2019	कंपनी (कंपनी रजिस्ट्रर से कंपनियों के नाम हटाना) संशोधन नियम, 2019
26	सा.का.नि.351(अ)	08.05.2019	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2019
27	सा.का.नि.357(अ)	10.05.2019	कंपनी (निगमन) पांचवां संशोधन नियम, 2019
28	सा.का.नि.368(अ)	16.05.2019	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2019
29	सा.का.नि.376(अ)	22.05.2019	कंपनी (प्रोस्पेक्ट्स और प्रतिभूतियों का आबंटन) तीसरा संशोधन नियम, 2019
30	सा.का.नि.377(अ)	22.05.2019	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (कार्य व्यापार के लेनदेन के लिए बैठक) नियम, 2019

31	सा.का.नि.411(अ)	07.06.2019	कंपनी (निगमन) छठा संशोधन नियम, 2019
32	सा.का.नि.466(अ)	01.07.2019	कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) नियम, 2018
33	का.आ.2269(अ)	01.07.2019	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 81 के उपबंधो को आरंभ करना
34	सा.का.नि.467(अ)	01.07.2019	निधि नियम, 2014 में संशोधन
35	का.आ.2564(अ)	17.07.2019	महाराष्ट्र राज्य में विशेष न्यायालय पदाभिहित करना
36.	सा.का.नि.527(अ)	25.07.2019	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2014
37	का.आ.2650(अ)	25.07.2019	पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या का.आ.831(अ), तारीख 24.03.2015 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
38	का.आ.2651(अ)	25.07.2019	गुवाहाटी में कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना से संबंधित अधिसूचना
39.	का.आ.2652(अ)	25.07.2019	पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या का.आ.832(अ), तारीख 03.11.2015 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
40	सा.का.नि.528(अ)	25.07.2019	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा नियम, 2014 में संशोधन।
41	का.आ.2947(अ)	14.08.2019	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 6,7,8,14,20,31,33,34 आदि लागू करने से संबंधित अधिसूचना।
42	सा.का.नि.574(अ)	16.08.2019	कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम, 2014 में संशोधन।
43	सा.का.नि.603(अ)	28.08.2019	कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में संशोधन।
44	का.आ.3119(अ)	28.08.2019	पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या का.आ.1796(अ), तारीख 18.05.2016 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
45	का.आ.3120(अ)	28.08.2019	पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या का.आ.2564(अ), तारीख 17.07.2019 में अधिक्रमण से संबंधित अधिसूचना।
46	सा.का.नि.636(अ)	05.09.2019	एनएफआरए (संशोधन) नियम, 2019।
47	सा.का.नि.750(अ)	30.09.2019	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा नियम, 2014 में संशोधन।

48	सा.का.नि.749(अ)	30.09.2019	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में संशोधन।
49	सा.का.नि.777(अ)	11.10.2019	कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन।
50	का.आ.3791(अ)	11.10.2019	मानेसर स्थित आईआईसीए संस्थान उन व्यक्तियों के नामों, पतों और अर्हताओं सहित डाटा बैंक का सृजन और रखरखाव करता है, जो स्वतंत्र निदेशकों के रूप में पात्र है और कार्य करने के इच्छुक है, से संबंधित अधिसूचना।
51	सा.का.नि.792(अ)	15.10.2019	कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2019 से संबंधित अधिसूचना।
52	सा.का.नि.794(अ)	15.10.2019	कंपनी (वितान्य व्यापार रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेज और प्ररूप फाइल करना) नियम, 2015 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
53	सा.का.नि.793(अ)	16.10.2019	कंपनी (निगमन) आठवां संशोधन नियम, 2019 से संबंधित अधिसूचना।
54	सा.का.नि.803(अ)	22.10.2019	कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
55	सा.का.नि.804(अ)	22.10.2019	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पाचवां (संशोधन) नियम, 2019 और कंपनी (लेखा) नियम, 2019 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
56	सा.का.नि.805(अ)	22.10.2019	नियमों के नए सेट अर्थात् कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और रखरखाव) नियम, 2019 से संबंधित अधिसूचना।
57	का.आ.3955(अ)	30.10.2019	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के संबंध में क्षेत्राधिकार से संबंधित अधिसूचना।
58	का.आ.3957(अ)	30.10.2019	संख्यांक सा.का.नि.832(अ), तारीख 03.11.2015 के तहत पूर्ववर्ती अधिसूचना में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
59	का.आ.3956(अ)	30.10.2019	संख्यांक सा.का.नि.831(अ), तारीख 24.03.2015 के तहत पूर्ववर्ती अधिसूचना में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।

60	सा.का.नि.857(अ)	18.11.2019	कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।
61	सा.का.नि.4569(अ)	19.12.2019	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में संशोधन किया, जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए श्रीनगर।
62	का.आ.4570(अ)	19.12.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 (2) (ए) और (बी) के तहत उल्लिखित अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष न्यायालयों को नामित किया।

******

अनुलग्नक-IV

सामान्य परिपत्र (1 दिसंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2019 तक)

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	तारीख	विषय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	11/2018	10.12.2018	सीआरए-4 (एक्सबीआरएल प्ररूप में लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) की फाइलिंग में अतिरिक्त फीस में छूट और अंतिम तारीख का विस्तार
2	12/2018	13.12.2018	प्ररूप एनएफआरए-1 फाइल करने की अंतिम तारीख का विस्तार
3	01/2019	21.02.2019	एमएसएमई प्ररूप-1 में आरंभिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख का विस्तार
4	03/2019	11.03.2019	पब्लिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन संबंधी ई-प्ररूप आरडी-I को फाइल करने के संबंध में स्पष्टीकरण
5	04/2019	04.04.2019	ई-प्ररूप सीआरए-2 फाइल करने की अंतिम तारीख का विस्तार
6	05/2019	12.04.2019	डीपीटी-3 प्ररूप में एकमुश्त विवरणी फाइल करना
7	06/2019	13.05.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जीएनएल-2 के माध्यम से फाइल किए गए प्ररूप एडीटी-1 के लिए स्पष्टीकरण
8	07/2019	27.06.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत डीआईआर-3 केवाईसी फाइल करना
9	08/2019	29.07.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्ररूप बीईएन-2 दायर करने की अतिरिक्त फीस में छूट और अंतिम तारीख का विस्तार
10	09/2019	21.08.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232(6) के अंतर्गत स्पष्टीकरण
11	10/2019	24.09.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्ररूप बीईएन-2 और बीईएन-1 दायर करने की अतिरिक्त फीस में छूट और अंतिम तारीख का विस्तार
12	12/2019	24.10.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीआरए-4 (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) की फाइलिंग में अतिरिक्त फीस में छूट और अंतिम तारीख का विस्तार
13	13/2019	29.10.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एमजीटी-7 (वार्षिक विवरणी) और एओसी-4 (वित्तीय विवरण) प्ररूपों की फाइलिंग की अतिरिक्त फीस में छूट और अंतिम तारीख का विस्तार

14	14/2019	27.11.2019	प्ररूप एनएफआरए-2 की फाइलिंग की अंतिम तारीख का विस्तार
15	15/2019	28.11.2019	मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकार क्षेत्र रखने वाली कंपनियों के लिए एओसी -4, एओसी -4 (सीएफएस), एओसी -4 एक्सबीआरएल और ई-फॉर्म एमजीटी -7 यूओटी 31.1.2020 दाखिल करने की नियत तिथि बढ़ा दी है। अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना।
16	16/2019	28.11.2019	फॉर्म पीएएस -6 (शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट के पुनर्विचार) को भरने की समय सीमा 30.9.2019 को समाप्त हो रही है, मंत्रालय की वेबसाइट पर फॉर्म की तैनाती की तारीख से 60 दिन बढ़ा दी गई है।
17	17/2019	30.12.2019	फॉर्म CRA-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि का विस्तार (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट)

******

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठों की सूची

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	अवस्थिति	न्यायपीठ की क्षेत्रीय अधिकारिता
1.	(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ (ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली न्यायपीठ	ब्लॉक सं. 3 भूतल, 6, 7 और 8 वां तल सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	(1) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
2.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अहमदाबाद न्याय पीठ	आनंद हाउस भूतल, प्रथम और द्वितीय तल, एसजी हाइवे, थालतेज अहमदाबाद-380054	(1) गुजरात राज्य (2) मध्यप्रदेश राज्य (3) संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली (4) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव
3.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद न्याय पीठ	9 वां तल, संगम प्लेस सिविल लाइन्स इलाहाबाद-211001	(1) उत्तर प्रदेश राज्य (2) उत्तराखंड राज्य
4.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, बंगलुरू न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, 12वां तल, रहेजा टावर, एमजी रोड, बंगलुरू-560001	(1) कर्नाटक राज्य
5.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ न्याय पीठ	भूतल कारपोरेट भवन, सैक्टर 27बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019	(1) हिमाचल प्रदेश राज्य (2) जम्मू-कश्मीर राज्य (3) पंजाब राज्य (4) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ (5) हरियाणा राज्य
6.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चेन्नई न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, (यूटीआई बिल्डिंग), तीसरा तल, नं. 29 राजाजी सलाई, चेन्नई-600001	(1) तमिलनाडु राज्य (2) संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी

7.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, गुवाहाटी न्याय पीठ	चौथा तल, पृथ्वी प्लेनेट हनुमान मंदिर के पीछे, जीएस रोड, गुवाहटी-781007	(1) अरूणाचल प्रदेश राज्य (2) असम राज्य (3) मणिपुर राज्य (4) मिजोरम राज्य (5) मेघालय राज्य (6) नागालैंड (7) सिक्किम राज्य (8) त्रिपुरा राज्य
8.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, बंडलागुड़ा तट्टीअन्नारम गांव हयात नगर मंडल रंगारेड्डी जिला हैदराबाद 500068	(1) आंध्र प्रदेश राज्य (2) तेलंगाना राज्य
9..	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता न्याय पीठ	5 ऐस्प्लेनेड रो (पश्चिम) टाउनहाल भूतल और प्रथम तल, कोलकाता-700001	(1) बिहार राज्य (2) झारखंड राज्य (3) पश्चिम बंगाल राज्य (4) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
10.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुबंई न्याय पीठ	6ठा तल, फाउंटेन टेलीकाम बिल्डिंग नं.1, सेंट्रल टेलीग्राफ के पास, एमजी रोड मुबंई 400001	(1) महाराष्ट्र राज्य (2) गोवा राज्य
11.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, रेजिडेंसी एरिया, सिविल लाईस, जयपुर-302001	(1) राजस्थान राज्य
12	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कटक न्यायपीठ	कारपोरेट भवन, सीडीए, सेक्टर-1 कटक-753014	(1) ओड़िसा राज्य (2) छत्तीसगढ़ राज्य
13	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोच्चि न्यायपीठ	कुन्नमपुरम, वेझाक्कला, कोच्चि, केरल-682021	(1) केरला राज्य (2) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र

******

नागरिक/ग्राहक चार्टर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क्र.सं.	हमारी सेवाएं/कार्य संपादन	क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
1.	नई कंपनियों के लिए नामों की उपलब्धता	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	**2** कार्य दिवस
		आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	**2** कार्य दिवस
2.	किसी कंपनी का निगमन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	**2** कार्य दिवस
		आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन की सूचना देने तथा निगमन प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	**2** कार्य दिवस
3	गैर पंजीकृत कंपनी का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	**2** कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण-प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	**2** कार्य दिवस
4	भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा भारत में व्यापार स्थल का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस

		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
5.	कंपनी के नाम में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
6.	कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
7.	निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
8	असीमित कंपनी का सीमित कंपनी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस

9	आईपीओ या एफपीओ को जारी करने से पूर्व विवरणिका का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पावती जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
10	प्रभार सृजन/ संशोधन/संतुष्टि का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
11.	प्रभार की संतुष्टि दाखिल करने में हुई देरी के लिए माफी	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने और पूछताछ करने और स्पष्टीकरण में लगने वाला अधिकतम समय	20 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित प्रादेशिक निदेशक द्वारा माफी संबंधी आदेश जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	10 कार्य दिवस
12.	वार्षिक सामान्य बैठक कराने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	5 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
13	न्यायालय या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक के आदेश	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस

	का पंजीकरण	अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाइसेंस में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
14	किसी कंपनी के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	4 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
15	निदेशक पहचान संख्या (डिन) जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) की मंजूरी देने वाला अनुमोदन पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
16	डिन ब्यौरों में बदलाव	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) के बदलाव के लिए पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
17.	कंपनी का एलएलपी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस

		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर परिवर्तन	3 कार्य दिवस
		प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	
18	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
19	एक ही राज्य के भीतर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक कंपनी रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में स्थानांतरित करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	45 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
20	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस का अनुदान	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	5 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाईसेसं देने के लिए लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
21	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति (धारा 196)	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस

		सभी प्रकार से पूरे किए गए आवेदन की प्राप्ति पर अनुमोदन सूचित करने के लिए लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस
22	निवेशक शिकायत निवारण/सीपीजीआरएएमएस	शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला समय	30 कार्य दिवस
23	एमसीए 21 संबंधी अन्य शिकायतें	शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला समय	30 कार्य दिवस
24	धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय	2 कार्य दिवस
25	धारा 455 के तहत सक्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय	2 कार्य दिवस
26	प्राप्तकर्ता/प्रबंधक की नियुक्ति के बारे में सूचना का पंजीकरण [धारा 84(1)]	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय	2 कार्य दिवस
27	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460 के तहत विलम्ब के लिए माफी	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय सीजी द्वारा अनुमोदन जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	**15** कार्य दिवस **30** कार्य दिवस

28	आईईपीएफ प्राधिकरण से दावों का प्रतिदाय (7 वष या अधिक वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत/अप्रदत्त बकाया लाभांशों और अन्य धन राशियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124/125 के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में अंतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभांशों के समतुल्य शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाता है।)	सत्यापन रिपोर्ट और संपूर्ण अपेक्षित दस्तावज सहित दावा प्रक्रिया पूरी करन के लिए अधिकतम समय आवेदन प्राप्ति की तारीख से	60 कार्य दिवस
29	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
		सीजी द्वारा अनुमोदन जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
30	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के अंतर्गत विलयन/गैर-विलयन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	21 कार्य दिवस
		सीजी द्वारा अनुमोदन जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	60 कार्य दिवस

******

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय